>

Title: Discussion on the Demands for Grants nos. 101 to 103 under the control of Ministry of Urban Development (Discussion concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Item No.21.

The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 101 to 103 relating to the Ministry of Urban Development..

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Urban Development for the year 2012-2013 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 101 to 103 relating to the Ministry of Urban Development."

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय के अनुदान की मांगों की चर्चा में अपने आप को शरीक कर रहा हूं और उन मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। शहरी विकास के प्रश्न पर लोक सभा में जो पिछली चर्चा हुई थी, वह सन् 1985 का वर्ष था। यानी पिछले 27 वर्षों में हम लोगों ने शहरी विकास मंत्रालय के काम-काज या उनके प्रश्नों के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं की। शायद इसका कारण यह है कि हमारा पूरा ध्यान ग्रामीण विकास के ऊपर रहता है और रहना चाहिए, क्योंकि भारत मूलत: ग्रामीण और कृषि प्रधान देश है। हम हमेशा किसानों और गांवों की चिन्ता करते हैं, लेकिन इस चिन्ता में शहरों की चिन्ता करना हम भूल गएए। उसकी वजह यह थी कि शायद शहरों के बारे में बात करना धीरे-धीरे गुनाह सा बनता चला गया। शहर की बात करना, मतलब अमीर की बात करना, गांव के विरोध में हो जाना, गरीब एवं गरीबी के खिलाफ सोचना। दुर्भाग्यवश आज दृश्य एकदम बदल गया है, गांवों से ज्यादा बदत्तर स्थिति हमारे यहां शहरों की है। शहरों के हालात ये हैं कि वहां पर लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहां पर लगातार जिन्दगी जीने की जो व्यवस्था होती है, वह बदत्तर होती चली जा रही है। वहां न दो रहने के लिए घर है, न साफ-सुथरे एवं अच्छे रास्ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बेकार है। हमारे यहां शहरों में सोलिड वेस्ट का जो अत्याचार हो रहा है, उसका बखान करना मुश्किल है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। ऐसे में शहरों की समस्या लगातार बड़ी होती चली जा रही है, जब कि शहरों का अपना योगदान अगर हिन्दुस्तान की आर्थिक गतिविधियों में देखा जाए तो एक जबरदस्त योगदान है। आज इस समय पूरी जीडीपी में साठ प्रतिशत के आसपास सिर्फ शहरों का योगदान है। आने वाले बीस वर्षों में जो स्थितियां बनेंगी, उस हिसाब से 75 प्रतिशत भारत के जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन होगा, वह शहरों की तरफ से आएगा। अगर दस नौकरियां तैयार होंगी तो उनमें से सात नौकरियां शहर की तरफ से तैयार की जाएंगी। यानी इन शहरों का अपना एक महत्व है। इन शहरों में बड़े पैमाने पर कर देने वाले रहते हैं और इन शहरों में जो काम-काज एवं गतिविधियां चल रही हैं, आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों का असर यह है कि कहीं न कहीं गरीबी को कम करने की दिशा में एक प्रयत्न हो रहा है। ऐसे में शहरों के विकास के लिए, शहरों के ऊपर जो नीति बननी चाहिए थी, वह नीति अर्से से नहीं बनी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि यूपीए सरकार का डेवेलपमेंट या पॉलिसी का जो पूरा फोकस रहा है, वह ज्यादातर ग्रामोन्मुख रहा है या रूरल सेंट्रिक रहा है। अरबन सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग हमारे यहां बहुत कम हुई। मैं एक स्कीम, कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूंगा और वह है जेएनएनयूआरएम, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल स्कीम, निश्चित तौर वह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस मिशन के माध्यम से थोड़ा-बहुत शहरों में बदलाव आया है, लेकिन पूरे अरबन डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री के काम-काज को देखा जाए, इस समय शहरी क्षेत्रों के जो दो बड़े प्रश्न हैं, वे दो बड़े प्रश्न इनके पास हैं ही नहीं। एक है पावर्टी एलिविएशन, यानी गरीबी उन्मूलन का विषय और दूसरा हाउसिंग का विषय है। ये दो विषय छोड़ बाकी सारे विषय इनके पास हैं। जब कि शहरों की सबसे बड़ी समस्या यही रह गई है तो मैं सबसे पहले यह अपेक्षा एवं मांग करूंगा कि आदरणीय मंत्री जी प्रधान मंत्री जी के साथ बात करके इन दोनों विषयों को सबसे पहले अरबन डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री में शामिल करने का प्रयत्न करें, यह मेरा पहला आग्रह रहेगा। दूसरा, जेएनएनयूआरएम की तरफ से जो काम चल रहा है, यह निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है, विशेषकर बसों के एवं इफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन का एक प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर फंडिंग की बात करें तो बहुत थोड़ी सी फंडिंग है। पूरे सात वर्षों में, जब यह मिशन सन् 2005 में शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक बड़े शहरों के लिए, जिन्हें हम मेगा सिटीज़ कहते हैं, ऐसे 65 मेगा सिटीज़, जिनमें सात मेट्रो हैं।

मुम्बई दिल्ली जैसे शहर हैं और बाकी जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 20 शहर हैं और भी उसके बाद में जो और शहर हैं और उसके बाद में तमाम शहरों के लिए जो बजट आया, जो इनको बजट एलोकेशन हुआ है, वह कुल मिलाकर 42,900 करोड़ रुपये है, यानि सात वर्षों में शहरी विकास मंत्रालय के हिस्से हिन्दुस्तान के सैंकड़ों शहरों के विकास के लिए, मेरे ख्याल से इस समय सात हजार के आसपास छोटे-बड़े शहरों की संख्या देखी जाये तो उन शहरों के विकास के लिए

42,900 करोड़ रुपये में से 31,500 करोड़ रुपये मेगा सिटीज़ को चले गये यानि 65 जो बड़े शहरों का कार्यक्रम है और इसमें से 11,400 करोड़ रुपये छोटे-छोटे शहरों में गया है। अगर मैं इसके लिए एक मुहावरे का इस्तेमाल करूं तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इससे हुआ कुछ नहीं और हमारी सरकार की तरफ से शहरी विकास मंत्रालय का पूरा जो एलोकेशन है, वह पूरे जी.डी.पी. का 0.1 परसेंट है, जो एकदम से नगण्य माना जाना चाहिए। इनकी डिमांड है और मेरे ख्याल से जो पांचवां प्लान है, उसमें ऐसी एक अपेक्षा है कि 0.25 परसेंट का एनुअल एलोकेशन होना चाहिए, जो कि 1,75,000 करोड़ रुपये के आसपास है और 1.75 लाख करोड़ भी कोई बहुत बड़ा एमांउट नहीं बनता है। फिर भी इससे उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में शहरों के विकास का एक कार्यक्रम अच्छे ढंग से लागू हो सकता है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. को बहुत ईमानदारी से, निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयत्न हो रहा है, लेकिन जैसी अपेक्षा थी, जितनी अपेक्षा है, उतनी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। हमारी स्टेंडिंग कमेटी की एक जो रिपोर्ट आई है, स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में स्टेंडिंग कमेटी ने मंत्रालय से पूछा था कि एग्जैक्टली कितने प्रोजैक्ट्स आपने लागू किये और कितने प्रोजैक्ट्स आपके कम्पलीट हुए हैं तो पिछले सात वर्षों में जो यू.आई.जी. प्रोजैक्ट्स हैं, जो बड़े शहरों के लिए हैं, उनमें से 555 प्रोजैक्ट्स इन्होंने सैंक्शन किये हैं, 127 प्रोजैक्ट्स अभी तक फिजीकली कम्पलीट हुए हैं और लगभग 423 प्रोजैक्ट्स अभी भी अंडर कम्पलीशन हैं, मतलब अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और उसका कारण जो पूछ रहे हैं, उन कारणों में जो बड़े-बड़े कारण निकलकर आये हैं कि एन.ओ.सी. नहीं मिल रही, क्लियरेंस नहीं मिल रही, शिफ्टिंग की प्रोब्लम हो रही है और जब शिफ्टिंग का कारण मैंने यहां पढ़ा तो मुझे लगा कि पूरे शहरों में जो विकास का कार्यक्रम चल रहा है, इफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें यकीनन आने वाले दिनों में हमको बहुत गम्भीरता से जो लोग विकास के कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को कहां शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करना है, कितने साल पुराने लोगों को शिफ्ट करना है, करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में एक साफ-सुथरी नीति बननी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज ऐसा हो रहा है कि शहरों में जब हम रोड बना रहे हैं या पुल बना रहे हैं या फिर एक कोई दूसरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो ऐसे जो घर वाले प्रभावित होते हैं या तो उनकी दुकानें और घर बन्द करने का आदेश हो जाता है या फिर उनको उस जगह से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जाता है, जिसका वे विरोध करते हैं। उस विरोध की वजह से इस तरह के जो विकास के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में एक प्रकार का अवरोध हो रहा है और इसके बारे में एक क्लियर कट पॉलिसी चाहिए, ऐसा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के साथ-साथ एक स्कीम, जो मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है, उस बारे में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं। वह कम्युनिटी पार्टीसिपेशन फंड है। इस स्कीम की जानकारी इस देश में बहुत कम लोगों को है। अगर ध्यान से देखा जाये तो मंत्रालय में भी बहुत कम लोगों को होगी। यह स्कीम यह कहती है कि पूरे देश में शहरी क्षेत्र में कोई भी एन.जी.ओ., कोई भी आर.डब्लू.ए. (रेज़ीडेंट्स वैलफेयर एसोसिएशन), अगर मुम्बई की भाषा में कहूं तो हाउसिंग सोसायटी के लोग या फिर नौजवानों की जो एसोसिएशन होती है, मंडल होते हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसी ऐसोसिएशन अगर चाहें तो एक पर्टिकुलर एरिया में खास पोलिंग बूथ के एरिया में डैवलपमेंट का कोई प्रोजैक्ट बनाने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम हो या इस तरह का फिर केरेस्ट हो, कोई स्कीम बनाने के लिए 10 लाख रुपये का फंड सैण्ट्रल गवर्नमेंट से ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्त रखी गई है, वह शर्त इतनी भयंकर है, इतनी कठिन है कि इस शर्त को शायद मुम्बई में तो आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया, जबकि मैं तीन वर्षों से प्रयास कर रहा हूं। शर्त यह है कि पूरे पोलिंग बूथ में जितने वोटर्स होते हैं, उसके 51 परसेंट वोटर्स के सिग्नेचर्स चाहिए। अब अगर एक हजार वोटर हैं तो 500 वोटर्स के सिग्नेचर्स लेना, मंत्री जी, बहुत मुश्किल है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आम आदमी का सचमुच पार्टीसिपेशन हो सकता है और आपका पैसा, मंत्रालय का पैसा सही मायने में लोगों तक पहुंचेगा, लाभार्थी तक पहुंचेगा तो इस पूरी स्कीम के संदर्भ में जो आपका 50 प्रतिशत वोटरों के सिग्नेचर्स का आग्रह है, उसको कम करके 10 प्रतिशत करिये। मैं वायदा करता हूं कि आने वाले दिनों में दो वर्षों के अन्दर इस फंड का जबरदस्त इस्तेमाल होगा। इसमें चुने हुए नुमाइंदे की भी जरूरत नहीं है। जो आरडब्ल्यूएज हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी हैं, उनको सिर्फ निवेदन बनाकर भेजना है। उस निवेदन के आधार पर आपकी तरफ से फंड रिलीज होगा। वह फंड किसी एमपी या एमएलए के पास नहीं जाएगा। वह सीधे सोसाइटी के एड्रेस पर, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी के एकाउंट पर जाएगा। आपके गोआ जैसे प्रदेश में भी इसका बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में, कुछ छोटे-छोटे शहर हैं, कीर्ति भाई के दरभंगा जैसे शहर में इसका जबरदस्त प्रयोग हो सकता है। इस स्कीम को निश्चित तौर पर थोड़ा सा लिबरल बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा। समस्याएं क्या-क्या हैं? जो समस्याएं हैं, वही मंत्रालय के सामने एक चुनौती के तौर पर खड़ी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निश्चित तौर पर हमें बहुत गंभीरता से पहले समस्याओं को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या शहरों में जो है, वह पॉपुलेशन की समस्या है। गांवों में विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से माइग्रेशन हुआ, बड़े पैमाने पर लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि हमारे देश में इस समय शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा शहर अगर किसी प्रदेश में हैं तो वह तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे नम्बर पर गुजरात है। संख्या जो इस समय है, 43 परसेंट तमिलनाडु है, 42 परसेंट महाराष्ट्र है और 37 के आसपास गुजरात है। इन तीन राज्यों की स्थिति यह है और उसके बाद धीरे-धीरे बाकी राज्यों की भी यही स्थिति होगी। एक आंकड़ा ऐसा है कि वर्ष 2001 में जब 102 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी, हमारी लोक संख्या थी, उस समय अर्बन एरिया में जो लोक संख्या थी, वह 28 करोड़ थी। वर्ष 2011 में बढ़कर जब पूरे देश की आबादी 121 करोड़ हुई, तब 37 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन थी, जो कि 31 प्रतिशत थी। ऐसा एक अनुमान है, एक सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट आयी है कि वर्ष 2030 में जो शहरी लोक संख्या होगी, वह 57 करोड़ के आसपास होगी, यानी अपने देश के 57 करोड़ लोग बेसिक सुविधाओं के अभाव में एक नरक की जिन्दगी जी रहे होंगे, अगर हम लोगों ने समय रहते इस बारे में एक ठोस निर्णय नहीं लिया तो, अगर इन शहरों के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से पर्याप्त फंडिंग नहीं हुयी तो। जो सर्वे हुआ, उसमें बताया गया कि इन शहरों के विकास के लिए आने वाले बीस वर्षों में जो हमें फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वह लगभग 39 लाख करोड़ रूपए की आवश्यकता है। अगर एवरेज देखा जाए तो दो लाख करोड़ रूपए से ज्यादा प्रतिवर्ष होगा, क्योंकि आने वाले दो दशक के दो साल निकल चुके हैं, तो लगभग दो लाख करोड़ के आसपास हमें जरूरत है और मैं सही मानता हूं कि प्लानिंग कमीशन के पास मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, अपना आग्रह भेजा है, उसमें लगभग 0.25 परसेंट जीडीपी का मांगा है, लगभग एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रूपए की जो डिमांड है, वह वाजिब है। मैं उस वाजिब डिमांड का समर्थन करता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि प्लानिंग कमीशन शहरों के विकास के लिए इस मांग को पूरा करे और शहरों का विकास हो सके।

इन शहरों के विकास के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहर हमारे सामने आते हैं। मैं मुंबई को जी रहा हूं, भोग रहा हूं, मुंबई की तकलीफ को मैं जानता हूं। मुंबई की हालत यह है कि अभी यहां की पॉपुलेशन दो करोड़ के आसपास हो गयी है। दो करोड़ पॉपुलेशन के बाद जो सबसे बड़ी तकलीफ है, वह यह है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वह इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, एक नंबर पर मुंबई है और दो नंबर पर कोलकाता है। 27,300 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लंदन में अगर यही पॉपुलेशन डेंसिटी का आंकड़ा ढूंढेंगे, तो 1,200 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, कोलकाता में 24,000 के आसपास लोग रहते हैं, दिल्ली में थोड़ा सा कम है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ फैलने की थोड़ी जगह है। मुंबई जैसे शहर जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई है, उन शहरों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जो इस मंत्रालय का हिस्सा नहीं है, उसके पीछे कहने का अर्थ यह है कि लगभग साठ प्रतिशत लोग मुंबई में झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, दिल्ली की बात करें, तो 18 से 20 प्रतिशत के आसपास लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। उन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी है, बहुत ही बदतर है। ऐसे में अगर हाउसिंग हमने अपने हाथ में लिया तो इन झोपड़-

पट्टियों के विकास के कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया जा सकता है।

दूसरा जो बड़ा प्रश्न शहरों का है, वह ड्रिंकिंग वाटर का मामला है, पीने के पानी का विषय। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शहर नहीं है, जहां पर पूरे दिन घर में पीने का पानी उपलब्ध हो यानी नल से 24 घंटे पीने का पानी सप्लाई का आता हो, ऐसा कोई शहर अभी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा सच हिंदुस्तान का है। सिर्फ बीस ऐसे शहर हिंदुस्तान में हैं, जहां मुश्किल से तीन से चार घंटे पीने का पानी नल से उपलब्ध होता है। सबसे ज्यादा पानी की सप्लाई अपने लोगों को देने वाला कोई शहर हिंदुस्तान में है, तो एक नंबर पर इस समय चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ भी 12 घंटे से ज्यादा पानी एक दिन में नहीं दे पाता है और सबसे कम दुर्भाग्यवश गुजरात में राजकोट है, जहां मुश्किल से तीस मिनट पानी चौबीस घंटे में मिलता है। शहरों में रहने वाले लोगों को पानी देने का जो पूरा कार्यक्रम है, उसमें हम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मेरा आग्रह होगा कि पीने के पानी के सप्लाई के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। मैं मुंबई का दुख-दर्द आपको बताऊं तो मुंबई में चार हजार तीन सौ एमएलडी पानी हम को चाहिए। इस समय हम लोगों को सिर्फ तीन हजार एक सौ तिरानवे एमएलडी पानी मिल रहा है। इंटरनेशनल नॉर्म्स जो यूएनओ वगैरह बनाते रहते हैं कि कितना पानी पर-कैपिटा होनी चाहिए, रोज कितना पानी मिलना चाहिए तो एक सौ पचास लिटर पानी हर रोज एक आदमी को मिलना चाहिए। मुंबई में सिर्फ पैंतीस लीटर पानी लोगों को मिलता है। दस साल पहले वहां पचास लीटर पर-कैपीटा के आस-पास हिसाब किताब था। शहरों में पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और जब मैं विशेष रूप से ध्यान देने की बात करता हूं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हमको फोकस करनी चाहिए। जो रिंग वेल बनाने का स्कीम है उसके ऊपर फोक्स करना चाहिए। मुझे मालूम है कि अर्बन डेवलप मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को जो अलग-अलग सुझाव दिए हैं आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर सुझाव दिए हैं लेकिन सोसायटी वालों के पास पैसे नहीं हैं। जब बिल्डिंग बनाने का परमिशन देते हैं तो कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग तभी कंप्लिट होगी जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम लागू करेंगे। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं कम्यूनिटी पार्टी कम्यूनिकैशन फंड की बात मैं कर रहा हूं उसमें ऑलरेडी ड्रिंकींग वाटर की योजना है, लागू है, मानी जाती है उसमें अगर आपने कह दिया कि तमाम सोसायटियां और आरडब्ल्यूज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने लिए कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर उस फंड के माध्यम से सभी के लिए पीने के पानी का वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है। ऐसा मेरा आग्रह है। ...(व्यवधान)

हमारे अलग-अलग शहरों में जो पुराने लेक्स हैं उन लेक्स के लिए फंड कौन देता है उनके लिए फॉरेस्ट एण्ड एनवायरन्मेंट मिनिस्ट्री फंड देता है। कायदे से इस मंत्रालय के पास यह व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे, मुंबई में सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो वहां बारह छोटे-छोटे तालाब हैं। ये तालाब नेचुरल वाटर प्रींग होते हैं। इन तालाबों को डेवलपमेंट के जोश में लोग इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि लोग तालाब को भर कर गार्डन बना देते हैं। हमारे एक साथी ने गार्डन बना दिया। बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि अपने पैसे से खोद कर तालाब बनाओ। मैं बारह तालाबों का सुझाव दे रहा हूं कि इन तालाबों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, इन तालाबों के विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय को पूरे देश में काम करना चाहिए। मैं अपने यहां के बारह तालाबों का प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहा हूं। यह बहुत महंगा प्रस्ताव नहीं है। पांच-दस लाख रूपये में इन तालाबों का डेवलपमेंट हो सकता है। इन तालाबों के माध्यम से जो महानगरपालिकाएं हमें पानी देती हैं उसके अतिरिक्त पीने के पानी का एक वैकल्पिक व्यवस्था और पानी का जो अलग-अलग इस्तेमाल है उसके लिए हो सकता है। ऐसा मेरा एक सुझाव है।

दूसरा, जो एक बड़ी समस्या हमारे देश में है वह है सॉलिड वेस्ट का। पूरे देश में इस समय कितना सॉलिड वेस्ट जमा हो रहा है। मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो तीन करोड़ टन प्रति वर्ष हमारे देश में सॉलिड वेस्ट तैयार होता है। इसके डिस्पोज करने का अगर कोई सिस्टम होगा, टेन टू ट्वेन्टी परसेंट के आस-पास डिस्पोज होता है और बाकी सारा कचरा पड़ा हुआ है। इस समस्या से विशेष कर छोटे-छोटे शहर जूझ रहे हैं। कीर्ति भाई मेरे दोस्त हैं। मैं अचानक बोल गया लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सचमुच एक दिन मैं बिहार में रात को आप के ही शहर से गुजर रहा था। मैं रात एक बजे मधुबनी शहर से लौट रहा था। मैंने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ कचरे पड़े हुए हैं। वे सड़े हुए हैं। उनसे बीमारी फैल रही है। वे शहर को बदसूरत बना रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई मेजर प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है। जेएनएनआरयूएम में अब तक जो 127 स्कीम्स पूरे हुए हैं उसका जब मैंने स्टडी किया तो उसमें सिर्फ एक सॉलिड वेस्ट का है और संयोग ऐसा है कि वह हमारे निर्वाचन क्षेत्र मुंबई के बोरीवली का है। मुंबई के वेस्टर्न सबअर्बन एरिया का जितना कचरा जमा होता है उसको वहां डम्प कर देते हैं और बाद में उसी सालिड वेस्ट से पावर मैन्यूफैक्चर करने का प्रोग्राम चल रहा है। एक मेगावाट का पावर मैन्यूफैक्चर प्लांट डाल दिया है लेकिन आज अगर मुंबई शहर में हिसाब-किताब लगाएं तो डेली सात हजार आठ सौ मिट्रिक टन सालिड वेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको नष्ट करने का कोई व्यापक इंतजाम नहीं है। मुंबई के अलग-अलग इलाकों में जो कचरा डम्प किया जा रहा है वे सब बस यूं ही पड़ा हुआ है। ऐसे में शहरी विकास मंत्रालय को सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में बहुत आक्रामक तरीके से अपनी योजनाएं बनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए ताकि शहरों में सालिड वेस्ट का प्रोग्राम अच्छे ढंग से लागू हो सके। यह मेरा आग्रह होगा। उसके बाद जो मेडिकल वेस्ट होता है जिसको बायो मेडिकल वेस्ट कहते हैं। अस्पतालों में इस्तेमाल के बाद निडल, इंजैक्शन और बाकी इतनी सारी चीजें बाहर फेक देते हैं उसका डिस्पोज करने का कोई इंतजाम नहीं है। मेरा आग्रह होगा कि जो अस्पताल अपने अस्पताल के इस्तेमाल में आई हुई चीजों का कचरा बाहर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि उससे पूरे शहरों में जो नुकसान हो रहा है, वह रुक सके। उन अस्पतालों की जवाबदारी है कि उन सॉलिड वेस्ट को नष्ट करने का पूरा इंतजाम करे, क्योंकि वह उनका कमर्शियल धंधा है। बड़ी-बड़ी फैक्टिरयां, बड़ी-बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगी हुई हैं जिनका कचरा शहर की नदी में जा रहा है। आपको मालूम होगा कि मुम्बई की मीठी नदी काफी बड़ी थी जो बाद में नाले में बदल गई। उसी नदी के नाले में बदलने के बाद काफी बड़ा तूफान आया, शहर में काफी तकलीफ हुई। नदियां नाले में कैसे बदल रही हैं, सॉलिड वेस्ट जो नदियों में फेंका जा रहा है, यह उसी का नतीजा निकलकर आ रहा है। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट के संदर्भ में एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे शहर और दूसरे कई शहरों में प्लास्टिक बैन है, लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल चल रहा है। जो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लास्टिक के थैले में अपना सामान बेचते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। सिर्फ बैन कर देना, बैन करने के लिए एनाउंसमैंट कर देना काफी नहीं है, वह निर्णय लागू हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसका ख्याल रखने की पहली और अंतिम जवाबदारी शहरी विकास मंत्रालय की है। वह चाहे तो पुलिस महकमे, राज्य सरकार और म्युनिसिपैलिटी से नियमित तौर पर बात करके प्रभाव डाल सकते हैं।

ड्रेनेज के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल से पूरे हिन्दुस्तान में 60 से 70 प्रतिशत के लगभग ड्रेनेज ऐसे हैं जो खुले पड़े हैं। नालियां खुली पड़ी हैं। उन्हें कवर करने का कोई इंतजाम नहीं है। अव्वल तो नालियां ही नहीं हैं और जहां हैं, वे खुली पड़ी हैं। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूंगा। इस समय मुम्बई में जो ड्रेनेज सिस्टम है, वह एक सौ साल पुराना है। किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। जुलाई, 2005 में 940 एमएम के आसपास वर्षा हुई जिसमें पूरी मुम्बई डूब गई। तब लोगों ने छानबीन की कि क्या कारण है तो पता लगा कि अंग्रेजों ने जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, उससे अगर एक घंटे में 25 एमएम वर्षा होगी वह तभी पास हो सकती है, अगर उससे ज्यादा वर्षा हो गई तो पानी पास होने में एक घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। दुर्भाग्यवश उस दिन 944 एमएम वर्षा हुई थी जिसकी वजह से दस घंटे से ज्यादा समय लग गया और हाहाकार मच गया। तब कांग्रेस अध्यक्षा, यूपीए चेयरपर्सन मुम्बई आई थीं। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने बताया कि पूरे ड्रेनेज सिस्टम को चेंज करना जरूरी है। उन्होंने पूछा कि इसमें कितना खर्च आएगा। बीएसयूपी के पास पूरा प्रपोजल था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। यह पता लगा कि इसके लिए 1600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्षा ने वहीं पर घोषणा की कि मैं केन्द्र सरकार से बात

करके इस स्कीम के लिए मुम्बई शहर को जितनी फंडिंग चाहिए, वह सारी फंडिंग करवाऊंगी। सैंट्रल गवर्नमैंट ने मंत्रालय के सारे कार्यक्रम से बाहर निकलकर 1600 करोड़ रुपये दिए। लेकिन 25 एमएम का ड्रेनेज सिस्टम बढ़कर सिर्फ 50 एमएम हो रहा है। अगर अभी भी वर्षा काफी तेज हो गई तो मुम्बई को डूबना ही है। टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि मुम्बई डूब गई, सरकार कुछ नहीं कर रही है, मंत्रालय फेल हो गया, कार्पोरेशन फेल हो गया, लेकिन सच यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की पूरी स्ट्रैन्थ बहुत कम है। अगर उसे बढ़ाएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 50 एमएम कर सकते हैं, उससे ज्यादा होना संभव नहीं है।

मंत्री जी, मैंने आपके सामने हाउसिंग के संदर्भ में विषय रखा था। एक बीयूपीसी स्कीम है जो दूसरे मंत्रालय के पास है। उसके तहत यह है कि जब सर्वे होगा, उस समय जो घर में होगा, उसे घर देना है। मुम्बई में आज तक यह स्कीम लागू नहीं हुई। बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि फंडिंग आई, यह आई, लेकिन आज तक यह स्कीम लागू नहीं हो पाई। मेरा आग्रह होगा कि इस स्कीम को शहरी विकास मंत्रालाय के तहत लिया जाए। झोपड़-पट्टियों के विकास के लिए जो योजना है, हमने राजीव आवास योजना बनाई, उसकी घोषणा की। हमने कहा था कि पांच साल में स्लम फ्री हिन्दुस्तान बनाएंगे, लेकिन आज तक यह स्कीम शुरू भी नहीं हो पाई। उसके टेक्नीकल कारण क्या हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मंत्री जी के मंत्रालय का विषय नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि राजीव आवास योजना के पूरे इम्प्लीमैंटेशन का प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डैवलपमैंट के पास आए ताकि ईमानदारी से इसका इम्प्लीमैंटेशन हो और उसके जरिए झोंपड़-पट्टियों में रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन मिल सके।

बेरोजगारी दूर करने के लिए हम मनरेगा जैसी स्कीम लाए। यह एक बहुत ही सफल कानून, व्यवस्था है और उसका लाभ गांव-गांव में लोग उठा रहे हैं। उसमें लोग तरह-तरह के कमैंट कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि हिन्दुस्तान के गांवों में मनरेगा ने क्रान्ति की है। आज वैसी ही बेरोजगारी शहरों में भी है। शहरों में भी मनरेगा जैसी स्कीम होनी चाहिए। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना है, लेकिन उसका एक भी लाभार्थी आज तक मुझे मुम्बई में नहीं दिखा। शहरों में पावर्टी एलिविएशन और इम्प्लॉयमैंट जनरेट करने की हमारे पास जो स्कीम है, उसके पास एक साल के लिए 900 करोड़ रुपये का फंड होता है। 900 करोड़ रुपये में क्या होना है? इस स्कीम में थोड़ा ध्यान दिया जाये और शहरों में रोजगार सृजित करने और शहरों के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के संदर्भ में इस स्कीम को आप अपने मंत्रालय के जरिये लागू करें, ऐसा मेरा आग्रह होगा। यदि हम शहरी व्यवस्था की बात करें और शहरों में रहने वाले लोगों की बीमारी की चर्चा न करें, तो पूरी चर्चा अधूरी रह जायेगी। आज मुम्बई, दिल्ली या किसी भी शहर में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ बीमारी और बीमारी का महंगा इलाज है। शहरों में दो तरह के अस्पताल हैं--सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल। अगर आप सरकारी अस्पताल में जायेंगे, तो फ्री में इलाज हो जायेगा, लेकिन आप ठीक होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। यदि आप प्राइवेट अस्पताल में जायेंगे, तो आप ठीक हो जायेंगे, यह सही है। लेकिन इतना भारी बिल होगा कि घर आते-आते दोबारा बीमार पड़ जाते हैं। गरीब लोगों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है या अपना गहना या घर गिरवी रखना पड़ता है। ऐसे में जिस प्रकार से एनआरएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना) स्कीम है, बिल्कुल उस प्रकार की स्कीम अगर शहर में रहने वाले लोगों के लिए लागू हो, तो शहर के गरीब लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल सकती है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि शहरी विकास मंत्रालय कहीं न कहीं शहरों मे रहने वाले गरीब लोगों की हैल्थ के बारे में चिंता करे। उसके संदर्भ मे कोई स्कीम हो सके, तो बनायें ।

अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना शुरू की है, जिसके तहत डेढ़ लाख रुपये का मेडिकल एंश्योरेंस फ्री में लोगों को दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड ऑरेंज या पीले कलर का है, यानी लगभग सवा दो करोड़ राशन कार्ड होल्डर ऐसे हैं, पूरे महाराष्ट्र की आबादी साढ़े नौ करोड़ है, सवा दो करोड़ मतलब आठ-साढ़े आठ करोड़ लोगों को हम कवरेज दे रहे हैं। इस स्कीम के माध्यम से 800 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमैंट अपनी जेब से दे रही है ताकि गरीब लोगों को, इस वर्ग को पूरी तरह से मेडिकल कवर मिल सके। मेरा आग्रह है कि मेडिकल एंश्योरेंस जैसी स्कीम को शहरी विकास मंत्रालय चाहे तो अपने हाथ मे लेकर हिन्दुस्तान के अलग-अलग शहरों मे रहने वाले लोगों के विकास, विस्तार के लिए उसका उपयोग कर सकती है।

अंत में मेरे एक-दो विषय और रह गये हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ट्रांसपोर्टेशन का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऑटो वाले कब स्ट्राइक कर देंगे, मालूम नहीं। टैक्सी वाले कब स्ट्राइक कर देंगे, मालूम नहीं। मुम्बई में जो लोकल ट्रेनें हैं, वे लगभग 74 लाख लोगों को प्रतिदिन ढोती हैं। लोकल ट्रेनों में लोग जिस तरह से सफर करते हैं, वह सफर नारकीय जिंदगी को भी शर्मसार कर दे। ऐसे में बसों की व्यवस्था होनी चाहिए। बसों की व्यवस्था में आपने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आपने तमाम बड़े-बड़े शहरों को, विशेषकर मेगा सिटीज को अच्छी वॉल्वो बसें दी हैं। इन बसों की व्यवस्था को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आग्रह यह होगा कि इन बसों को देते समय आप वहां के महानगर पालिका के साथ एक आग्रह रखिए कि जितनी बसें दे रहे हैं, उसके अनुपात में आप रास्तों का भी विस्तारीकरण कीजिए। उनकी भी वाइडनिंग कीजिए, रास्ते बनाइये, वर्ना यह हो रहा है कि बसें तो आ-जा रही हैं, लेकिन रास्ते बढ़ नहीं रहे हैं। उन्हीं रास्तों में अगर ये बसें चलेंगी तो रास्तों में और भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जायेगी। ट्रैफिक की बसों और ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की वजह से समस्या है, उसे दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा आग्रह होगा।

मैट्रो के संदर्भ में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली मैट्रो आपकी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सैस स्टोरी है। इसके लिए मैं पूरे मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा। आप कई और राज्यों में भी मैट्रो लेकर आना चाहते हैं। हमारे यहां अनोखा मैट्रो आ रहा है। बाकी जगह अर्बन डेवलपमैंट मिनिस्ट्री अपनी मैट्रो लेकर आ रही है, लेकिन हमारे यहां वह पीपी प्रोजैक्ट है। पीपी प्रोजैक्ट के लिए आप वीजीएफ (वायेबिलिटी गेप फंड) देते हैं। जब आप वायेबिलिटी गेप फंड देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका इंटरवैंशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे घर से 50 मीटर दूर पहली मैट्रो स्कीम आ रही है। वह मैट्रो प्रोजैक्ट वर्सोवा से घाटकोपर के लिए वर्ष 2011 में पूरा होना था, लोकिन अब वर्ष 2012 आ गया है। यह कहा नहीं जा सकता कि वह कब पूरा होगा। उसके पूरा नहीं होने की वजह से जहां-तहां खुदाई हो रखी है। इसके कारण सोसायटी में रहने वाले लोगों की जिंदगी नरक जैसी है। किसी की भी दुकान वे सैट बैक में ले लेते हैं। लोग 50, 60 और 70 साल से दुकान चला रहे हैं और अचानक एक नोटीफिकेशन आ जाता है कि इस रास्ते से मैट्रो गुजरेगी, इसलिए आपको दुकान बेचनी पड़ेगी। आप दुकान खाली करके जाइये। जो लोग तीन-तीन जनरेशन से उस दुकान से धंधा, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैट्रो के लिए या किसी भी डेवलपमैंट ऑफ प्रोजैक्ट के लिए उसे अपनी दुकान खाली करनी है, तो उसे एक वायेबल बिजनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसे आप नहीं कर सकते कि यहां से 50 किलोमीटर दूर मुम्बई से बाहर एक दुकान खोल लो। वहां दुकान कैसे चलेगी? यह जो पूरा मैट्रो का प्रोजैक्ट है, जिसके इम्प्लीमैंटेशन का आपका कार्यक्रम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा मानवीय नजरिया एप्लाई करने की आवश्यकता है।

आपकी जो बीआरटीज़ की स्कीम थी, वह बहुत अच्छी स्कीम थी। मैं अहमदाबाद को बधाई देना चाहूंगा। बीआरटीज़ के क्षेत्र में अहमदाबाद एक बहुत बड़ी सक्सैस स्टोरी है। बहुत अच्छा बीआरटीएस वहां लागू हुआ, लेकिन अहमदाबाद के अलावा हिन्दुस्तान के किसी भी शहर में लागू नहीं हो पाया। दिल्ली में बहुत ही जोश के साथ इसको शुरू किया गया था, लेकिन कार वाले, मोटर वाले, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, उनके विरोध की वजह से रुक गया। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि बीआरटीएस दिल्ली में भी लागू हो, बढ़िया से लागू हो और मुंबई जैसे शहर में भी जब आप बसें देते हैं, तो उस के साथ-साथ ऐसा प्रॉविजन कीजिए कि वहां भी बीआरटीएस लागू हो। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि शहरों में रहने वाला वर्ग पढ़ा-लिखा वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके अंदर एक

जबर्दस्त फ्रस्ट्रेशन आ रह है। ठीक है, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण हम भ्रष्टाचार और महंगाई देखते हैं, यह एक कारण हो सकता है और है भी। लेकिन उससे भी बड़ा एक कारण यह है कि उसको जो नागरिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिंदगी जीने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसके बावजूद कि वह नियमित तौर पर टैक्स देता है, वह नियमित तौर पर टैक्स देने के लिए तैयार है, उसकी वजह से उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, उसको समझने और पहचानने की आवश्यकता है। पिछले साल अलग-अलग मुद्दों पर जो सामाजिक आंदोलन शुरू हुए, उनमें सबसे ज्यादा भागीदारी शहरी लोगों की थी और भागीदारी इसलिए थी क्योंकि वे निश्चित तौर पर एकदम कुंठित हो चुके हैं अपनी जिंदगी की व्यवस्थाओं से, उन व्यवस्थाओं को बेहतर करना और शहर में रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन देना आपकी एक जवाबदेही बनती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में, जब जेएनएनयूआरएम दो साल के लिए बढ़े और उसके बाद फिर पांच साल बढ़े, जब यह व्यवस्था हो, तो शहरों के विकास के लिए, शहरी लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाएं, उन योजनाओं को लागू करें। जेएनएनयूआरएम जैसी योजना को लागू करने के लिए उसके समय मॉनीटरिंग का एक प्रपोजल था कि उसकी मॉनीटरिंग और विजिलेंस कमेटी होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र के एमपीज सदस्य होंगे। आपके यहां से शायद आदेश भी आ गया है, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना नहीं पहुंची है। हमें अभी तक राज्य सरकार से या महानगरपालिकाओं की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, हमको कुछ नहीं पता कि भारत सरकार का कितना पैसा मुंबई शहर के विकास के लिए, मुंबई शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नालों की सफाई के लिए, रास्ते बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए या मेट्रो बनाने के लिए वीजीएफ कितना गया। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय की स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन में हम एमपीज की भूमिका थोड़ी बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि मॉनीटरिंग कमेटी में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टीसिपेट करने का मौका दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

CUT MOTION

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): सभापति महोदय, शहरों में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अगर अभी से कोई नियोजित विकास की योजना नहीं बनाई गयी, तो हमारा सारा विकास आगे जाकर कहीं न कहीं प्रभावित होगा क्योंकि शिक्षा शहर में, स्वास्थ्य शहर में, व्यापार शहर में, उद्योग शहर में, सत्ता के केन्द्र शहर में हैं। गांव से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अपने देश के अलावा पड़ोसी देशों से जो लोग यहां पर अपना पेट भरने के लिए आ रहे हैं, सड़क के किनारे झोपड़े बनाकर रहते हैं, कूड़ा बीनकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन नागरिक सुविधाएं उन्हें भी चाहिएं, पानी उन्हें भी चाहिए, शौचालय उन्हें भी चाहिए। एक आस्ट्रेलिया हमारे देश में केवल बांग्लादेश से आए हुए लोगों से बन गया है। हम अपने गांवों से पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, शहरों में उन्हें सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और बाहर से आए हुए लोग शहर में बस रहे हैं। आवास की कोई सुविधा नहीं है। यह बड़ी गंभीर स्थिति बनती चली जा रही है। यह विभाग बहुत से काम करता है, शहरी विकास के अंदर बहुत से काम हैं, लेकिन मैं अपने को केवल उन कुछ बिन्दुओं तक सीमित रखूंगा जो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं।

15.00 hrs

मैं समझता हूं कि एक परम्परा बन गई है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, लोगों को लगता है कि उनके मन में हमारी समस्याओं के प्रति न तो कोई विश्वास है और न ही उन्हें लोकतंत्र में आस्था है कि उसके आधार पर अपने अनुभवों से वे कुछ सुधार करें। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा काफी लम्बा अनुभव है। मैं एक कार्पोरेटर से लेकर इस विभाग का प्रदेश में बरसों तक मंत्री रहा हूं। इतने संसाधन होने के बावजूद भी लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मैंने वे दी हैं और लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में मेरा नाम है कि जो नए टाउन्स बन रहे हैं, इनके लिए जितने विकास के काम हमने किए हैं, विश्व में कहीं नहीं हुए हैं।

आज शहरों की हालत क्या हो रही है, यह हम सभी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी भारत की है और सबसे अधिक शहरीकरण भी यहीं हो रहा है। दो दशक बाद यहां एक करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। बहुत से देशों की आबादी तो एक करोड़ भी नहीं है। हमारे देश में इतना शहरीकरण हो जाएगा कि एक करोड़ की आबादी से अधिक शहर यहां सबसे ज्यादा होंगे। आप इन आंकड़ों अध्ययन करें तो पता चलेगा कि दुनिया की आबादी का कुल 17.5 प्रतिशत हिस्सा भारत में है, और ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, जबकि दुनिया में कुल जमीन के हिस्से का सिर्फ 2.4 प्रतिशत ही हमारे यहां है। अगर जमीन और आबादी के अनुपात को जोड़ें तो शायद दुनिया में सबसे बड़ा शहरीकरण इसी देश में हो रहा है। इसे देखने के लिए कोई योजना नहीं है। हम योजनाएं तो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका दम घुटने लगता है, वे अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। कई बार केन्द्र सरकार यह कहकर बच जाती है कि यह राज्य का विषय है। है, लेकिन जो आपका पैसा जाता है, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी मानिटरिंग करना, सक्षम योजना बनाना और फंड उपलब्ध कराना, क्या कोई राज्य इससे इनकार करेगा? लेकिन जब यह हालत हो जाएगी कि हम कुछ लाभ के लिए बहुत खर्च करेंगे और बहुत लाभ के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर उसका नतीजा सकारात्मक नहीं निकलेगा। यह सिद्धांत सत्ता के लिए और विकास के लिए बहुत घातक है।

हर चीज जीवन के लिए है, जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें पानी चाहिए। क्या मानकों के अनुसार पानी मिल रहा है? सरफेस वाटर पीने लायक नहीं रहा है, नदियां प्रदूषित हो गई हैं। भू-जल का स्तर काफी नीचे जा रहा है। मैं उस एक व्यक्ति की बात को यहां कोट करना चाहूंगा, जो इस देश के प्रधान मंत्री भी रहे और बराबर यह कहते थे कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो तेल के लिए नहीं, पानी के लिए होगा। वह इस बात का बरसों एलान करते रहे हैं। आज वह समस्या सामने आ रही है कि जमीन का पानी काफी नीचे जा रहा है। थोड़े दिनों के बाद जल की आपूर्ति का साधन कुछ नहीं बचेगा।

मैंने बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की थी। मैंने नियम बनाया था कि जो बी मकान बनेगा, उसमें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तो उस मकान का नक्शा रिलीज नहीं होगा। लेकिन सरकारें बदलती हैं तो नीतियां बदल जाती हैं। प्रोग्राम की कांटिन्युटि नहीं रहती है, वह वहीं रुक जाता है। आज जितनी बड़ी-बड़ी सरकारी इमारतें हैं सरकार उनमें पैसा खर्च करके, वहां पर इस तरह के प्लांट्स बना दे तो जितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसका 5 से 10 प्रतिशत वापस जमीन में चला जाएगा। लेकिन हम पानी के उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पानी का उपभोग जरूरत से ज्यादा हो रहा है।

दूसरी समस्या सफाई की है। मेरा सौभाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश में और देश में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का कानून संसद ने पास किया था। उसके बाद पानी की जरूरत और हुई। पानी नहीं है। बहुत से एनजीओज को मैंने देखा कि यहां से पैसा ले जाते हैं और उन्होंने एक सोक-पिट बना दिया, कभी किसी ने सोचा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये सोक-पिट बनाकर और मल-निस्तारण किया जाएगा तो जो बचा हुआ पानी है उसका जो पॉलुशन होगा, उससे कितनी मौतें होंगी,

कितनी बीमारियां फैलेंगी। आपके चिंतन में इस बारे में कुछ है ही नहीं। इसे एक अभियान के रूप में चलाना चाहिए, खाली विज्ञापन से नहीं होगा कि पानी बचाइये। कौन बचाएगा? पानी का उपभोग ज्यादा बढ़ेगा। हो यह रहा है कि जिस देश में लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है वहां कई हजार करोड़ रुपये का पानी पीने के लिए बोतल में बिकता है। एक बहुत बड़ा मजाक है कि विशुद्ध पानी अगर नहीं मिलेगा तो जिनकी जेब में पैसा है वे तो खरीद लेंगे लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा। आज देश के कई शहरों में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीले पदार्थ मिल रहे हैं जिनके पीने से फ्लेरिया और तमाम तरह से रोग पैदा हो रहा हैं। सब को मालूम है और सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसके लिए क्या कभी किसी ने सोचा कि यह जिम्मेदारी किसी सरकार की है?

आज आपका स्वास्थ का बजट इसीलिए बढ़ता जा रहा है और आम आदमी की पॉकेट से भी पैसा इसीलिए निकलता जा रहा है। कारण यह है कि सफाई नहीं है और पीने का पानी नहीं है। सरकारों के पाप का दंड निर्दोष नागरिक पा रहे हैं। उन्हें पैसा खर्च करना पड़ा है। करीब 80 फीसदी शहरों में कूड़ा विस्तारण की व्यवस्था नहीं है। एक शहर में कई सौ टन तक कूड़ा निकलता है और यहां से उठाकर वहां फैंक दिया जाता है, फिर वहां से उठाकर कर यहां फैंक दिया जाता है। लेकिन पर्यावरण में जो उसकी गैस निकल रही हैं, ये मानव जीवन के लिए घातक हैं।

15.09 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मैंने एक योजना शुरु की थी। उस समय भारत सरकार की भी मलिन बस्ती सुधार और गरीबी उन्मूलन योजना थी। उसमें काफी पैसा राज्यों को जाता था और एनजीओज के माध्यम से खर्च हो जाता था। उन्हीं पैसों से और दूसरे विभागों से मिले पैसों को मिला कर पांच रुपए और दस रुपए रोज के ऊपर सारी सुविधाओं से युक्त एक मकान उस आदमी को दिया, जो सड़क के किनारे झोपड़ें में रहता था। एक सम्पूर्ण बस्ती, जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते थे, वहां शिक्षण के लिए एक स्कूल भी था। उस बस्ती में गरीब बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क भी था। आप सदन की पुरानी प्रोसीडिंग्स पढ़ें। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और इन निराश्रित गरीब लोगों को मकान देने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में पांच-दस रुपए रोज के ऊपर मकान मिल सकता है, तो सारे देश में क्यों नहीं मिल सकता। मुझे खुशी है कि उन्होंने सारे देश के लिए वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना बनाई थी, जिसमें 40 हजार रुपए उस समय मिलते थे। बीस हजार रुपए अनुदान था और बीस हजार बिलकुल नामिनल ब्याज के ऊपर आसान किश्तों पर मिलते थे। कुल मिलाकर उसकी औसत दस-पन्दूह रुपए रोज के हिसाब से आ जाती थी। वह योजना बंद हो गई है।

महोदय, आज सबसे ज्यादा जमीन का अवैध व्यापार शहरों में हो रहा है। उससे अपराध बढ़ रहे हैं और रोज हत्याएं हो रही हैं। यह बात तो पुराने समय से कही जाती है कि ज़र, जमीन और जोरू के कारण अपराध बढ़ते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अपराध जमीन के कारण बढ़ रहे हैं। किसान की जमीन ले ली, उस पर फर्जी कब्जा कर लिया। एक नक्शा कागज में बना दिया और उसे सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद वह दुकान बंद हो गई और सोसायटी के नाम पर काम शुरू हो गया। आप कल्पना कीजिए कि वहां न सीवर है, न नाली है और न ही पीने का पानी है, लेकिन नक्शे में सब मौजूद है। फिजिकल वहां दस फीट की गली छोड़ दी गई। मैं लखनऊ का उदाहरण देना चाहता हूं कि हर रोज तीस हजार वाहन हर महीने रजिस्टर हो रहे हैं। क्या व्यक्ति अपने मकान के सामने वाहन खड़ा करने की स्थिति में है? देश में यातायात बढ़ रहा है और सड़कें सिकुड़ रही हैं। गांव से पलायन हो कर जो आ रहे हैं, उन्हें रोजगार चाहिए। वे बड़े शहरों में आते हैं और सड़क के किनारे जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी रोजी कमाते हैं और रहते हैं। एनडीए सरकार के समय फेरी नीति बनी थी, जिनमें फेरी वालों के लिए योजना बनाई गई थी। आज तक वह योजना लागू नहीं हुई है। इसकी वजह भ्रष्टाचार भी है। जितना रेवेन्यु बड़े शहरों में सरकार को मिलता होगा, उतना पैसा इन लोगों से पुलिस और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की जेब में चला जाता है। मेहनतकश के हाथों से वह पैसा छीनकर भ्रष्टाचारियों के पास जा रहा है। सरकार ने फेरी नीति बनाई है और उनका कल्याण कर रही है, उन्हें सरकार सब कुछ देगी, इस बात को दोहराया जाता है।

अभी संजय जी कह रहे थे कि लोगों को उजाड़ा जाता है। मैं कह सकता हूं कि मैंने हजारों लोगों को उजाड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला, जिसे मैंने वैकल्पिक जगह नहीं दी। पहले जो बुरी जिंदगी गुजार रहे थे, आज वे मध्यम दर्जे के दुकानदार बन गए हैं। अगर आप सुनियोजित योजना के तहत शहर का विकास करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएंगे। अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी जेएनयूआरएम योजना शुरु की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के निर्माण में मेरा भी हाथ था। ...(<u>व्यवधान</u>) जगमोहन जी इस विभाग के मंत्री थे। सारे देश के आवास और शहरी विकास मंत्रियों का वह सम्मेलन बुलाते थे। इस योजना का कांसेप्ट कब आया? यह योजना कब आई? आप इस बात को छोड़ दीजिए।...(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। अभी आप सब शांत रहिए।

श्री लालजी टण्डन : मैंने आपसे कहा कि जेएनयूआरएम में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि आने वाले समय में सुविधाओं के बजाए लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। मैंने आपसे कहा था कि ग्राम विकास में जोशी जी जब उस विभाग के मंत्री थे तो उस समय जितनी केन्द्रीय योजनाएं चल रही थीं, उनकी समीक्षा के लिए उन्होंने एमपीज को शामिल किया और उनकी एक समिति बनाई। मैंने आपसे यह कहा था कि कम से कम उसमें एमपीज का, एमएलएज का चुने हुए लोगों का इंवाल्वमेंट हो। जब इस योजना पर चर्चा हो रही थी तब यह बात आई थी कि लोकल बॉडीज के पीएलएए में सीधे पैसा जाएगा और सारा विकास उनके माध्यम से होगा लेकिन आज ये अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था और इसकी मजबूती चाहे ग्रामीण हो या शहरी निकाय हों, तीन नामों को लोग नहीं भुला सकते। महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज्य, राजीव गांधी जी का योगदान इसमें यह था कि उन्होंने इसको संवैधानिक दर्जा दिया। आप उन्हें भी भूल गये और तीसरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने शहरों के समग्र विकास की योजना में सड़कें भी हों, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हों, झुग्गी-झोंपड़ी भी खत्म हों, पेयजल भी सबको मिले, सुनिश्चित सीवर व्यवस्था भी हो, ये सारी उपज उस वक्त की है। हालांकि आप इसका श्रेय ले सकते हैं कि यह योजना आपने बनाई लेकिन यह सुझाव मेरा था। उस समय केवल कुछ ही शहर भारत में थे जिन्हें पचास प्रतिशत की सहायता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार देती थी। मैंने कहा कि वे मेगा सिटी आपकी डिक्शनरी में है। उन मेगासिटीज का दायरा बढ़ा दीजिए। ग्राम विकास के लिए आप जो दे रहे हैं, वहां से भागकर लोग शहर में आ रहे हैं। शहर को वे कुछ दे नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें। आपको बोलते हुए बीस मिनट हो गये हैं। बाकी मैम्बर्स भी इस पर बोलना चाहेंगे। आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री लालजी टण्डन : सभापति जी, मैं अपनी बात संक्षिप्त कर रहा हूं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी शहरी बुनियादी ढांचा रिपोर्ट के अनुसार अब 29 लाख करोड़ रुपये की जरुरत है और यह आपकी कुल जीडीपी दर की आधी रिक्वायरमेंट है। आप कितना दे रहे हैं? मेगेन्जी ग्लोवर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। इंडियाज अर्बन अवेकनिंग के अनुसार इसके लिए करीब 1.2 लाख करोड़ डॉलर यानी मौजूदा जीडीपी की 80 प्रतिशत रकम की जरुरत होगी। कहां से लाएंगे? अब मैं यह भी

अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप 80 प्रतिशत इसी पर खर्च कर देंगे। लेकिन आपके पास विकल्प होना चाहिए कि इतना पैसा देंगे, इतना इस समस्या के निदान के लिए दूरगामी योजना बनाएंगे। अभी न तो आपके पास कोई योजना है और न ही कोई कार्यक्रम है। अगर है और जो थोड़ा बहुत आप भेजते हैं वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

महोदय, अब मैं पोलीथीन की बात कहता हूं। कहा जाता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती है ऐसे ही एक पदार्थ पैदा हो गया जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न ही जमीन सोख सकती है, वह है पोलीथीन। बड़ी सुंदर इमारतें बनी हैं, आप उनके पीछे जाकर देखिए कि पोलीथीन बैग्स का अंबार लगा हुआ है। जितना बड़ा है वह उतना ही प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। कितने ही प्राइवेट मैडिकल अस्पताल और नर्सिंग होम हैं, क्या इनके लिए कचरे के निर्धारण के लिए कोई प्रोवीजन हैं? कहीं बन गया और बाकी यूं ही चल रहे हैं। संक्रामित रोगों से ग्रसित कूड़े में पड़ा कचरा नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने कुछ प्रयोग किए थे। जैसे शहरी विभाग के अलग-अलग फंड की एक समन्वित योजना हो जाए, एक-दूसरे में समन्वय हो जाए तो आप बहुत से काम उसी बजट में कर सकते हैं। मैंने यह देखा है और इसमें बड़ी सफलता मिली। निर्वाचित निकाय के अधिकारों को जबर्दस्ती छीनने का अभियान चल रहा है। 74वां संशोधन इन्हें पूर्ण स्वायत्तता देता है। लेकिन आज सरकार ने मजाक बना दिया है। उनके पास अधिकार नहीं हैं। जेएनएनयूआरएम में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैसा दे रहे हैं। यही योजना लागू नगर निगमों पर लागू करनी थी लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम दूसरे के पास है। आप व्यावहारिक रूप में मान रहे हैं कि यह शहरी विकास का काम है लेकिन वह अलग विभागों में बंटा हुआ है। 74वें संशोधन के अनुसार बहुत से कामों की व्याख्या की गई है जो स्थानीय निकाय को दिए जाने चाहिए तभी पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी। जनता के हाथ में सत्ता जब आएगी तब लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होगा और स्वायत्तता की रक्षा होगी।

महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप कुछ करके दिखाएंगे। यह कहकर काम नहीं चलेगा। आम तौर से लोग कहते हैं कि यह राज्य का काम है। अगर यह राज्य का काम है तो फिर केंद्र का क्या काम है? केंद्र के पास अधिकार तो है कि जो पैसा आप दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग न हो, ऐसा है तो रोकें। इसमें राज्य के अधिकारों का कोई हनन नहीं है। जो पैसा विकास के लिए जाता है वह उस काम में लगे। अगर इसमें केंद्र सरकार का पैसा है तो केंद्र सरकार के अधिकार में है, मैं वकालत करता हूं कि वह उनके पास रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा, कह नहीं सकते।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अब कहने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सरकार की वही रफ्तार बेढंगी, वही अंदाज बेगाना, जो पहले था, वह अब भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैंने यहां पर बोलकर केवल रस्म अदायगी की है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें से एक बिन्दु पर भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members those who want to lay their written speeches, may give it at the Table of the House.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): At the outset, I would like to say today in all parts of the country the population in urban areas are increasing day by day due to migration of peole from remote rural places to cities and towns in the country considering the better living conditions prevailed there.This demands more expansion of infrastructure in the town and cities.The Government has taken several measures to improve it, but still many more needs to be done, if India to become a slum free country in the world. India is urbanizing very fast and along with this, the slum population is also increasing. India's urban population is increasing at a faster rate than its total population. With over 575 million people, India will have 41% of its population living in cities and towns by 2030 from the present level of 286 million and 28%. However, most of them do not have access to basic facilities like drinking water and sanitation. Among the urban poor, the slum dwellers are the poorest. The very definition of slums points at the acute drinking water and sanitation crisis for the slum dwellers. A slum in India is defined as a cluster inside urban areas without having water and sanitation access. When I talk about the sanitation condition in India, I remember the other day both the Prime Minister and Hon'ble Minister for Sanitation have described it as a national shame. In India we have more mobile connections than toilets. This situation we need to change. It is only possible thorugh the central government coming out with much bigger schemes and plans. All the economies in the world predicts that India is going to be the number one super power in the world in all aspects, but the reality we see today needs more correction.

Today we are witnessing growth in central pockets and the growth is not spread equally. The reason being is that our development is not balanced. Therefore, the time has come to ensure that development takes place on equal terms, so that we can prevent unwanted migration of people from one place toanother.

I have information that many organizations wish to put up their works or offices in area where the conjunction is less, but what prevent them from doing so is lack of infrastructure such as absence of good roads, public roads transport system etc. Therefore, I request the Government to pay much attention to it so that we can see a balanced development taking place all over the ocutnry.Another thing which I would like to mention here that many state government have shown keen interest to have Delhi Metro like mass road transport system in all States. I would like to mention here that the government should encourage the States which wish to go in for MRTS/Metro. The central government should provide all assistance to the state government in this regard.

I support the Demands for Grants of Ministry of Urban Development.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन) : केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए मिशन जेएनएनयूआरएम योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 7935 टाउनों हेतु लाखों करोड़ रूपये प्रदान करने पर मैं धन्यवाद करता हूं। इस योजना के अंतर्गत 739 सिटी कवरड करना 1367 प्रोजेक्ट स्वीकृत करना व 269 प्रोजेक्ट का पूर्ण होना सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए मा.मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2021 तक मुम्बई शहर को संसार के लोकप्रिय शहर टोक्यों से भी अधिक सुन्दर बनाने का जो सपना सरकार ने देखा है। अगर इसी तरह राज्यों में इस योजना की राशि में भ्रष्टाचार होता रहा तो मिशन की सफलता में दिक्कतें आएंगी। जिस उद्देश्य से यह मिशन प्रारम्भ किया था राज्य सरकारें विशेषकर मध्य प्रदेश में भारी पैमाने पर इस मिशन के रूपये का दुरूपयोग हुआ है।

मेरे संसदीय क्षेत्र उज्जैन में सरकार द्वारा पेयजल लाईन बिछवाने के लिए पैसा दिया गया इन्दौर में आवास बनाने के लिए पैसा दिया गया लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों ने मिलकर राशि का भारी पैमाने पर दुरूपयोग किया है। उज्जैन में जो पाईप लाईन बिछाने का कार्य इस योजना के अंतर्गत हुआ है इसमें भारी घोटाला हुआ। मैंने इसकी शिकायत शहरी विकास मंत्रालय को की। मेरी शिकायत पर उज्जैन में केन्द्र से जांच दल गए उन्होंने भारी अनियमितताएं पाई लेकिन राज्य सरकार ने एक भी अधिकारी या संबंधित कम्पनी पर कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए दिल्ली, बैंगलौर, कोलकता, चैन्नई आदि प्रमुख शहरों को मंजूरी दी है। मैं मा. मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल व इन्दौर शहर में भी इस परियोजना को मंजूरी दी जाए।

जेएनएनयूआरएम योजना अंतर्गत सरकार ने बसो हेतु मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को करोड़ों रूपये उपलब्ध करवाए। मा0 कमल नाथ जी भी मध्य प्रदेश से आते हैं वो बताए कि राज्य सरकार की कितनी बसें चल रही हैं। इन्दौर शहर में स्वीकृत बीआरटीएस का कार्य भी अधूरा व काफी धीमा है। इसमें तीव्रता लाई जानी चाहिए। उज्जैन एक धार्मिक स्थली है यहां पूरे देश से श्रद्धालुओं का आना–जाना लगा रहता है। शहरी विकास मंत्रालय के पास सीवरेज सिस्टम उज्जैन, परियोजना लंबित है, इसे अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

इस धनराशि का जो दुरूपयोग हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। राज्य और केन्द्र की इस संयुक्त योजना में जांच करने और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने व योजनाओं के चयन का अधिकार केन्द्र के पास होना चाहिए क्योंकि पैसा केन्द्र राज्यों को आवंटित करती है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पसंदीदा जगहों पर कार्य करवाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ होना है। देश विदेश से यहां करोड़ों व्यक्तियों के आने की संभावना है। वर्तमान बजट में महाकुंभ के लिए कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। जैसे इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार आदि जगहों पर महाकुंभ होते हैं उनमें पहले ही कार्य शुरू हो जाते हैं। उज्जैन के आगामी महाकुंभ को देखते हुए अभी से कार्ययोजना बनाकर महाकुंभ की तैयारी करेंगे तभी हम महाकुंभ को सफल बनाने में कामयाब होंगे। यदि सरकार ने एन वक्त पर पैसा दिया उसमें आधे अधूरे कार्य होंगे तथा भ्रष्टाचार होने की ज्यादा संभावनाएं होगी इसलिए मेरा शहरी विकास मंत्री जी से निवेदन है कि उज्जैन हेतु विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि अभी से कार्य प्रारम्भ हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2012-2013 की शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी मैं सम्मानित सदस्य, श्री संजय निरूपम और आदरणीय लालजी टंडन को सुन रहा था। यह बात सत्य है कि आज यदि देखा जाए तो पूरे देश में 68 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है और 13 शहरों में 40 लाख से ज्यादा आबादी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि प्रति सैकिंड दो व्यक्ति शहर में आ रहे हैं और प्रतिदिन एक लाख 80 हजार लोग शहरों में प्रवेश कर रहे हैं। ये स्थिति संयुक्त राष्ट्र की है। 2008 में देश में शहरी आबादी 34 करोड़ थी और आने वाले समय में योजना आयोग से 12वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आपने भी लक्ष्य बनाया होगा, 2030 में शहरों की आबादी 59 करोड़ होगी। ये आंकड़े बताते हैं, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है।

अब हम शहरी विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सरकार का ध्यान आकृर्षित करना चाहूंगा, यहां मंत्री जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, यह सबसे बड़ा प्रदेश है। जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ कागजों में हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक 22 करोड़ के करीब हो गई है। जो दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। यदि बिहार को देखा जाए तो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन दोनों प्रदेशों के शहरों की स्थिति बहुत दयनीय है।

यहां अभी मेगा सिटी की बात हो रही थी। मेगा सिटी में पुणे, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद को आपने प्रथम चरण में रखा है। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई भी उसी श्रेणी में आते हैं। पिछले 18 वर्षों में आप केवल सात मेगा सिटी दे पाये हैं। लेकिन इन मेगा सिटी की स्थिति भी बहुत बदतर है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसी सदन में शहरी विकास मंत्री, श्री जयपाल रेड्डी जी थे, जो इस वक्त पैट्रोलियम मंत्री हैं। मैंने उनसे एक क्वैश्चन में मांग की थी कि आपने शहरों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन लागू किया, यह आपने महानगरों में प्रथम चरण में लागू किया। इसी में मैंने एक क्वैश्चन में मांग की थी और उन्होंने माना की जिस शख्सियत के नाम से ये योजना है, कम से कम जनपद इलाहाबाद में उसे शुरू किया जाए। 2007 से आपने शुरू किया, लेकिन 2009

से उन महानगरों में काम शुरू हुआ। मैं उस पर बाद में विस्तार से जाना चाहूंगा। वहां आपने वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टोर वाटर, ड्रेनेज, सड़कें, मैट्रो, स्ट्रीट लाइट, आवास और पेयजल आदि की आपने वहां व्यवस्था की।

सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अन्य प्रदेशों के अलावा उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। मेरे ख्याल से विगत 5-10 वर्षों का रिकार्ड देखा जाए तो आपने कितना धन स्वीकृत किया है, कितनी परियोजनाएं लागू की हैं, इसका भी चिंतन-मंथन और मूल्यांकन करना पड़ेगा, तभी हम शहरों का विकास कर सकते हैं। जैसा कि लालजी टण्डन जी ने कहा है, सबसे कम परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। इनका उत्तर प्रदेश में बड़ा अनुभव रहा है और बराबर मंत्री रहे हैं।

अब मैं मैट्रो ट्रेनों की बात करना चाहूंगा क्योंकि अभी यहां पर मैट्रो ट्रेन की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कबाल टाउन में मैट्रो ट्रेनों की व्यवस्था के लिए घोषणा की है। मैं इस सदन के माध्यम से युवा मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो परिकल्पना और सपने संजोए हैं वे जरूर पूरे हों। उसके लिए केंद्र सरकार जरूर मदद करे। मैं जानता हूँ कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया तो मेरे ख्याल से पूरे देश का विकास हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसकी आबादी 22 करोड़ के लगभग है। उस कड़ी में दिल्ली-नोएडा मेट्रो विस्तार की बात है। वैशाली और गाज़ियाबाद तक विस्तार की बात है। मेरठ से राजेन्द्र जी यहां उपस्थित हैं। मेरठ तक एनसीआर लगता है। हम देख रहे हैं कि आज बढ़ती हुई आबादी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक और जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। मेरे ख्याल से सभी सम्मानित सदस्य इससे वंछित नहीं रहे हैं, बल्कि हमेशा उससे जूझते रहे हैं।

मैं दूसरी बात शुद्ध समुचित पेयजल व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। अभी संजय निरूपम जी बड़े विस्तार से बता रहे थे। यह बात सत्य है कि हर शहर की अपनी कैपेसिटी है। वहां पर आप कितना शुद्ध पेय जल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यह बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है। लेकिन एक तरफ आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे इलाहबाद में सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट है, तमाम और भी हैं, जो पेय जल आप यमुना से लिफ्ट कर के पानी को शुद्ध कर के सप्लाई करते हैं। जैसे खुसरो बाग है, बलुआ घाट में प्लांट लगे हैं और वे भी विश्व बैंक की आर्थिक मदद से लगे हैं। लेकिन कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिस स्थिति में वह चालू हुआ था आज वह उसी स्थिति में है। ऐसे बहुत से वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। आपकी सरकार कहती है कि हम शुद्ध पेय जल मुहैया कराएंगे, लेकिन कहीं भी नहीं करा पा रहे हैं। आपको इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। शहरों में बढ़ती हुई स्लम बस्तियां हैं, वहां की स्थिति बहुत खराब है। हमारे ज्यादातर सांसद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं लेकिन उनका आवास शहरों में है। शहरों में स्लम बस्तियां बहुत ज्यादा है। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्लम बस्तियों में पेय जल, सड़क और आवास आदि तमाम चीजें जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उनको मुहैया कराने की जरूरत है। अब छोटे शहरों की स्थापना की बात है। मैंने देखा है कि उस कड़ी में आपने 36 जिले लिए हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने बहुत से नए जिले बनाएं हैं। नए जिलों की स्थिति बहुत बदतर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछड़े और नवसृजित जनपद हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जहां पर विकास है वहीं पर पैसा दिया जा रहा है। इससे यह हो रहा है कि शहर के विकास की जो योजनाएं हैं, उनका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उस कड़ी में आपको जनपद कौशांबी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और बलिया से हमारे साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कहा कि आज तक जिस नगर-जिले की जो स्थिति है, वह ऐसे ही पड़ी हुई है।

सन् 2001 की जनगणना में इलाहबाद की आबादी 10 लाख 24 हजार बताई गई है लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा है।

अभी इसी सदन में जिक्र हुआ था, राष्ट्रमण्डल खेलों में एम्मार ठेके पर जो फ्लैट दिए थे, उनका अभी तक ठीक से कब्जा नहीं हो पाया है। मैंने निवेदन भी किया था कि जो फ्लैट आज यमुना किनारे बने हुए हैं, जितनी उनकी लागत है, उसमें सभी संसद सदस्यों को फ्लैट क्यों नहीं दे देते हैं? आप उसे उन्हें दीजिये। वे बेकार पड़े हुए हैं, कुछ दिन में वे टूट-फूट जायेंगे, उनकी मेन्टिनेंस नहीं हो पा रही है। इस विषय में माननीय अध्यक्ष महोदया, लोकसभा से भी हम लोगों ने मुलाकात की है, उनसे बताया है। आप यहां पर स्वीकार कीजियेगा, मैं चाहूंगा कि जो लागत मूल्य है, लोक सभा, राज्य सभा के तमाम ऐसे सांसद हैं, जिनका कोई आवास नहीं है, आप उसे दीजिएगा, उन्हें आबंटित कर दीजियेगा। वे आवास बे-वजह पड़े हुए हैं। राजीव गांधी आवास योजना को आपने शुरू किया है, मेरे ख्याल से अभी कहीं भी उसकी शुरूआत नहीं हो पायी है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): वह इस मिनिस्ट्री से संबंधित नहीं है। राजीव आवास योजना इस मिनिस्ट्री से संबंधित नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह इसमें नहीं है। दस वर्षों में 25 शहरों के आपने नाम भी बदल दिये हैं। शहरों के नाम बदलने से विकास नहीं होगा, आपको वहां की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना होगा।

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): यह राज्यों का विषय है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह राज्य सरकार का है, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं राज्य सरकारों का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। अभी टंडन जी कह रहे थे कि जगमोहन जी के समय में एक सम्मेलन बुलाया गया था, आप भी बुलाइये। तमाम प्रदेशों के जो शहरी विकास मंत्री हैं, उन्हें बुलाकर उनसे वार्ता कीजिये।

प्रो. सौगत राय : पहले बुलाया था।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बहुत अच्छी बात है। अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर यहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई, एम्स के बारे में चर्चा हुई, घोषणायें तो हो गयीं कि इतने एम्स अस्पताल खुलेंगे, लेकिन नहीं खुल पाये।

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए, परिवहन व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रिंकिंग वाटर है, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। लखनऊ में जो मैट्रो, नया ट्रेन टर्मिनल हरदोई-सुल्तानपुर-लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद फोर लेन यह सब अगर हो जाये, मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे विभाग हैं, जो आपके मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं, लेकिन इनके साथ कोआर्डिनेशन करके आपको कम से कम इसके विस्तार की तरफ सोचना पड़ेगा। दूसरे विभाग के भी जब विकास के कार्य होते हैं तो यह लगता है कि हां भाई यह शहर है और शहर में जायेगा तो शहरी विकास मंत्रालय का नाम पहले लिया जायेगा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, बस मैं समाप्त करता हूं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आगाज है, अगले 20 वर्षों के लिए योजना क्या बनायी गयी है, योजना यह है कि 2 लाख आबादी वाले शहरों में सिटी बस चलायी जायेंगी। मेरे ख्याल से बहुत से शहरों की आबादी 2 लाख से कहीं ज्यादा है, लेकिन बस के नाम पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कौशाम्बी जनपद है, इलाहाबाद से कौशाम्बी जनपद जो अधिकारी, कर्मचारी जाते हैं तो उन्हें वापसी में बस नहीं मिलती है, इसलिए वे जाते ही नहीं हैं, हफ्ते में दो-चार दिन चले गये तो चले गये। 20 लाख आबादी वाले शहरों में मैट्रो ट्रेन की व्यवस्था, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का आगाज है। शहरों पर 40 लाख

करोड़ बरसेंगे, अब कहां से बरसेंगे, आपके विभाग से बरसेंगे या ऊपर से बरसेगा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विकसित योजना है। शहरी ट्रंसपोर्ट सुधारने के लिए 3.88 लाख करोड़ आप खर्च करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है।

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अंत में एक बात बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वर्ष 2013 में हमारे यहां इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है।

महोदय, आप जानते हैं कि कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग वहां इलाहाबाद में आते हैं। महाकुंभ होने जा रहा है, यह कोई माघ मेला नहीं कि प्रतिवर्ष माघ मेला है, यह महाकुंभ होने वाला है और देश-विदेश से करीब 10 से 15 करोड़ लोग वहां पर आते हैं। उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे वहां उन्हें बसाया जाये, कैसे वहां पर सफाई की व्यवस्था हो, कैसे ड्रेनेज की व्यवस्था हो? इसके अलावा तमाम और विभागों का मामला है। मैं चाहूंगा कि जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना में जो काम वहां हो रहा है, आज भी 40 प्रतिशत काम पड़ा हुआ है। उसमें आपका लखनऊ है, इलाहाबाद है, बनारस है, आगरा है, मथुरा है।

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यहां पर 40 प्रतिशत काम अभी भी पड़ा हुआ है, आपने कहा है कि वर्ष 2014 तक इनका, जेएनयूआरएम का कार्यकाल बढ़ाया जायेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर आप इसका कार्यकाल 5 वर्ष भी बढ़ायेंगे, तब भी यह काम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन शहरों में जो आपने योजनाएं लागू की हैं, उन्हें पूरा करके तभी आप इसे बंद कीजियेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप इसे लाये हैं, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

–

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह जो शहरी विकास की समस्या है, इसे आप पहले माइक्रो लेवल से स्टार्ट कीजिये। मैंने देखा है कि छोटे-छोटे गांव, जिनकी आबादी एक हजार या 500 है, वहां जो भी सम्पन्न आदमी है, वह साथ के कस्बे में शिफ्ट हो रहा है। मैं बुन्देलखंड से पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अभी पिछले हफ्ते मैंने प्रधानों की मीटिंग की तो मुझे 20 प्रधानों में से 15 प्रधान ऐसे मिले, जो उस गांव में नहीं रहते। वह बगल का एक कस्बा है राठ, वहाँ शिफ्ट कर गये हैं। यह शिफ्टिंग गाँव से शुरू हो रही है। गाँवों से लोग कस्बे में आते हैं, कस्बे से बड़े शहर में आते हैं और बड़े शहर से फिर दिल्ली मुम्बई और कोलकाता जाते हैं। यह पलायन समस्या दिल्ली और मुम्बई को सुधारने से ठीक नहीं हो सकती। 20 सालों से जब भी यह समस्या आती है तो, मुम्बई, कोलकाता में फ्लाईओवर और मैट्रो की बात कही जाती है। इनसे कभी सुधार होने वाला नहीं है। अगर आप यह कहते हैं Then, you are putting the cart before the horse, which is wrong.

महोदय, मैं एक बात की ज़ोरदार सिफारिश करना चाहता हूँ कि एक नेशनल अर्बन पॉलिसी बनाई जाए। वहाँ व्हाइट पेपर बनाइए। मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने इलाहाबाद में 35 सालों से वकालत की है। वहाँ कस्बों में क्या हो रहा है? अगर कस्बा या शहर बढ़ता है तो बगल के दस-दस किलोमीटर पर माफिया लोग ज़मीन ले लेते हैं और ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और ज़मीन के मालिक हो जाते हैं। जब लैन्ड एक्वीज़ीशन में वह ज़मीन आती है तो वे मुकदमा करते हैं और पाँच-दस साल उसमें डिले होता है। उसके बाद उन ज़मीनों पर इतनी बुरी तरह से आबादी भर जाती है कि पूरा विकास रह जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डैवलपमैंट करना है तो 25000 और 50000 की आबादी वाले जो कस्बे हैं, उनके बगल की जितनी ज़मीन है, उस पर रोक लगानी चाहिए, चाहे सौ एकड़ या 50 एकड़, चारों तरफ बंदिश होनी चाहिए, मैनडेटरी लॉ बनना चाहिए कि उसका डैवलपमैंट कोई प्राइवेटली नहीं कर पाएगा। उसका उदाहरण मैं बताता हूँ। छतरपुर के पास मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मेरी पार्लियामैंट्री कांस्टीट्यूंसी है। वहाँ अंग्रेज़ों का बसाया हुआ एक गाँव है - नौगाँव। माननीय कमलनाथ जी जानते होंगे चूँकि उनका भी क्षेत्र वहाँ पड़ता है। नौगाँव में अभी भी जितनी सड़कें हैं, वे 70-80 फीट चौड़ी सड़कें हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की बनाई हुई हैं। अभी भी उस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में वह सबसे बढ़िया गाँव है। वहाँ की आबादी मुश्किल से एक लाख है, लेकिन अब माफिया के लोगों ने ले लिया है और उसमें 10, 100 या 50 स्क्वैयर फीट पर स्लम बढ़ता जा रहा है। इसकी कोई नीति नहीं है। मैं आपको एक प्रिंसिपल की बात बताता हूँ कि चार-पाँच कैटेगरी के शहरों में आबादी के हिसाब से नीति बननी चाहिए। एक करोड़ और ऊपर की आबादी वालों को अलग कर दीजिए। 30 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहरों को अलग कर दीजिए। एक लाख से 10000 और 50000 के नीचे वालों को अलग कर दीजिए और उनमें कंपलसरी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पॉवर सप्लाई, इनफ्रास्ट्रक्चर और गेम्स इत्यादि की पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इलाहाबाद आदि शहरों में देखा कि यूथ सड़कों पर खेलते हैं, खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पार्क ही नहीं हैं, ये यूथ कहाँ जाएँ? इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जबलपुर में क्या हुआ कि वहाँ के मेयर ने कहा कि कोई भी गाय-भैंस शहर के अंदर नहीं रख सकते और उनको पाँच-पाँच एकड़ की ज़मीन दे दी, जहाँ शहर समाप्त होता था। ऑटोमैटिकली जबलपुर क्लीन हो गया और वही व्यवस्था आ गई जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी। लेकिन यह व्यवस्था तब हो सकती है जब सही कानून बने नहीं तो म्यूनिसिपैलिटीज़ पर है कि जहाँ कार्पोरेशन का इलैक्शन हुआ, कार्पोरेशन ने काम नहीं किया तो लोगों ने उसका नाम हिन्दी में रख दिया - करो परेशान। वे परेशान ही करेंगे। आपने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इतना लंबा चौड़ा नाम बनाया है। यह 2005 में शुरू हुआ और अभी जो आँकड़े मैं पढ़ रहा था, इसमें अभी तक 40 और 50 प्रतिशत कारगुज़ारी नहीं हुई और इस पर काम खत्म हो गया। तब बड़ी मुश्किल से 2014 तक बढ़ाई गई। 2005-2006 में यह योजना आई और 50 परसेंट भी उसका काम नहीं हुआ, तो यह कैसी योजना हुई? हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि इलाहाबाद शहर में देख लीजिए। इलाहाबाद शहर ने इस देश को छः प्रधान मंत्री दिये। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मैं नाम गिना सकता हूँ कि कितने लोग यहाँ प्रधान मंत्री आए। इलाहाबाद शहर में एयरपोर्ट नहीं है। जो इलाहाबाद सन् 1950 से 1970 में था, वह अभी भी उसी तरह है। इलाहाबाद में वर्ष 1911 का ड्रैनेज सिस्टम है। अब वहां ड्रैनेज सिस्टम हो रहा है। पूरा इलाहाबाद खुद गया है। आप कहीं सड़क पर नहीं चल सकते हैं। इलाहाबाद के 70 प्रतिशत बच्चों को अस्थमा हो गया है, क्योंकि सब तरफ खुदाई हो रही है। ट्रंसपैरेंसी का कोई नाम ही नहीं है। यह नहीं पता लग रहा है कि कहां से फण्ड आ रहा है और यह काम कब तक खत्म होगा? वहां रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब तक इसकी कोई क्लीयर पॉलिसी नहीं होगी, तब तक ऐसा ही होगा। कोई अच्छा मेयर आ गया तो ठीक काम करेगा और कोई गड़बड़ आ जाएगा तो खा जाएगा। मेरा मानना है कि इस पर कोई राष्ट्रीय नीति या एक्ट बने जो मैन्डेटरी हो और हर सिटीजन को उसकी जानकारी हो। इलाहाबाद जैसे शहर में कोई सिवरेज सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा?

महोदय, आंकड़े आ रहे हैं कि 39 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। यदि किसी को कन्फ्यूज़ करना हो तो आंकड़े बाज़ी में चले जाइए। the speaker tries to impress his personality more than the personality of the issue. हम आंकड़े की बात नहीं करना चाहते हैं। जीडीपी के पचास प्रतिशत की जरूरत है। 120 करोड़ की जनता में से लगभग 45 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यदि हम इसे गम्भीरता से नहीं लेंगे तो जैसा कि हैक्स-ले ने कहा "If you do not solve the problem then the problem itself will find the solution." उसके बाद तबाही हो जाती है। हमें मालूम है कि जब तक शहरी विकास मंत्री इन चीजों को समझेंगे, तब तक दूसरे मंत्री आ जाएंगे। जब से हम पार्लियामेंट में आए हैं, ये सैकिण्ड मिनिस्टर हैं। इसलिए इसकी कोई नेशनल पॉलिसी डिबैट करके बनायी जाए।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि शहरों में रोड़ के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। बैंगलुरू इतना बढ़िया शहर था, लेकिन अब उसकी सड़कें तंग लग रही हैं। बैंगलुरू को आईटी हब बनाया गया, लेकिन पॉलीटिक्स की वजह से वह भी नहीं बन पाया। बैंगलुरू भी गड़बड़ हो गया। It is very scientific and the work of an expert. कि प्लानिंग कैसे हो। लेकिन प्लानिंग में प्रिंसीपल्स की बात आनी चाहिए और कम से कम पचास साल की प्लानिंग होनी चाहिए। लंदन शहर की आने वाले 75 सालों की पोटेबल वॉटर की प्लानिंग तैयार है और वहां इसकी कोई प्राब्लम नहीं है। हमारे यहां इलाहाबाद में गंगा नदी पर एक पुल बनाया गया है। अभी उसे बने दस साल नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी जनता कह रही है कि यह पतला पुल है। आपने सिंगिल पुल बना दिया। आबादी तेजी से बढ़ रही है। बुंदेलखण्ड का झांसी सैन्ट्रल इण्डिया का हब है। साउथ और नॉर्थ को झांसी कनैक्ट करता है। लेकिन वहां के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। न रोड़ की प्लानिंग बन रही है और मैं कहता रह गया कि रेलवे की प्लानिंग बना दीजिए। अंग्रेजों के ज़माने में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए झांसी बड़ा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन था। वह अब खत्म हो चुका है। यदि झांसी का डेवलपमेंट हो जाए तो कम से बीस जिले बुंदेलखण्ड और मध्य प्रदेश के ठीक हो जाएं। लेकिन सब इग्नोर हो रहा है।

महोदय, रायबरेली में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल के लिए बड़ी ज़ोरदार सिफारिश हो रही है। रायबरेली से 60 किलोमीटर पर लखनऊ में तो संजय गांधी हॉस्पीटल है ही। अगर आपको वाकई में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल बनाना है Why do you not build a hospital? जहां वास्तव में जरूरत है। बुंदेलखण्ड या ईस्टर्न डिस्ट्रीक्ट में, जौनपुर, देवरिया या गोरखपुर में बना दीजिए। लेकिन अगर आप एम्स के बगल में बना रहे हैं तो यह ठीक नहीं है।

महोदय, मैं इलैस्ट्रेशन से अपनी बात कहना चाहता हूं कि क्या होता है, जैसे कि रेल मंत्री वेस्ट बंगाल से हैं, तो पता लगा कि रेलवे वेस्ट बंगाल की तरफ झुका हुआ है। मेरा कहना है कि कंट्री की रिक्वायरमेंट की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी के जमाने में जब वे रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद जो सन् 1960 में था, वही अभी भी है। आप धार्मिक पुरूष हैं। आप जानते हैं कि इलाहाबाद में कुम्भ में तीन से चार करोड़ जनता आती है। वहां कोई इंतजाम नहीं है। वहां कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए जब तक कोई पॉलिसी नहीं होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो इस तरह से हैपहैजार्ड प्लानिंग करते रहेंगे।

अन्त में, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको समयबद्ध करें। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष से पलायन को रोकने के लिए जब तक स्पष्ट पॉलिसी नहीं होगी, तब तक वह होती रहेगी। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए।

*SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): A country can said to be in the growing path only if its infrastructure facilities are developing and the standard of living of the poele is progressing. A recent survey shows that more than 60 per cent of the population of our cotnry live below the poverty line.We have to see whether the benefits of our economic growth are really reaching the poor and the downtrodden poeple.The study shows that there is a concentration of buying power in the top 30 to 35 per cent of the population. Therefore, the benefits of growth are capitalized by the rich poeple of the coutnry. The 60 plus per cent of population below the poverty line is not progressing as fast the richer community. Hence the efforts of the Governemnt should be to ensure that the money sanctioned for poor should directly reach them.

In order to provide better urban infrastructure, housing, and sanitation in the coutnry, our Central Government has been allocating resources to State Govts through various centrally sponsored schemes. The Central Govt. is also providing finances through national financial institutions in the coutrny. The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNURM) aims at providing basic services to urban poor for 65 select cities and Integrated Housing & Slum Development Programme for other cities and towns. Under the JNURM , the Central Govt. has sanctioned more than 1.57 milllion houses till February, 2012. The Rajiv Awas Yojana or RAY provide support for shelter and redevelopment and aims at creation of affordable housing to State that are willing to assign porperty rights to slum dwellers. Our Govt. has launched the Affordable Housing in Partnership or AHIP scheme with an outlay of Rs. 5000 crore for construction of one million houses for economically weaker sections of the society through out the coutnry. In order to address the housing shortage in the coutnry the Interst Subsidy Scheme for Housing the Urban pOor or ISHUP has been launched by our

---

* Speech was laid on the Table

Government. Till December, 2011, 8734 poeple have been benefitted in Kerala,

Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu. An interest subsidy of Rs. 7.57 crore has been released.

We know that the purchasing power of the poor can be enhanced only by enabling them to develop their skills. As on 31 October, 2011, the National Council on Skill Development has approved 34 trainingprojects spread across 177 districts in 20 sectors through out the coutnry. Under this scheme, more than 12.19 lakh persons were trained under the 6753 vocational training providers in the country.

A recent survey shows that 69 percent of urban population and 67.3 per cent of rural poeple in Kerala are living under the poverty line. I, urge upon the Central Govt. to sanction more funds under the Centrally sponsored schemes to enhance the living conditon of the poor people of Kerala.

With these words, I support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Urban Development for the year 2012-13.

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नगर विकास विभाग की अनुदान मांगों पर यह चर्चा हो रही है। इस चर्चा में सभी दलों और सभी वक्ताओं की ओर से जो बात उभरकर आ रही है, वह यह है कि आज पूरे देश में शहरों की स्थिति बिल्कुल ही नारकीय है। आज जो नागरिक सुविधाएं हैं, वे शहरों को नहीं मिल रही हैं। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के माननीय मंत्री कमल नाथ जी एक अनुभवी आदमी हैं। मुझे इनके नेतृत्व में भरोसा और विश्वास है। ये हमारी शहरों की समस्याओं को जानते और परखते हैं। मुझे भरोसा है कि उसका निदान करने में इनका मार्गदर्शन बहुत ही बहुमूल्य होगा और मुझे अनुमान है कि इस देश के नागरिकों के लिए कुछ लाभ ही मिलेगा।

महोदय, शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। एक समय कहा जाता था कि उत्तम खेती, वह खेती आज अलाभकारी हो गयी है। चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, दूसरे साधन हों, चाहे वह खेत में काम करने वाला किसान हो या कृषक मजदूर, उनके लिए गांवों में रोजगार के साधन दिन-प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं और लोग शहरों में रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं। जब आबादी बढ़ेगी, शहरों का बेतरतीब विकास होगा तो वहां लोग नारकीय जीवन जीने को बाध्य होंगे। खासकर, हम लोग जिस बिहार राज्य से आते हैं, वहां जबसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, उन्होंने साधनहीन राज्य होते हुए भी बिहार के शहरों के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। हम माननीय मंत्री जी से और भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा पिछड़ा राज्य बिहार है, उसकी राजधानी पटना और अन्य दूसरे शहर हैं, जब तक केन्द्र सरकार वहां अपना खजाना नहीं खोलेगी, तब तक बिहार के जो शहर हैं, खासकर जो राजधानी पटना है, हम उसका सर्वांगीण और सम्यक विकास नहीं कर सकते।

महोदय, हम जहानाबाद से आते हैं। आपने जहानाबाद का नाम सुना होगा। वह वर्षों से उग्रवाद प्रभावित इलाका है। वहां तीन शहर हैं- जहानाबाद जिला मुख्यालय, अरवल जिला मुख्यालय और मखदुमपुर नगर पंचायत। जिस इलाके में उग्रवाद आता है, वहां के लोग शहरों में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन शहरों का नाम मैंने लिया- जहानाबाद, अरवल और मखदुमपुर- बीस वर्षों के अन्दर उनकी आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहां नागरिक सुविधाएं नहीं के बराबर हैं।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह एवं अनुरोध करना चाहते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए जो इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान चलाया है, आज जो इस देश के नक्सल प्रभावित इलाके हैं, खासकर बिहार का जो जहानाबाद जिला है, वहां जो तीन शहर हैं, वहां के लिए भी आप एक इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान बनाएं। वहां भी आप नागरिक सुविधाओं का प्रबंध करें, सड़कें, ड्रेनेज एवं शौचालयों आदि का प्रबंध करें ताकि शहर में रहने वाले लोग केवल कर न दें, उससे उन्हें सुविधाएं भी प्राप्त हों। आप जानते ही हैं कि शहर में आने के बाद टैक्स में भारी वृद्धि होती है, टैक्स बहुत बढ़ता है।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आप एक एक्शन प्लान चलाएं। खासकर आपकी जो आंतरिक समस्या है, उसके निदान के लिए जो नक्सलवाद प्रभावित इलाका है, हमने मंत्री जी से आग्रह भी किया था कि जहानाबाद के तीन शहर हैं। आप एक मॉडल के रूप में पूरे देश में इसे दीजिए और जहां विकास के काम होते हैं, उग्रवाद पर स्वयं अंकुश लगता है। हमें मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, हम आज इस बजट के माध्यम से इस चर्चा में मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार राज्य का जो जहानाबाद जिला है और वह जिला मुख्यालय एवं मखदुमपुर शहर है। ये तीनों शहर भयानक रूप से उग्रवाद प्रभावित इलाके के शहर हैं, वहां पर एक स्पेशल एक्शन प्लान, विशेष रूप से पैकेज के रूप में आप दीजिए ताकि देश को यह बताया जा सके कि जो शहर उग्रवाद प्रभावित इलाके में है, अगर उनके विकास होते हैं तो वहां के लोग शांतिप्रिय माहौल में जिन्दा रहते हैं और वहां उग्रवाद से मुकाबला हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पूरे देश में सब जगह स्लम बस्तियां हैं। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है, लेकिन मैंने जो जानकारी हासिल की है, वह यह है कि शहरी क्षेत्रों में योजना नहीं चलती। हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां भी इंदिरा गांधी के नाम पर आप इंदिरा आवास योजना चलाइए। वहां भी बीपीएल के गरीब लोग हैं। संधीय ढांचे के बारे में हम बोलना चाहते हैं। जो गरीब राज्य हैं, खासकर हमारा जो बिहार राज्य है, आप जब तक बिहार राज्य को विशेष रूप से आर्थिक मदद नहीं देंगे, तब तक शहरी मंत्रालय के क्षेत्र में बिहार विकसित नहीं हो सकता। राज्य और देश सब एक-दूसरे के हिस्से हैं। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास रखते हैं, इस विभाग के जो मंत्री जी हैं, उनकी क्षमता को मैं जानता हूं, वे अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए बिहार राज्य को स्पेशल पैकेज देंगे, ताकि वहां की राजधानी जो पटना है, उसका सर्वांगीण विकास हो सके और एक मॉडल शहर के रूप में पटना शहर विकसित हो सके।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Urban Development.

Already five hon. Members have spoken on the Demands and I am grateful to them. We are also happy as it is a very fortuitous that after 27 years, the Demands of the Ministry of Urban Development are being discussed. May I point out - as the hon. Member, Shri Sanjay Nirupam has said - that the urban space is the most important space because the urban population is increasing. From 28 crores in 2001, it has risen to 37 crores in 2011 and it will rise to 57 crores by 2030 but the urban facilities are not improving. We need to do more in the urban areas and that is why, our Ministry appointed a high-powered Committee which has estimated the need in the area for urban development to Rs.39 lakh crore in the next 20 years, of which Rs.19 lakh crore will have to be spent on operation and maintenance.

1600 hrs

Sir, I would like to quote what the hon. Member, Shri Lalji Tandon from Lucknow said, he said, ठीक है, लेकिन अब कुछ करके दिखाइये। We want to say, कि हमने कुछ किया है। That is what I want to present before the august House. For the first time, the Centre has intervened in a big way in urban development which is essentially a State subject. The Jawaharlal Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) which envisaged an investment of Rs. 1,00,000 crore in a period of seven years has done considerable work in improving the urban situation in the country.

Sir, you would be happy to know that under the JNNURM, 158 water supply projects in big towns have been approved, 112 sewerage projects have been approved; 73 drainage projects, 45 solid waste management projects; 106 roads and flyover project and 21 MRTS projects have been approved. This has happened in the 65 mission cities selected under the Mission. For the smaller towns, under UYDLSP, we have approved 445 water supply projects; 98 sewerage projects; 67 drainage projects and 56 solid waste management projects. That is making a difference.

Shri Sanjay Nirupam spoke of the problems of Mumbai city, our biggest metropolis. He spoke about the problems of drinking water in the city. In Mumbai alone, we have sanctioned Middle Baitarna Project worth Rs. 1329.50 crore. In Mumbai a solid waste management project worth Rs. 178 crore has been approved. Shri Lalji Tandan, who was the hon. Minister for Urban Development in the State of Uttar Pradesh, spoke about Lucknow. I would like to inform you that in Lucknow, the JNNURM has sanctioned two water supply projects; two sewerage projects; one solid waste management project and one drainage project. In Allahabad -- hon. Member, Shri Shailendra Kumar and Shri Vijay Bahadur Singh mentioned about it – two water supply projects; one solid waste management project and one sewerage project has been approved. This means that there has been some change in the urban space.

There has been a demand from the Members for inclusion of more cities within the Mission cities. Now, we have already proposed that 28 cities with five lakh plus population should be included in the list of mission cities. The Planning Commission has asked us to include that in the Twelfth Plan. The hon. Minister for Urban Development will inform the House about this in details about it. In the next phase of the JNNURM, the Ministry is planning to do capacity building for the smaller cities and we are trying to include more number of smaller cities in JNNURM – II. It is because the bigger cities can get money from elsewhere. They can get money on PPP model, but there is nobody to look after the smaller cities. That is another thing that I wanted to mention.

The other thing that the Ministry of Urban Development has done in the last seven years is in the field of urban transport. The Delhi Metro, a joint project of Delhi Government and the Ministry of Urban Development, is one of the best metro railways in the world. The first phase of Delhi Metro Rail has been completed and the second phase also has been completed at a cost of Rs. 23,000 crore.

After Shri Kamal Nath has taken over as the Minister for Urban Development, the third phase of Delhi Metro has been approved at a cost of Rs. 35,000 crore. Delhi already has 190 kilometres of metro and 17 lakh ridership per day. In the third phase, it will rise to nearly 50 lakhs per day which will be a fantastic achievement.

You will be glad to know that 54 per cent of the work in Bangalore Metro which will cost totally about Rs. 11,600 crore has been completed and seven kilometre run has already started in Bangalore. Chennai is having a new metro. The total cost of it is Rs.14,600 crore and 20 per cent of the work has been completed. Kolkata is starting a new metro for 14 kilometres and almost 20 per cent work is complete. We will have new metros in Kochi and Jaipur.

As regards Mumbai, Shri Nirupam mentioned that the first few lines are being done on PPP basis but the proposal is that for the third line of Mumbai Metro, it will be a joint sector between the Central and the State Government. So, we are not giving it to the private parties. The third line of Mumbai will be done in a joint venture.

I may also inform you that the Ministry has proposed the National Urban Transport Policy. Our policy is to move people and not vehicles. We want to reduce private vehicles on the road and increase public transport. That is why, the Ministry has sanctioned 15,260 modern low floor buses in all the 65 mission cities. You will see them in Delhi also. They have made a change in the urban landscape.

We have also introduced the Bus Rapid Transit System. The BRTS has done very well in Ahmedabad. It is also there in Bhopal, Indore, Jaipur, Pune, Pimpri, Rajkot, Surat, Vijayawada, Vizag and even Kolkata.

SHRI RAJENDRA AGRAWAL (MEERUT): What about Meerut?

PROF. SAUGATA ROY: In Meerut, there is no BRTS. Meerut is part of JNNURM. It is part of the National Capital Region. We are financing projects in Meerut through the National Capital Region Planning Board. We expect Meerut to be a counter-magnet so that all the people do not come to Delhi. We want them to stay in Meerut and live well there with good quality of life.

As I was saying, in the urban transport space, we have made a difference. That is why, it is my plea before the House. The Minister will give a holistic view while summarising that we need more money in the urban space. The amount for JNNURM-I was Rs. 1 lakh crore. For JNNURM-II, we are looking for Rs. 1.75 lakh crore which will be 0.25 per cent of our GDP.

Cities are engines of growth. If we have to sustain the growth of our GDP, we need to spend more on our cities. We must give citizens a better quality of life. The Urban Development Ministry is doing its best in cooperation with the State Governments to improve the quality of life in cities. We are trying to improve urban governance mad build capacity in the urban local bodies. It is with the cooperative effort that the urban landscape and scenario can change.

I seek the support of the House in this urban transformation. .

ओश्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): आज शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय बन गया है। हमारे देश में भयंकर बेरोजगारी के कारण लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ओर शहर में रोड के किनारे एक झोपड़ी बनाकर या फिर एक छोटे कमरे लेकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं , लेकिन ऐसे लोग जहां रहते हैं वह एक ऐसा एरिया होता है जहां पर नालिया खुली हुई है, जहां पर कूड़े ऐसे ही फेंक देते है, महोदय लोग पलायन तो शहर में कर लेते हैं लेकिन जिंदगी यहाँ पर जानवरों के समान जीते हैं, न उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा होती है, न अच्छा भोजन मिल पाता है और न ही उनके बच्चे को शिक्षा की सुविधा मिलती है इसलिये मैं यहाँ सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार गाँवों में नरेगा जैसी योजना चलाई है, वेसे ही शहरों में भी एक ऐसी योजना चलाइ जाए जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके।

महोदय दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है साफ सफाई की आज भी 80.1 से ज्यादा शहरों में कूड़े दान की व्यवस्था नहीं है। लोग छोटे शहरों में जहां तहां कूड़े को फेंक देते हैं, और यह पर्यावरण को बहुत भयंकर प्रदूषित करता है, इसलिये पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिये इसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। महोदय सरकार ने वादा किया था कि जेएनएनयूआरएम के द्वारा 5 वर्षों में स्लम फ्री एरिया बना दिया जायेगा लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ। शहरों में जो अभी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना चल रही है, उससे शहरी लोगों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को सख्ती से लागू किया जाए और शहरों में ट्रंसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक नही होने के कारण ट्रैफिक की समस्या ज्यादा होती है, इसलिए इस व्यवस्था को ठीक किया जाए।

* Speech was laid on the Table

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मंत्री जी मेरे बाद में बोलते तो अच्छा होता। मेरे भी प्रश्न के भी उत्तर मिल जाते लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपके प्रश्नों का उत्तर बड़े मंत्री जी देंगे।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : मैं समझता हूं कि यह हमारा तीसरा बजट है। मंत्रालय ने इन तीनों बजट में अच्छी कामयाबी हासिल की है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा और उनके पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा। वर्ष 1951 से वर्ष 2012 यानी पिछले साठ साल की बात करेंगे तो पहले दो हजार आठ सौ चालीस शहर थे। आज साठ साल में करीब-करीब आठ हजार शहर हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि शहरों में कितनी ग्रोथ हुई है? शहरों की आबादी नहीं बढ़ रही है। शहर में माईग्रेशन हो रहा है इसलिए शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। वहां आबादी वैसे नहीं बढ़ रही है। हम सोच रहे हैं कि पांच लाख की आबादी वाला शहर पांच साल में दस लाख का कैसे हुआ? शहरों की आबादी नहीं बढ़ रही है। जैसा कि हमारे सभी सदस्यगणों ने कहा कि माइग्रेशन बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार इस तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से जेएनएनयूआरएम, यह एक ही बड़ा उपाय इसके ऊपर आपने ढूंढा है और पिछले पांच साल को दो साल बढ़ाने के बाद पैंसठ हजार करोड़ रूपये पहली बार कई शहरों के ऊपर खर्चा किया है। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शहर की समस्याओं की ओर ध्यान देने की जरूर कोशिश की है। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसकी सीडी बनाने के लिए भी कोशिश की जानी चाहिए। हमने हर एक राज्य को बताया था कि सीडी भी बनाइए। आपके शहरों की आने वाले पचास साल में क्या आबादी होगी? वहां की सड़के कैसी होनी चाहिए? मंत्री जी, मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से राज्यों ने अपने प्लान सीडी में दिए हैं, मुझे लगता है कि वे सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं। इसके बारे में कोई ठीक तरीके से जानकारी नहीं है। मैं खुद नवी-मुंबई का मेयर था तभी यह डेवलपमेंट प्लान शुरू किया गया था। नवी-मुंबई महाराष्ट्र में है। मंत्रालय की ओर से सबसे पहला प्राइज भी हमें ही दिया गया था। दूसरे राज्यों के बारे में देखा कि आपने हर राज्यों को पैसा दिया है। मानलिजिए कि किसी राज्य ने अपने एक शहर के लिए तीन सौ करोड़ रूपया मांगा है उसको आपने फेजवाइज पैसा दिया है। आपने पहले हफ्ते में पचास करोड़ रूपये और दूसरे हफ्ते में पचास करोड़ रूपये दिए हैं लेकिन पहले पचास करोड़ रूपये का काम ही नही हुआ। काम बंद पड़ चुका है। वहां एलोकेशन दिया है। काम वहां नहीं है। वहां पैसा खर्च नहीं हो रहा है। यह एलोकेशन जो दिया गया था, जैसे आप एक स्टेट को तीन हजार करोड़ रूपये दे रहे हैं लेकिन वहां आज तक पांच सौ करोड़ रूपये ही खर्च हुए हैं। बाकी का पैसा एलोकेशन की वजह से वैसे ही रूका पड़ा है। महाराष्ट्र जैसा स्टेट आगे बढ़ कर पांच हजार आठ सौ करोड़ रूपया मांगा था लेकिन छः हजार करोड़ रूपया खर्चा किया है। अभी हम पैसा मांग रहे हैं तो सरकार बोल रही है कि आपका एलोकेशन पूरा हुआ है हम पैसा नहीं दे सकते है। अगर कोई बच्चा अगर अपने क्लास में पहला आता है और दूसरे साल भी पहला आता है तो उसको बोलेंगे कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे ख्याल से मंत्री जी यह ठीक नहीं है। जो शहर, जो राज्य अच्छा काम कर रहा है उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त करें।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हमारा शहर हिन्दुस्तान का दूसरा शहर है जहां खुद का अपना डैम बनाया है। इस तरह से प्लानिंग किया गया था कि स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भी बुलाया कि आप इस तरीके से शहरों का नियोजन बनाइए ताकी हर शहर अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे शहरों की अभ्यास करके बताने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार जरूर ध्यान दें। जेएनएनयूआरएम का जो, आपने शहरी परिवहन सेवा उसके लिए मदद कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़े-बड़े शहरों के लिए बड़ी-बड़ी बसें हैं। जो छोटे शहर हैं उनके रास्ते भी छोटे हैं। मैं विनती करूंगा कि बसेज की जो आपने नॉर्म्स दिए हैं कि बड़ी लंबी बस होनी चाहिए। इसे अगर आप मिनी बस में चेंज करेंगे तो इसका फायदा जरूर हमारे शहरों को हो सकता है। युआईडीएसएसएमटी में आप छोटे-छोटे शहरों को ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ऐसा राज्य है जिसने ऐसा प्लान किया है कि बड़े शहरों के दस किलोमीटर रेडियस वाले जितने भी गांव हैं उनको अभी से ही प्लानिंग में डाल दिया है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से राज्य सरकारों से अगर केन्द्र सरकार करती है तो लगता है कि आने वाले पच्चीस सालों-पचास सालों में जब छोटी सड़कें बड़ी सड़कों की तरफ जाती है तो ट्रैफीक जाम होता है। इसकी प्लानिंग अभी से ही करेंगे तो आने वाले समय में हम देश में अच्छे शहर का निर्माण कर सकेंगे। मुझे बोलना तो बहुत था लेकिन समय की कमी की वजह से मैं अपनी बात ज्यादा नहीं रख पा रहा हूं। केन्द्र सरकार की नई योजनाएं खासकर जेएनएनआरयूएम पार्ट-टू को जल्द से जल्द ला कर उसको आप कार्यान्वित कीजिए। मैं ऐसा विनती करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me

this opportunity to participate in the discussion.

Sir, according to the Central Public Health Engineering, India's requirement of funds for the safe water supply and sanitation services by the year 2021 would be Rs. 1,72, 905 crore. According to the Rail India Technical and Economic Services (RITES) the funds required for the urban development infrastructure investment in cities with the population of lakh during the next 20 years would be Rs. 2,07,000 crore. The funds can be allocated from the Central, State Governments, Public-Private Participation schemes etc.

Sir, in modern India most of the rural population is migrating to urban areas for their children's education and for their future development. It becomes necessary to plan out the Urban Development schemes to accommodate them so as to be satisfied and convenient for all.

Sir, when compared to the countries like China, Indonesia, South Korea, Mexico and Brazil, the total population in urban area in India is very low. At the same time, the *per capita* income in India is also low. This may also be the reason for the low number of migration to the urban area. The Government should make an efficient strategy to meet out the needs of the rural population who are migrating to urban area in another 15 to 30 years.

Sir now, I would like to say something about Urban Transport Policy. The Urban Development plays an important role in the development of a nation. In order to develop the urban area, the Urban Transport Policy plays a key role.

Sir, nowadays, the number of motor vehicles is increasing. But, at the same time, the road facilities are not in proportion to accommodate them. Traffic jam is the biggest problem in major cities and Metropolitan cities in India. So, the present need of the hour is to plan for the World Class Roads.

The number of accidents in India is on the increase. The Government should plan to bring down the number of accidents all over India in the years to come. We must plan to put the road by keeping in view of 25 years ahead. When comparing to developed countries in the field of Highways, now India is lacking behind 10 to 15 years. This gap must be reduced as quickly as possible. Moreover, the life of the Indian roads is very poor. It could not sustain even for two or three rainy seasons. The roads are getting damaged quickly. The status of the Highways is also in a very pitiable condition. The Government should take action to follow the principles of quality roads. There should not be any compromise for the poor quality. For example, the Yamuna Expressway road laid down between NOIDA and Agra by a reputed firm seems to be a high quality concrete road. The travel duration is much saved and also wear and tear of the vehicle is also minimized. Not only that the traffic jam is also avoided.

16.19 hrs (Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

Madam, on this occasion, I would like to appreciate the efforts of the Government. We should prefer to plan for such roads all over India.

Now, I come to preparation of estimates. In most of the Highways Offices, just by sitting in office, the officials are preparing the estimates based on the old estimates only. Instead of that, they must be instructed to inspect the actual location and prepare the estimate. While preparing the estimate, they should take into consideration of the soil test, measurement, local canals, pools, ponds, crossing and the environments too.

Now, I would like to say something about tourist places namely Agra, Rameswaram and Kasi which are famous tourist destinations. Thousands of foreigners and the Indian tourists are visiting these places but the infrastructures like road facilities, staying facilities and the world-class environment are also not satisfactory. The maintenance of the City is very poor. The Government should take initiative and necessary steps to develop such tourist places so as to attract more foreigners and, by that way, the foreign exchange will also increase. The Government should take immediate steps to modernize Agra, Rameswaram and Kasi, the most familiar religious, pilgrim places so as to attract foreigners as well as Indians.

Now I come to Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission (JNNURM). I would like to say that JNNURM is a pioneer scheme and an excellent scheme implemented for the development of slums, accessibility to drinking water, sewage, solid waste management, roads and street lights to all. It was launched in 2005 and it ended on March, 2012. The Government should take efforts to renew JNNURM Scheme for further ten years and more funds should be allotted.

With these words, I conclude.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Madam, I deem it a great privilege to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Urban Development before this august House.

Madam, I would like to start with some statistics that depicts the stark reality and I urge that importance should be given to the issue of urban development. I have taken this from the Ministry's Note itself. In India, out of the total population of 1027 million, in 2001, about 285 million persons lived in urban areas. The proportion of urban population has increased from 19.9 per cent in the year 1971 to 27.8 per cent in the year 2001. The decadal growth of urban population was 31.2 per cent in 1991-2001. One of the salient aspects of urbanization in India in recent decades is the slowing down of urbanization during 1981-1991 and 1991-2001 as compared to 1971-1981 and 1961-1971. That the number of cities over 1.0 million population, in 2001, was 35 and population share was over 37 per cent is another trend that shows large variation patterns of urbanization in various States and cities. The contribution of rural-urban migration ranges between 19 per cent and 21 per cent of the net increase in urban population. The Registrar General of India has projected the total urban population for India and the States. It is interesting to know that 67 per cent of total population growth in India in the next 25 years is expected to take place in urban areas. The urban population is expected to increase from 285 million in 2001 to 534 million in 2026, that is, 38 per cent.

Madam, Urban India is plagued by shortage of housing facilities and scarcity of land for social overheads like roads, footpaths, parks, schools and so on. The roots of these problems can be found in the inadequate, inefficient, iniquitous land policy of the country. Our cities such as Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, etc. are aspiring to become world-class cities like Shanghai and Dubai by Linking of India with global economy for massive inflow of capital from outside the country as also rise in indigenous investment. The proponents of economic liberalization and associated structural reform have argued that this new strategy would accelerate rural-urban migration and give boost to the pace of urbanization. Sustainable urban development does take account of social and environmental effects and it means balance between the development of the areas and protection of the environment with an eye to equity in employment, shelter, basic services, social infrastructure and transportation in the urban areas. I think the Ministry should take an appropriate decision to cope up with all these factors.

There is a tremendous pressure on civic infrastructure systems like water supply, sewerage and drainage, solid waste management, etc. Recent data suggest that water supply is available for 2.9 hours per day across cities and towns. The non-revenue water that includes physical and revenue losses account for 40-60 per cent of total water supply. About 30 to 50 per cent households do not have sewerage connections and less than 20 per cent of total waste water is treated. Solid waste systems are severely stressed. The state of services reflects the deterioration in the quality of city environment. As per the 54th Round of National Sample Survey, 70 per cent of the urban households are being served by tap and 21 percent by tube well or hand pump. Madam, 66 per cent of urban households reported having their principal source of water within their premises while 32 percent had it within 0.2 km. Madam, 41 per cent had sole access to their principal source of drinking water, and 59 per cent were sharing a public source.

As per the 54th Round of NSS, 26 per cent of households had no latrines, 35 percent were using septic tank and 22 per cent were using sewerage system, sewerage connections varied from 48 percent to 70 per cent. The statistics show an alarming public health disaster in future. I think the Ministry would take concrete measures to deal with this issue.

Madam, adequate fund has to be allotted for water and sanitation in the Budget. Apart from this, the number of private water projects is increasing at a fast rate which systematically marginalizes and exclude the poor from access to quality drinking water. The New National Water Policy suggests that the Government withdraw from its role as a service provider in the water sector. Instead, it says, communities and private sector should be encouraged to play this role. The proposals could mean sharp rise in the cost of water for both rural and urban users. The Government should withdraw all moves against privatization of urban water supply.

Madam, another important issue is solid waste management. My colleagues have already spoken about this issue. It is estimated that about 1,15,000 MT of municipal solid waste is generated daily in the country. *Per capita* waste generation in cities varies between 0.2 and 0.6 kg. per day and it is increasing by 1.3 percent per annum. Given the adequate solid waste management in Indian cities, the Supreme Court gave direction to the Ministry of Environment and Forests to prepare Solid Waste Management (Handling) Rules, 2000. What is the impact of these rules on the ground? In many States, for example, Kerala, Kudumbasree groups participated successfully in the solid waste management. Such initiatives with community participation should be replicated in other cities of the country.

Madam, careful look at the much celebrated JNNURM proves that it is essentially a reform-linked investment programme of the private capital targeting Indian cities. Privatisation and commercialisation of basic services through public private partnership with an introduction of user fees; liberation of land and real estate market through repeal of Urban Land Ceiling

Act and change in Rent Control Act; valorisation of private sector and private credit rating agencies over elected civic bodies; bringing urban poor in the orbit of pay and use framework, for example. User fee for basic services, etc. are some of the key items of the Mission. All previous Central Government funding and programme, *Swarna Jayanti Sahakari Rozgar Yojana,* Valmiki-Ambedkar *Aawaas Yojana* (for housing and socially marginalised urban poor), the National Transport Policy, etc. were brought under this Mission. Projects that were given priority were mega infrastructure projects, gigantic commercial complexes, shopping malls, cultural facilities and urban spectacles. One by one, cities started joining the bandwagon and pledged commitment to private capital for transforming their physical and institutional landscapes. The Government should take immediate measures to cover the poor sections of the country for extending benefits of these projects.

The 74th Constitutional Amendment Act in 1992 that brought decentralisation made the urban local bodies more independent but the reduced budgetary allocations and shrunken economic base forced them to raise funds from the capital market surfaced as a debatable issue as it led to compromises on pro-poor projects. No anti-monopoly measures were taken to curb the consequent inter-urban disparity or the stress on services and infrastructure in large cities that this process led to. The consequence is, the concept of private cities gradually gained acceptance in India. If all goes well, India should have at least 30 private cities across the country by the end of this decade. The number could be even greater, considering the manner in which India's policy-makers are allowing this concept to germinate. SEZs is a related issue. Madam, as many as 19 SEZs have area more than 1,000 hectares and covering more than half of the total area under SEZs. Lakhs of people of common people have been evicted from the area where they were born and living for a number of years. So, the Government should pay adequate compensation for those poor people who are evicted from the SEZ areas.

So, while starting new projects, the Government should take care of the poor people who are living in the urban areas for a number of years and they should take appropriate measures to protect their interests and fulfil their dreams.

With these words, I conclude.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Madam Chairperson, I heard the intervention of the hon. Minister of State for Urban Development where he made a plea to the House that the demand for meeting the urban requirements was close to Rs. 39 lakh crore. But the total amount allocated is only Rs. 7,729 crore. So I would like to ask a question to the hon. Minister of State.

PROF. SAUGATA ROY: That is for 20 years, not for one year.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : All right. I would urge the hon. Minister to inform us as to what is the amount required to really take care of the urban pressures and whether he feels he is getting enough allocation or not. My point is, out of Rs. 7,729 crore, if Rs. 5,500 crore is allocated to the metro system, which is two-thirds of the total budget, it is a good thing.

But there is an urban pressure. This is at a time where the urban population, as per the hon. Minister, is supposed to double in the next 20 years to 600 million and the GDP contribution of urban areas is supposed to rise from 60 to 63 per cent right now to 75 per cent by the year 2030.

In view of this, I would like to point out, despite the disdain for numbers shown by my learned friend Shri Vijay Singh, some numbers. India spends 17 dollars on *per capita* terms on its urban population which is only 14 per cent of what China spends at 116 dollars and a mere 6 per cent of what New York spends which is 292 dollars *per capita*. So, I would urge the hon. Minister that the Government should need to spend much more. However, we also have to evaluate the broad policy formulation and the monitoring by the Ministry of Urban Development in the four major components, namely urban development, urban water supply, urban transportation and urban sanitation.

Madam, let me now quote some numbers provided by McKinsey on some of the key areas. The best in class water supply quantity as per McKinsey's index is 220 litres per day and the United Nations Basic Services Standard say it is 150 litres per day, but in India, our people get only 105 litres per day. The share of public transportation, as a percentage, is 82 per cent as per McKinsey's index and 50 per cent as per United Nation's standard and India stands at 30 per cent. On parks and open spaces, 16 sq.m. *per capita* is the yardstick given by McKinsey and 9 sq.m. given by the United Nations, but in India, we have a mere 2.7 per cent of parks and open spaces *per capita*. On sewage treatment, 100 per cent is the figure given

by McKinsey and the United Nations, but we stand at 30 per cent. In solid waste management also we fall short of the standard.

So, not only do we fall short in terms of quantity, even on quality, we all know the kind of quality of water supply that we have in urban areas of our country. I cannot think of a single city where we can actually drink water from the tap and feel safe. Madam, in the World Water Development Report, 'Water for People, Water for Life 2003' by 23 United Nations Partners constituting the World Water Assessment Programme (WWAP), India was ranked 120 out of a total of 122 countries. That is not something we need to be proud about.

Under JNNURM, the flagship programme of the Urban Development Ministry, I have figures which say only 20 per cent has been utilised. Vijay Singh Ji was saying about 40 per cent or 45 per cent has been utilised. However, we can agree that there has been much less utilisation than what was envisioned. One of the main reasons for that, Madam, is the lack of capacity building at the ground level. Whereas these massive schemes have come on to urban areas, the local officials, the locally elected people do not have the wherewithal and the know how to administer these schemes. I wish that the hon. Minister and the Ministry in turn will put the required emphasis to ensure that such schemes do actually get implemented and utilised.

Madam, I know that the Ministry of Urban Development is not the only Department which works for the benefit of the urban areas. You have the Ministry of Housing, you have the Ministry of Sports, which has urban sports infrastructure and I am sure other Ministries also participate to an extent. However, the basic policy formulation, the basic coordination and long term planning lies with the Ministry of Urban Development. We know, Madam, that we have not been able to create adequate urban infrastructure, and this is not in the last three to five years but this is a struggle for the last 30 to 50 years, and neither have we been able to create additional urban areas which lessen the burden of our urban infrastructure.

In that context, Madam, I would like to ask the hon. Minister why the Master Plan of Delhi has been passed. We know the kind of pressures which exist on Delhi as a city. Is it because of pressures in the Urban Development Ministry, is it because of pressures under the DDA, under the Lieutenant Governor or is it because of pressures on the MCD, under the Government of Delhi? This is not an easy task coordinating these three Departments. However, the onus of ensuring that we do have the Master Plan passed lies on the Ministry of Urban Development...(*Interruptions*) Implement it. They have passed it but it has not been implemented...(*Interruptions*)

Madam, I will not take too much time and I do hope that you will give me two minutes. One of the major contributions by the Urban Development Ministry was the formulation of a Model Municipal Law for the State Governments to follow. Only four State Governments, Rajasthan, Bihar, Odisha and Sikkim have based their municipal laws on the Model Municipal Law. These are four Governments which do not have urbanization to that extent as other States do, yet they have followed this law. I would urge the hon. Minister to recognize the fact that these State Governments have followed that law and grant substantial incentives to them so that other State Governments can be pulled into this.

Madam, one of the other things which we have solely lacked in creating additional urban infrastructure is finance. Not all the financing comes from the Government, we completely understand that. However, in the United States of America Municipal Bonds are used very effectively to finance gaps in creation of urban infrastructure. Madam, ten per cent of the debt market in the US is Municipal Bonds, whereas in India it is a mere one per cent. I would urge the Ministry of Urban Development to come up with some sort of support structure which can help enable municipalities to create a financing system for their own infrastructure, such as, maybe Government buildings in these urban areas paying adequate amount of taxes, which does not exist.

Madam, lastly, since you have already rung the bell once, the hon. Minister of Urban Development was himself the Environment Minister, however, since Independence we have not been able to create even a single Green City, which can be used as an example for other cities to follow in our environment of climate change. I would urge the hon. Minister to consider giving substantial incentives to those cities which actually go plastic free or act for sewage treatment or for waste management treatment.

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): महोदया, शहरी विकास विभाग के बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री जी काफी अनुभवी हैं और लगता है कि उनके अनुभव का लाभ शहरवासियों को मिलेगा। शहर की आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। गांवों में सुविधा नहीं होने के कारण लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। इस कारण शहर में भी गरीबी बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पूर्व योजना आयोग ने पता नहीं किस मंशा से कहा कि 26 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले लोग जो शहर में रहते हैं, वे गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। योजना आयोग का यह कैसा मापदंड है, क्योंकि इससे तो शहर में कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा। टैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुविधा नदारद होती जा रही है। मैं देश के सबसे पिछड़े राज्य से आता हूं। मैं अन्य शहरों की बात क्या करूं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में भी बहुत-से इलाके हैं, जिनकी आबादी दो-दो लाख है। वहां पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। पेयजल की वहां सप्लाई नहीं है। मैं छपरा, सिवान

जिला, जहां से इस देश के निर्माण में कई महान हस्तियों ने अग्रणी भूमिका निभाई है, इस जिले में कई शहर ऐसे हैं, जहां लाखों की आबादी है, लेकिन नगर पंचायत नहीं है, लेकिन वहां पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। मैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से आता हूं। महाराजगंज का मुख्यालय अनुमण्डल मुख्यालय है, लगभग सात वर्षों से वहां पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन शहरवासियों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत-से छोटे-छोटे शहर मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इन छोटे-छोटे शहरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए।

राष्ट्रीय जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन, जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 2005 में किया, जिसकी अवधि वर्ष 2012 तक निर्धारित है। मुश्किल से 25 से 30 प्रतिशत शहर इस योजना से लाभांवित हुए हैं। 70 से 75 प्रतिशत शहर इस योजना के लाभ से वंचित हैं। मैं समझता हूं कि इस योजना की समय अवधि का अगर विस्तार नहीं होता है, तो इस योजना का लाभ नहीं हो सकता है। भारत नगर और शहरी के विकास करने की व्यवस्था में जो अव्यवस्था है कि बिहार में कई बड़े-बड़े शहर ऐसे हैं, पटना के अलावा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, पुनिया, भागलपुर है, ये सभी शहर पेयजल के अभाव में त्रस्त रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस योजना के समय में विस्तार किया जाए। बहुत लोगों ने आंकड़े दिए हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत के शहरों में गरीबी बढ़ती जा रही है। इस बारे में कई कमेटियां बनी हैं, चाहे तेंदुलकर समिति हो या दूसरी समितियां हों, सभी समितियों ने अपनी-अपनी राय दी है और गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले लोगों की सूचियां बनती रहीं। बीपीएल, एपीएल बनता रहा लेकिन अभी तक कोई ठोस आंकड़े नहीं बन पाये। शहर के किनारे रहने वाली माताएं, बहनें और बहुं सड़कों पर शौचालय जाने के लिए बाध्य होती हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि छोटे-मोटे शहरों में तो यह समस्या है ही लेकिन बड़े बड़े शहरों में भी शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में शहर नर्क के रूप में तबदील हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी नाले अतिक्रमण से प्रभावित हैं। कई नाले ऐसे हैं, जिनके लिए रूपया भी दिया गया लेकिन एनडीएमसी, डीडीए और पुलिस की लापरवाही के चलते वे अभी तक नहीं बन पाये हैं। ऐसी व्यवस्था है, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन एक बहुत अच्छी योजना है और इसलिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए तथा सिर्फ राजस्व की वसूली नहीं हो, माननीय मंत्री जी टैक्स न बढ़ाएं, शहरों में भी सुविधा उपलब्ध हो तो शहर में लोग जीने के लिए काफी लाभान्वित होंगे।

मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत से ऐसे शहर हैं जो नगर पंचायत नहीं बने हैं लेकिन उनकी आबादी ज्यादा है। महाराजगंज बनने के दस वर्षों के बाद एकमात्र नगर पंचायत बना है। अभी बहुत से ऐसे शहर हैं जिनमें पेयजल की सुविधा नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि जो देशरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जिला रहा है, वैसे जिले में हमारे माननीय मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें और उन इलाकों में भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएं।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल):** आज शहरों की आबादी दुनिया के सर्वे सूची में निरन्तर बढ़ रही है और आज गांवों से रोजगार व अन्य सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही है। आज गांव की अपेक्षा शहरों का महत्व बढ़ा है। आज शहरों की मांग बढ़ी है। लोगों की पहली पसंद शहर की ओर बढ़ी है। इसके अनेक कारण हैं। चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या औद्योगिक दृष्टि से हो, मुख्य कारण इसके साथ आवश्यक सुविधाओं की भी पूर्ति शहरों में ही मिलती है।

आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे सत्ताइस वर्षों बाद आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। अतः आवश्यक पूर्ति शहरों के विकास के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर शहरों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए जिसमें क्या आने वाले समय में अधिक से अधिक शहरों को जोड़ने का प्रयास योजना आयोग के माध्यम से जल्द जोड़ने का कार्यक्रम तय करेंगे। छोटे शहरों का ध्यान रखने के लिए जे.एन.एन.एल.आर.एम. के माध्यम से छोटे शहरों को आपूर्ति करेगी, ऐसा विश्वास करती हूं।

आज छोटे शहरों में भी बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। चाहे पीने के पानी की समस्या हो, सड़क-नाली की समस्या हो, स्लम बस्तियों में आज भी पानी, सड़क, नाली, शौचालय, कचरानुमा बस्तियों को आज भी नरक भरी जिंदगी में जीने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को देखकर दुखी होना पड़ता है। उनके अच्छे जीवन यापन के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे शहरों को विकसित करना और लक्ष्यों को तय करने का प्रयास किया है, परन्तु इसे पूरा करने तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो नीति बननी चाहिए, सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहय नेशनल मिशन के द्वारा शहरों के विकास करना, दस लाख से ज्यादा वाले शहरों में घरों की सुविधा हो, स्वच्छता की समस्या हो, पानी के रिचार्ज की व्यवस्था हो एवं बड़े-छोटे तालाब के निर्माण की व्यवस्था हो, हमारा निर्माण भी वैसा होना चाहिए। आने वाले बीस वर्षों को सुरक्षित करने वाला हो। सरकार द्वारा चलाये जा रहे सारे प्रोजेक्ट में कुछ प्रोजेक्ट में छोटे शहरों को भी शामिल करना चाहिए। साथ ही, पर्यावरण एवं पर्यटन को भी स्थान देना चाहिए। आज कई ऐसे छोटे शहर हैं जहां ऐसे स्थान आज भी हैं। उसे केवल सुन्दर बनाने की आवश्यकता है।

"आज सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिसे शहरों में गंदगी कचरे से छोटे-बड़े शहर पटे पड़े हैं, इस ओर आवश्यक नीति बनाने की आवश्यकता है और इसे कठोरता से लागू करने की भी आवश्यकता है। बढ़ती आबादी और बढ़ती गंदगी भी समस्या का मुख्य कारण है। "

---

*Speech was laid on the Table

झोंपड़पट्टी के आवास की योजना "राजीव गांधी आवास योजना " यह छोटे शहरों में भी जल्द लागू किए जाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छोटे शहरों में भी लागू की जाए। बेरोजगारी को देखें तो शहरी गरीबों की संख्या बढ़ी है। आज भी छोटे शहरों में रोजगार की पूर्ण व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हुई है। इस ओर गंभीरता से कार्य करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में अपराध एवं अपराध करने की भावना में बढ़ोतरी होगी।

आज भी छोटे शहरों को बड़े शहरों की तरह सम्पूर्ण विकास करने की आवश्यकता है। बढ़ती बेरोजगारी में महिलाओं को भी स्वरोजगार एवं रोजगार में समान रूप से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा तभी एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ शहरों का निर्माण करने में हम सक्षम हैं। इसे पूरा करने के लिए सरकार के पास समुचित कार्य योजना है, केवल उसे कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है जिसे सरकार करने में सफल सिद्ध होगी। इसके लिए एक मजबूत ढांचे के साथ आवंटन की राशि को अधिक करने की आवश्यकता है तभी हम इसे सफल कर सकेंगे।

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Our cities are congested as most of them are not planned cities. As such in many of our cities there is lack of fresh air for healthy living and oxygen content in cities is alarming low. The main reason for this is that cities are neglecting to provide lung space because of reckless constructions.

As roads are narrow, naturally there will be more congestion and the streets will become more dirty, as there will be very less pace for waste dumping.

One important reason for our cities are becoming congested and unhealthy, is allowing the unauthorized dwellers who occupy areas in cities which slowly turned into slums. This is a serious threat. Even though there are rules in force, no stringent action are taken and the result is the problem of growing slums is serious now.

The Government should initiate to bring effective rules in consultation with state governments to control unauthorized occupation of government land and public space.

In view of the shortage of drinking water and electricity, regulations should be made for sanction of multi-storied buildings, in areas which have already become congested.

The government should bring rules in consultation with state governments to earmark stipulated percentage of total area of the city or town to form 'city forest' for planning trees and vegetation. This will give space for people to relax and will help for increasing oxygen in the city.

With this, I support the demand for grant.

---

* Speech was laid on the Table

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Demands for Grants under the head of Urban Development Ministry.

Madam, the task before the Ministry is greater but the resources are limited. Considering the volume of activities ahead more allocation might have been earmarked in the Budget to the Ministry of Urban Development than what was allotted for the year by the Finance Ministry.

At the outset, I would like to remind the hon. Minister of Urban Development that the National Steering Group on Urban Infrastructure Mission has not met since 2009. So, the hon. Minister may be pleased to make note of it that the meeting should be held regularly.

Madam, every coin has two sides. Like that our country has also two faces, one is rural and another is urban. So, the development should be concentrated on both sides simultaneously. The main threat now being faced by the metros is the migration of the people from rural areas to cities for their livelihood.

Urbanisation is inevitable and migration from rural to urban is also irreversible. The urban Infrastructure Development for Small and Medium Town Scheme and Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission Scheme are good Programmes which aimed at the development of small and medium towns and metro cities. But I am sorry to say, Madam, that the progress achieve by the Programmes is rather not satisfactory. For instance, under Urban Infrastructure Development of Small and Medium Towns Scheme, 787 projects approved for implementation in 660 towns at an approved cost of Rs. 13,567.83 crore whereas only 142 projects have been physically completed. Such a tardy progress in the implementation of the scheme will have an adverse impact on improving the civic amenities. The Ministry, through proper monitoring, should ensure that these projects are completed in time.

It may also be appropriate to recollect what the Mid-term Review of the Planning Commission stated about the implementation of JNNURM. I quote:

"Though four years have passed, only some reforms have taken place. Many are still pending."

The Report states that JNNURM still lies in a shambles. Though review was done in 2010, the situation remains unchanged. I hope, the Ministry will take more efforts to implement the schemes with a sense of purpose and a degree of speed.

Let me take my constituency. Salem city in Tamil Nadu has a population of 8.36 lakh. Salem is a developing city. The infrastructural facilities are not adequate for the size of the population that the city has.

Though the present State Government under the efficient leadership of Dr. Puratchi Thalaivi is striving hard to improve the civic condition of the Salem city, the key challenges in the areas of road, water supply, sewerage and sanitation, housing, transport, electricity, solid waste management plant, health, etc. need to be met.

So, I would like to make an appeal to the hon. Minister that during the second phase of the implementation of the JNNURM Scheme, Salem city in Tamil Nadu should be included under this Scheme. I understand that three cities in Tamil Nadu – Salem, Trichy and Tiruppur – are under consideration. So, I would request the hon. Minister to include Edappadi, Athur and Mettur Municipalities under the Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns. The State Government will forward the necessary proposals if the Centre agrees to my plea. I would also request the Centre to be more generous in allocating grants to those proposals.

In conclusion, I would like to give one suggestion to the hon. Minister. I would suggest to the hon. Minister to evolve performance based incentives for the States, so that the State like Tamil Nadu which is performing well will get more funds under the JNNURM Scheme.

With these words, I conclude.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदया, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझ से पहले बहुत सांसदों ने अपनी राय रखी है, विचार रखे हैं। नःसंदेह आज जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि हम किस प्रकार से शहरीकरण और शहरों के विस्तार में आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे? अगली पीढ़ी का भविष्य किस प्रकार का होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है। 30 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या शहरों में रहती है और इन लोगों की 60 प्रतिशत से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था, जीडीपी में हिस्सेदारी है। अगर हम नए रोजगार के अवसरों की बात कहें तो 70 प्रतिशत नए रोजगार के अवसर शहरों में उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वर्ष 2050 तक आकलन किया जाता है कि हमारे देश की आधी आबादी शहरों में रहेगी और वर्ष 2030 तक तकरीबन 60 करोड़ लोग शहरों में जा चुके होंगे। यहां बहुत सांसदों ने अपनी बात रखी है, चाहे गवर्नेंस की चुनौति हो, लो कास्ट हाउसिंग की चुनौति हो, ट्रंसपोर्टेशन की चुनौति हो, सीवरेज, सड़कों या वाटर सप्लाई की चुनौति की बात हो, इन सब चुनौतियों का हमें एक साथ सामना करना पड़ेगा। हमारे मंत्रालय को बहुत सी सफलताएं मिली हैं, उनके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, चाहे वह जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की बात हो या दिल्ली मैट्रो की बात हो। खास तौर पर अभी पीछे एक कमेटी का गठन किया गया था। ईश्वर आहलूवालिया जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कि जो आगे यह देखे कि किस प्रकार से शहरीकरण के मामले में हम अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। मैं उस कमेटी के गठन पर भी हमारे मंत्री जी और मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या बताया,

16.56 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

उस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि अगले बीस साल में हमें तकरीबन 39 लाख करोड़ की जरूरत होगी। अभी श्री लालजी टंडन 29 लाख करोड़ कह रहे थे। मैं उस आंकड़े को सुधारना चाहता हूं कि 29 नहीं 39 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस साल हमने कितना आबंटन किया है। इस साल हमने सात हजार सात सौ करोड़ रुपये का आबंटन किया है। अभी हम एक लाख करोड़ पर नहीं पहुंचे है और हम 39 लाख करोड़ की बात अगले बीस साल में कर रहे हैं, जो हमारे देश का 2008 का जीडीपी था, उतनी अमाउंट हमें बीस साल के अंदर शहरों में झोंकनी पड़ेगी तब कहीं हम इन चुनौतियों का सामना करने में सफल हो पायेंगे। वैसे बहुत से पहलू हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक पहलू सीधा मंत्रालय के अंडर नहीं है। मगर मंत्रालय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पहलू पर सबसे पहले किसी तरीके से प्रदेश सरकारों के साथ बात करके उसे सुलझाने का प्रयास करें। जो गवर्नेन्स की बात है, आज के दिन हम देखें कि शहरों में छोटी म्युनिसिपैलिटीज में क्या हो रहा है। किस प्रकार के पार्षद चुनकर आ रहे हैं और जब पार्षद चुनकर अपनी कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं तो पांचों साल उस कमेटी के चेयरमैन को हटाने के लिए दौड़-धूप चलती है। डाक्टर साहब हंस रहे हैं, इन्हें इस बात की जानकारी है कि दौड़-धूप चलती है, खरीद-फरोख्त चलती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस स्तर पर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, ऐसी व्यवस्था में हम चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, मगर जब उस स्तर पर सुधारीकरण का काम नहीं करेंगे और यह मैं मानता हूं कि यह केवल केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें इलैक्शन कमीशन की भूमिका महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से चुनाव का ढांचा बने। उस स्तर पर जब चुनाव होता है। उसमें प्रदेश सरकारों की और केन्द्र सरकार की भूमिका रहे, ताकि हमारी गवर्नेन्स ऐसी हो कि एक मेयर के हाथ में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हम इस प्रकार का बनाकर दें कि निष्पक्षता से और सफाई से हम जो योजनाएं यहां से बनाते हैं, वह उनका पालन कर सके।

अब मैं मंत्रालय का ध्यान ट्रंसपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज हमारे शहरी विकास विभाग का 85 परसैन्ट बजट ट्रंसपोर्ट की तरफ जा रहा है, जिसमें से तकरीबन सारा का सारा बजट मैट्रो की परियोजनाओं के विस्तार की तरफ जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली मैट्रो के रूप में एक बहुत सफल योजना हमने चलाई है। जैसे कि बताया गया कि विश्व में सबसे अच्छी यदि कोई मैट्रो परियोजनाओं में किसी की गिनती होती है तो वह दिल्ली मैट्रो की गिनती होती है। हमारे मंत्रालय ने इस बात की सफलता पाई, इसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ-साथ मैं दिल्ली मैट्रो के बारे में अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। दिल्ली मैट्रो और बाकी जगह जो मैट्रो का विस्तार हो रहा है, उसमें जो कास्ट शेयरिंग का ढांचा है, वह आधा-आधा रखा गया है। पचास परसैन्ट भारत सरकार देती है और पचास परसैन्ट प्रदेश सरकारें देती हैं। अभी हाल ही में जो ढांचा रखा गया है, उस ढांचे के विपरीत एक मैट्रो की लाइन बदरपुर से वाई एम सी ए चौक फरीदाबाद तक अपूव हुई है, वह देश में ऐसी पहली मैट्रो है, जिसमें अस्सी प्रतिशत हिस्सेदारी हरियाणा सरकार दे रही है। मैट्रो फरीदाबाद जायेगी, उसमें 13.8

किलोमीटर में वह मैट्रो लाइन बनेगी। 2494 में से 1557 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार दे रही है और फिर भी उसका नाम दिल्ली मैट्रो रहेगा। मैं मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि जब सारे देश में आधी-आधी हिस्सेदारी का एक ढांचा है तो आधी हिस्सेदारी भारत सरकार को देनी चाहिए और अगर आपको नहीं देनी है तो बदरपुर बार्डर से आगे जो मैट्रो जाए, उसका नाम हरियाणा मैट्रो कर देना चाहिए। चूंकि हरियाणा सरकार उसका पूरा खर्चा उठा रही है।

मैं अगला सुझाव रखना चाहता हूं कि जो मैट्रो मुंडका तक पहुंच गई है, मुंडका से आगे बहादुरगढ़ तक जो मैट्रो का एक प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव भी इन प्रिंसिपल उसका फैसला हो चुका है, इन प्रिंसिपल उस प्रस्ताव का अप्रूवल हो चुका है। यह कुल 11 किलोमीटर लम्बी लाइन है, 11 किलोमीटर में 6 किलोमीटर दिल्ली में है और 5 किलोमीटर हरियाणा के अंदर है। यह लाइन 1916 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रही है।

17.00 hrs

अभी जो प्रस्ताव है, उसके अनुसार 1916 करोड़ रूपये की जो लागत आएगी, उसमें प्रदेश सरकारों की तरफ से जो हिस्सेदारी होनी है, वह केवल हरियाणा सरकार करेगी। जबकि मात्र 6 किलोमीटर लाइन दिल्ली के अंदर बननी है। मैं मंत्री जी के सामने पुरजोर मांग रखना चाहता हूँ कि या तो दिल्ली सरकार यह कह दे कि मुण्डका से आगे 6 किलोमीटर तक दिल्ली में कोई रहता नहीं है या जो रहते हैं उनकी दिल्ली में कोई हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं है। अगर वे यह कह दें तो हम वहां से मैट्रो लाइन ले जाने का काम करेंगे। अगर वह दिल्ली का हिस्सा हैं तो मुण्डका के अंदर हमारे जो किसान भाई रहते हैं, जो मजदूर भाई रहते हैं, उन भाइयों की हिस्सेदारी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए। उसके साथ मेरा अगला सुझाव है कि जहांगीरपुरी से आगे कुंडली तक मैट्रो लाइन जानी चाहिए। अगले फेज़ में इसका सर्वे चल रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सोनीपत और आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण मैट्रो लाइन बनने जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना द्वारका से आगे नजफ़गढ़ और बादली तक मैट्रो लाइन पहुंचने की है। महाबल जी यहां बैठे हैं, जो इस बात के लिए जोरदार समर्थन करेंगे क्योंकि यह ऐसी मैट्रो लाइन है जो पूरी पश्चिमी दिल्ली को बाकी दिल्ली से जोड़ती है। देश का दिल दिल्ली में बसता है, दिल्ली का दिल्ली पश्चिमी दिल्ली में है और पश्चिम दिल्ली का दिल कहीं है तो वह नजफगढ़ में है। यहां से खिलाड़ी निकलते हैं। सहवाग से ले कर सुशील कुमार तक आदि खिलाड़ी पश्चिमी दिल्ली के नजफ़गढ़ से निकलते हैं। नजफ़गढ़ तक मैट्रो जाए और आगे बादली तक पहुंचे तब जा कर इस क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा।

सभापति जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय एनसीआर के बारे में कहना चाहता हूँ। दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र को एनसीआर कहा जाता है। बहुत से जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। एनसीआर जब बना, उसका सपना यह था कि दिल्ली के आस-पास के जिलों का बराबर विकास हो। दिल्ली के आस-पास गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी और पानीपत आदि इस पूरे क्षेत्र का विकास एकसमान हो और एक समान जीवन-स्तर हो। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि एनसीआर सन् 1985 के अंदर बना और यह स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था। उन्हीं की कलम से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन हुआ था। इस देश की जो जीडीपी है, उसमें से 20 प्रतिशत आज यह एनसीआर कांट्रीब्युट करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एनसीआर की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मैं आपका ध्यान एक विपरीत परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अकेला एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड ही केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके लिए अलोकेट होने वाले प्लॉन बजट के अंदर कटौती की गई है। सन् 2007-08 के अंदर एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के सेंट्रल प्लान का बजट सौ करोड़ रूपये दिया गया था। अब वह घट कर 50 करोड़ रूपये पर आ गया है। मैं ऐसे अनदेखी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जस्टीफाइ नहीं है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मांग थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रूपये दिए जाएं। 500 करोड़ रूपये मांगे तो केवल 60 करोड़ दिए गए। अभी राष्ट्रमण्डल खेल हुए तो क्या हुआ कि सारा का सारा बजट दिल्ली के अंदर आया। हमें खुशी है कि दिल्ली के अंदर बजट आया मगर हमने कहा कि आप दिल्ली का सौंदर्यकरण कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गुड़गांव में रूकेंगे, नोएडा में रूकेंगे और फरीदाबाद में रूकेंगे। आप वहां के सौंदर्यकरण के लिए भी पैसा दीजिए। लेकिन एक भी पैसा वहां के लिए आबंटित नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो अनदेखी की जा रही है यह ठीक नहीं है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जो प्लॉन बजट है, उसे बढ़ाया जाए, उसमें कम से कम तीन गुना बढ़ोत्तरी होगी तभी आगे एनसीआर का विकास संभव हो सकेगा।

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सर, पार्टी की तरफ से टाइम मिला है।

MR. CHAIRMAN: Your Party's time is already over.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सर, जो आखिरी विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ वह एक बहुत गंभीर विषय है।

MR. CHAIRMAN: The Minister wants to reply. That is why, we are waiting for his reply.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के ग्रांटिंग बजट के साथ-साथ मुझे सूचना मिली है कि मंत्रालय एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के स्टॉफ में कटौती का फैसला करने जा रहा है। मेरी मांग है कि स्टाफ को बढ़ाया जाए और एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड को पूरा बजट दिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी बड़ी मेगासिटीज़ हैं - चाहे न्यूयार्क, लंदन या टोकियो की बात करें।

MR. CHAIRMAN: All right, Mr. Hooda, please sit down.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Sir, it is a very important issue. If I can have the indulgence of the hon. Minister, it is a very important topic.

महोदय, पूरी दुनिया के अंदर जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मैट्रो और रेलवे का इंटरओपेरेबिलिटी है ताकि सब-अर्ब्स को कनेक्ट किया जा सके। पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यह लागू की गयी है। मैंने बहुत से शहरो का कि किस प्रकार से वहां मैट्रो का विस्तार हुआ, मैंने उसका अध्ययन किया है। अगर आप दुनिया के बड़े-बड़े शहरों को देखें, मैंड्रिड को देखें तो वहां जब मैट्रो बनी, उसके साथ-साथ सब-अर्बन हाई स्पीड रेल कॉरीडोर तैयार किये गये, जिसे करकानिआस कहा जाता है। पेरिस के अंदर रीजनल एक्सप्रेस रेलवे जब बनी तो रीजनल एक्सप्रेस रेलवे इस प्रकार से बनी कि पेरिस के 200 किलोमीटर तक उन्होंने एक-साथ उसे कनेक्ट करने का काम किया। उन्होंने अपनी मैट्रो और रेलवे दोनों को कनेक्ट किया।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech. There is no time. You should complete your speech. How can I allow you to continue?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: ऐसे ही जर्मनी के अंदर यू-बान और एस-बान दोनों को एक-साथ मिलाया गया। जहां पर हाई स्पीड रेल कॉरीडोर बनाये गये, वहीं पर मैट्रो के स्टेशन, दोनों स्टेशनों को एक-साथ उतारने का काम किया गया। आज के दिन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक सजेस्ट किया था कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से एक हाई स्पीड कॉरीडोर दिल्ली की चारों दिशाओं में बनाये जायें। मगर उस प्रोजेक्ट में ढिलाई हुई है। जिस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को चैम्पियन करना चाहिए था, मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाये। अभी फिलहाल तीन कॉरीडोर बने हैं, एक पानीपत तक, एक मेरठ तक और एक अलवर तक, इन तीन कॉरीडोर के साथ-साथ एक कॉरीडोर हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, सिरसा तक जो पश्चिमी दिशा में जाता है, उस कॉरीडोर की भी फिजेबिलिटी स्टडी होनी चाहिए और एक कॉरीडोर जो हमारा मथुरा तक, जो फरीदाबाद, पलवल, मथुरा तक जाता है, वह कॉरीडोर भी बनना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

Dr. Rattan Singh Ajnala, I allow you five minutes to speak very briefly.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: जब तक यह कॉरीडोर नहीं बनेगा, लोग दिल्ली के अंदर आते जायेंगे। मैं बहुत पुरजोर तरीके से यह कहना चाहता हूं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है, जो रेलवेज और मैट्रो को एक-साथ, अब रेलवे और मैट्रो को जोड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मुम्बई के अंदर सब-अर्बन ट्रेन चलती है, अब रेलवेज और मैट्रो को जोड़ने की आवश्यकता है। उसे प्रदेश सरकार अकेले नहीं जोड़ सकती है, उसे जोड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को ही पहल करनी चाहिए। NCR Planning Board is in the unique position to talk to Railways and to State Governments to facilitate this. पानीपत से एक ओमिनी वेस्ट का प्रोजेक्ट हमारा जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन में आया है, मैं उसे भी सैंक्शन करने का आग्रह करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Take your seat.

Rattan Singh ji, you please start.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आदरणीय पवन बंसल जी यहां बैठे हैं। जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन जो चंडीगढ़ को मिला है, उसमें उन्होंने ट्राई सिटी के नाम से उसे दिया है। मोहाली-चंडीगढ़ और पंचकुला, मगर उसका पूरा बजट अकेले चंडीगढ़ में लगने का काम हुआ, क्योंकि एक-साथ हमारी प्लानिंग नहीं हो पायी। पंचकुला का अलग से सिटी डेवलपमेंट प्लान छह हजार करोड़ रूपये का पेंडिंग है। मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह पंचकुला का और मोहाली का भी जो अलग से सिटी डेवलपमेंट प्लान है, उसे शामिल किया जाये।

MR. CHAIRMAN: On other points, Rattan Singh ji will speak now.

Hooda ji, please take your seat.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंदर अभी जितने भी शहर आते हैं, जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन में उन सभी शहरों को शुमार करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Mr. Hooda, please take your seat.

Rattan Singh ji, you please speak in brief. I allow you five minutes.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अभी केवल उसमे फरीदाबाद शुमार है, चाहे गुडगांव आता है, चाहे गाजियाबाद आता है, चाहे नोएडा आता है, उन सभी को जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के अंदर शामिल करने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।...(<u>व्यवधान</u>)

***श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर):** मैं शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं।

वर्ष 2004-2009 तक सफाई कर्मचारी भारत सरकार की अध्यक्ष होने के नाते, मुझे छोटी से छोटी नगर पंचायत नगर पालिका तथा प्रमुख नगर निगमों को नजदीकी से देखने का मौका मिला। इस में कोई शक नहीं कि भारत सरकार शहरी विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है। प्रतिवर्ष राज्य सरकार को बजट का प्रावधान भी किया जाता है, परन्तु राज्य सरकारें उस बजट का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग कर रही हैं। मोनिटरिंग की अति आवश्यकता है, जिसका मूल्यांकन करना अधिक जरूरी है। शहरों में मशरूम की तरह बिना पास करवाए कालोनी बन रही,वहां न सड़कें हैं, न पेयजल है और न ही बिजली की व्यवस्था है। इस बिंदु की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी योजना में राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग ही शहरी विकास का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जनसंख्या का दवाब बढ़ता जा रहा है। कचरा भी दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। सड़कें खराब हैं। स्वच्छ पेयजल मुहैया नहीं कराया जा रहा है और लोग

गंदा पानी पीने के मजबूर हैं। जो लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, उनकी दयनीय स्थिति है। वहां न पानी की सुविधा है और न ही सफाई है, जिससे लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। ये गरीब लोग शहर के लोगों को समृद्ध बनाने के कार्य में लगे रहते हैं और शहर को साफ रखने की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वयं नरक में रहते हैं। यहां तक कि उनके लिए राशन कार्ड तक बनाने की व्यवस्था नहीं है। होशियार पुर संसदीय क्षेत्र के समूह शहरी क्षेत्र की बहुत दयनीय स्थिति है। बेसिक व्यवस्था की कमी के कारण ही यह दशा बन गई है। सारांश में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जो बजट आप राज्य सरकारों को शहरी विकास के लिए भेजते हैं, उसकी मोनिटरिंग सही ढंग से होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के तथा राजनीति को सम्मुख रख कर वार्ड्स में विकास का कार्य किया जाता है जो कि दुखांत विषय है।

शहर में स्वास्थ्य की कमी, स्कूल और कालेजिज की भी कमी है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य को प्रधानता देते हुए होशियारपुर जिले के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट का उपबंध करवाने की घोषणा की है, जो बहुत ही सराहनीय है। शहर का मुखड़ा वास्तव में वहां की सफाई देखने से मिलता है। प्रत्येक नगरों एवं महानगरों में चारों और गंदगी नजर आती है। यही एक बिंदु है, जिसका आज तक राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। यहां सफाई अथवा सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों की

---

*Speech was laid on the Table

दयनीय स्थिति है। शहरों की जनसंख्या बढ़ गई है। मानक के अनुसार उन की संख्या बहुत कम है। सफाई कर्मचारी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। उन्हें किए गए कार्यों का पूरा पैसा भी नहीं मिलता है, क्योंकि यह पैसा ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें मिलता है। उन्हें अधिक काम करना पड़ता है और कम वेतन मिलता है। मंत्री जी, खाली पद तथा मानक के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। चूंकि सफाई परमानेंट कार्य विधि है इसके लिए म्यूनिसिपल कमेटी अथवा नगर निगम में पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। सीवर साफ करने की व्यवस्था का स्वरूप बदलना चाहिए। शहर की गली में पानी का निष्कासन होना, जिसके कारण पीलिया जैसी बीमारी संक्रामक रोग का रूप ले लेती है। शहरी मंत्रालय राज्य सरकारों को बजट भेजते हैं, उसका आकलन सही ढंग से करना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूं कि जेएनएनयूआरएम में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरह शहरी विकास मंत्रालय को भी चुने हुए सांसद को विजिलेंस एवं मॉनीटरिंग कमेटी का चेयरमैन या चेयरपर्सन नियुक्त करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट केवल एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर देती हैं। शहरों का चेहरा उसकी सफाई व्यवस्था से आंका जाता है जो अधिकतर बड़े शहरों से लेकर निम्न श्रेणी के शहरों में चरमराई हुई सी नजर आती है। उसका मुख्य कारण सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति है जिसके कारण निम्नलिखित हैं - जनसंख्या के अनुसार सफाई कर्मचारियों का भर्ती न होना। परमानेंट पोस्ट समाप्त करना, ठेकेदारी प्रथा द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती करना तथा पूरा वेतन न देकर उनका शोषण करना, जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल फेसिलिटीज तथा भारत सरकार की अन्य सुविधाएं न मिलना, कूड़ा उठाने के यंत्र तथा डम्पिंग स्थान का न होना, सीवर मैन का जीवन नारकीय स्थिति में होना। सम्पूर्ण भारत में 85 प्रतिशत सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से या वार्ड कमेटी के माध्यम से नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मंत्री जी से आग्रह है कि शोषित समाज के इन लोगों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए।

अंत में, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि उन छोटे-छोटे शहरों को जिनकी आमदनी नगण्य है, उनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा भेजा गया पैसा बार-बार बड़े शहरों को ही आवंटित किया जाता है और छोटी-छोटी नगर पंचायतों की ऐसी दयनीय स्थिति है कि कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं। यह भी जरूरी है कि प्रत्येक प्रदेश को यह मैंडेटरी बनाया जाए कि प्लास्टिक के लिफाफे तुंत बंद करवाए जाएं। मेरा क्षेत्र होशियारपुर रिजर्व क्षेत्र है, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है। राज्य सरकार से रिपोर्ट अवश्य मंगवाई जाए।

*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Chairman Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grant under the control of the Ministry of Urban Development for the year 2012-13.

Sir, when India attained independence about 65 years ago, it had a population of 35 crores. 80% people lived in the villages at that time and hardly 20% people resided in the towns and cities. The last 65 years have created an environment that has led to a massive influx of rural people to towns and cities. Right since 1947, no Government has tried to provide basic infrastructure and facilities to the rural folks. Development in rural India has become a casualty. Had successive Governments done something concrete for the development of rural India, it would have put a full-stop to large-scale migration from villages to towns and cities.

Sir, the people of villages are bereft of basic facilities like drinking water. The rural folks have no electricity. Modern toilet facilities are non-existent in a majority of villages forcing the villagers to defecate in the open. Since 1947, successive governments have put their time and energy in the development of only urban India, thereby neglecting rural India.

Sir, this is the reason for the massive influx of villagers to towns and cities. On the other hand, population of India has increased by leaps and bounds. It has touched 122 crores. Presently 31.16% people reside in towns and cities, and 68.84% people live in the villages. The migration of rural people to urban India in search of greener pastures continues unabated.

Sir, all kinds of housing projects are coming up on the outskirts and periphery of towns and cities. Fertile land of farmers is being purchased or taken over. The rapid march of urbanization continues. Plots or houses meant for the

---

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

poor have no basic facilities like water, sanitation or electricity. We dub then as unauthorized colonies. However, these colonies are authorized if money changes hands or if elections are announced.

Hon. High Courts or Hon. Supreme Court gives directives and passes strictures. But, who is behind these illegal buildings. Many times, municipal council members indulge in such malpractices and illegal activities. When the courts pronounce judgements, these illegals structures have to be demolished. And poor people suffer.

Sir, the Government is making tall claims regarding 'Mission XYZ'. But the ground reality is bleak and dismal. On both sides of railway lines, one can find shanties and hutments of the urban poor. These poor people are often run over by speeding trains. It speaks volumes of the mismanagement of urban city planning and planners. What kind of development is this? What had happened in NOIDA under the regime of the former Chief Minister in the name of housing projects is an open secret. Whether it is HUDA or housing projects in U.P., everyone is busy minting money by hook or by crook.

Sir, the Government pats its back regarding successful implementation of its Metro rail projects. However, the poor people cannot avail its services. They can't afford to travel even by a rickshaw, what to talk of Metro rail. These are the downtrodden, the deprived and the marginalized sections of societies. They are forced to spend their nights on footpaths in C.P. and elsewhere under the open sky, as there are no night-shelters for these hapless poor. Is this the urban development we are talking about?

Sir, 65 years have passed since we attained our independence but it is rather unfortunate that we have miserably failed in providing the basic facilities of life to the rural people as well as the urban poor. Rampant corruption has become the order of the day. The poor people always find themselves at the receiving end. Their progress becomes a casualty in such a scenario.

Sir, large-scale migration from rural to urban India continues unabated. But, successive Governments have failed to provide them basic facilities or any kind of relief and succour. Whether it is health-care, education, potable water or electricity, successive Governments at the centre have taken this segment of society for-granted and conveniently ignored their just and genuine demands.

Chairman Sir, even now, majority of our population lives in villages. But villages reflect the dismal picture Government's apathy and neglect. The entire focus is on development of towns and cities. This is an imbalanced and lop-sided approach. Even here, successive Governments have failed to deliver the goods. All kinds of trusts, boards and corporations are there in the towns and cities. However, these are mired in corruption and scandals. The poor person cannot even dream of purchasing a house in the towns and cities, courtesy sky-high prices of land.

Sir, since basic infrastructure and facilities are non-existent in the villages, people are migrating to towns and cities. Punjab is no exception. In search of better quality of life, the influx of rural people to urban India goes on and on. 65 years is a long time. However, successive Governments have been too busy with other things. They have done absolutely nothing for the welfare of rural people as well as urban poor.

Chairman Sir, Hon. Minister is present in this august House. I urge upon him to check the menace of greedy housing companies. They are fleecing buyers in urban India. Towns and cities must be properly planned. A futuristic vision in city-planning is the crying need of the hour. Haphazard and illegal construction work in towns and cities should not be allowed at any cost.

Sir, tall claims regarding growth and development are being made by the Government of the day. However, these claims are far from reality and divorced from truth. The hydra-headed monster of corruption and malpractices must be rooted out. Only then can we succeed in doing something tangible for the welfare of the common man.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, those who want to lay their written speeches can lay the same on the Table of the House. I am saying this because the hon. Minister is going to reply to the discussion at 5.30 pm. Therefore, I request that those hon. Members who are interested in giving their written speeches on the Table may please do so.

The next Member to speak is Shri P. Lingam for five minutes only.

* SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, let me thank you for the opportunity you have given to me to speak on behalf of the Communist Party of India on the Demands for Grants for the year 2012-13 pertaining to the Ministry of Urban Development.

Sir, according to 2001 figures, it was estimated that 28 per cent of our population lived in urban areas. It has been projected that this would move up to 43 per cent by the year 2021. This only shows the pressure on the urban infrastructure which needs more of fund allocation. I would like to point out that adequate fund allocation is not there as seen under various heads.

The ever growing increase in urban population must be attended to with utmost care to ensure a balanced growth of all the areas. Even in urban areas, the growth is not uniform. We find sky scrappers, tall buildings, palatial houses and at the same time, slum clusters and platform dwellers. This puts pressure on the local bodies to maintain sanitation and hygiene. The lack of it leads to diseases and break out of pandemics. Poor people are the worst hit in urban areas. So, a streamlined urban development measures are required in our country to ensure uniform and balanced growth.

Due to heavy increase in population in our major towns and cities and metropolitan cities, road traffic itself becomes a casualty. We find traffic jams and slow movement of vehicles and endless waiting in signals. The roaring engines gobble up huge quantity of petroleum products like petrol and diesel. According to a survey, in Delhi alone every year, 30 lakh litres of petrol and diesel are wasted due to traffic jams and at road intersections when vehicles wait for signals. Due to liberal availability of vehicle loans middle class people go in for vehicles more and more these days. Due to traffic congestions, they have to shell out more money on fuel. Thus the cost of the vehicle plus the expenditure on fuel add up to

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

their commitments putting a heavy burden on their lives. Another research study points out that this huge wastage of fossil fuel which we get at a dearer price from the international market results in price rise because of increased tax and resultant inflation. Traffic congestion in roads occur due to inadequate planning and road laying. I urge upon the Urban Development Ministry to give thrust to better roads and alternative road routes in all major towns and cities to be developed in a planned manner. Instead of giving importance to metro rail projects, the Government must think in terms of ensuring better public transport system in all the major towns and cities all over the country.

Unmanageable and unplanned growth of urban areas combined with migration of people from rural areas to urban areas adds to the woes of poor people who seek to earn their livelihood. These trends can be arrested by way of providing job opportunities to people in small towns adjacent to rural areas as they are neither rural nor urban. Small towns with a population of about one lakh must also be brought under the ambit of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme. In Tamil Nadu, only 3 Municipal Corporations come under JNNURM Programme. I urge upon the Union Government to include many more Municipal areas under this scheme, Trichy, Salem, Tirunelveli.

People living in towns and urban areas face severe drinking water shortage problem. I would like to point out that the allocation made by the Government towards this is inadequate. It is stated that the allocation for major towns and cities that have got a population of more than 40 lakhs or big towns that have got more than 10 lakhs of population is Rs. 17,000 crore. This is meagre and very little. I wonder how we can ensure urban development with this inadequate fund allocation.

Through the 74th Amendment of the Constitution, it was ratified and testified that municipal bodies can have functional autonomy to evolve plans for the development of the areas under them. The intent of that incorporated law is good, but it is yet to be enjoyed by the town administrations as it has not percolated down. The powers are vested with the Governments both at the Centre and the States. The power has not been devolved and has not been delegated to the urban local bodies.

Job opportunities are falling down drastically in urban areas these days. Hence, I emphatically reiterate our demand that small towns with a population bordering around one lakh which are neither rural nor urban must be brought under the purview of MGNREGA. Only then we would be able to generate job opportunities. Even today, we find manual labour at its

worst in the form of pulling carts carrying men and such things should be stemmed out from urban areas once and for all. Rickshaw pullers are there and such hard manual labour is seen only because of lack of job opportunities to earn livelihood. Hence, there is an urgent need to extend Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme to these small towns where the population is around one lakh and not so big.

More than 65 per cent of houses in our country do not have toilet facilities. This has led to many hardships. This puts pressure on sanitation. Manual scavenging is also there in urban areas. This is an insult to humanity and human sensitivity. We must put an end to this practice immediately. Hence, I urge upon the Government to evolve a suitable programme with adequate fund allocation for abolishing manual scavenging in our country ensuring toilet facilities in every dwelling unit.

Thanking the Chair for the opportunity, let me conclude.

MR. CHAIRMAN: Shri Pralhad Joshi, please conclude your speech in five minutes.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, I am the second speaker from my Party, so please give me at least ten minutes.

Urbanization, it appears, is inevitable. As per one estimate by Analyst, by 2030, India's GDP will be multiplied by five times while its cities will be home to nearly 600 million people, and it requires capital of US $ 1.2 trillion for urban infrastructure. This has been repeated in some other way by the High-Powered Committee headed by Shri Ahluwalia, which was constituted by the Urban Development Ministry. According to them, Rs. 39 lakh crore, in addition to Rs. 20 lakh crore, is needed for the operation and maintenance of urban infrastructure. This was quoted by the hon. Minister of State in the Ministry of Urban Development. When Dev Ji said that your allocation is just merely Rs. 7,000 and odd crore, you said that it is for 20 years. We know that it is for 20 years. But may I very humbly ask you a question? It is for 20 years, but if you invest at least in a phased manner, what should be our allocation as on date? This is my question to the hon. Minister, through you, Sir. Today, we are allocating Rs. 7,000 and odd crore, but we are talking of almost Rs. 600,0000 crore. This is one thing.

Secondly, when Shri Lalji Tandon said that there were no drainage facilities, solid waste was the biggest problem, there was no water and there was no planning or future planning for this, you said that by way of JNNURM, you have initiated very good actions. I support that and I agree with you. But what is the status today? You have allocated Rs. 66,000 crore as the Central share. At the end of 31st March, 2012, JNNURM could achieve only one-fifth of its targets. Out of 1,325 projects sanctioned, may I bring it to the notice of the hon. Minister, through you, Sir, that only 248 projects have been completed?

The Prime Minister, Shri Manmohan Singh said by launching this mission, the mission is the single largest initiative of the Government of India from the planned development of our cities in response to the long standing demand of tapping of the vast potential and vitality of our cities. What is the situation today? Out of the total projects sanctioned to the Tamil Nadu, it stands top by having sanctioned 171 projects, 95 are being completed; in Gujarat, 123 sanctioned and 41 projects were completed; in Karnataka, 84 projects were sanctioned and 24 projects were completed; in Andhra Pradesh, 134 projects were sanctioned and 38 projects were completed; in Uttar Pradesh, 97 projects were sanctioned and 10 projects were completed; in Maharashtra, 173 projects were sanctioned and 10 projects were completed; in West Bengal, 95 projects were sanctioned and 12 projects were completed; in Assam, 32 projects were completed and not even one is completed. What is the reason for this? One of the reasons is as the Standing Committee has very well quoted.

> "The Committee noted that since the most the projects were approved in the 4th year of its 11th Five Year Plan, it is unimaginable to think that the Scheme will completed by the end of the 11th Five Year Plan. The Committee recommended that scheme should be extended to 12th Five Year Plan."

Why it was so much delayed? I hope the Minister will reply that why in the fourth year of the 11th Five Year Plan, this was launched and these projects were sanctioned.

Sir, my second reason, according to me whatever the information provided by their Departments is that the Expert Committee which was constituted by them, it says that reasons for dismal performance by the most States was too many conditions for approving projects and another reasons is micro-monitoring. I do not say that there should not be any monitoring. But the question is about the over-interference. You can monitor it but interference and immediate approval is the major reason for not giving immediate approval and this is the major reason for the delay.

Another major reason is that whatever you said, ten per cent of the local bodies should put their fund as a share. But what is the situation? Take for example my corporation Hubli-Dharwad Municipal Corporation, if you provide them Rs. 500 crore, they are not in a position to invest Rs. 50 crore also. What is the reason for this? The reason is that their capacity is not so much. In Shri Shivkumar Udasi constituency which is my neighbouring constituency in Haveri, more than 60 per cent vacancies are not being filled. There is no manpower. How can they fulfill them if you give them Rs. 500 crore? A person who cannot handle Rs. one lakh rupee, if you give him Rs. 10 crore, he will die with heart attack. This will be the situation. And I request Shri Kamal Nath Ji that please try to build the capacity in these municipalities.

My third point is that they do not have the salary to pay. So, that is why, 74 th amendment says that there should be State Finance Commission. They constitute it because it is mandatory to constitute it. But after the constitution of the State Finance Commission also, their implementation is delayed and for that, it should be made mandatory to provide any fund. Every State Government irrespective of any political party it may be ruling, first of all, they should implement this step and constitute the State Finance Commissions regularly and second, there should be implementation on this.

Finally, I would like to tell that you are providing more and more funds in mega-cities. My request is that at the same time, Tier-II cities have to be given more importance. For example, in Karnataka, you have given JNNURM to Bangalore. Under that Housing Scheme is also covered. There is no single inch of land in the Bangalore and you are not giving any importance to the Tier-II cities. There are at least five or six Tier-II cities other than Bangalore. My area Hubli-Dharwad which is the second largest city after the Bangalore, that is not being given importance. Even under UIDSMT also, a very small amount is given. That is why, I urge that under the JNNURM, restructure the arrangement of finance between the State Government and the Central Government and Tier-II cities have to be included and out of 28 cities, whatever you have mentioned, the hon. State Minister has mentioned that they are including JNNURM.

Hubli-Dharwad is the second largest city after Bangalore in Karnataka. When I had met the hon. Minister personally, he had assured me that it would be taken in the 28 cities. I would urge that Hubli-Dharwad should be included in the second phase of the JNNRUM which is having a Budget of Rs.2,00,000 crore.

As far as water is concerned, the biggest problem especially in the major cities is that tanks are being encroached, *talabs* are being encroached. It should be made a punishable offence. Whoever does this, he should be behind the bars. Unless and until you do this, the best tanks would be spoiled and polluted. Usually water is left in those tanks. The hospitals in the cities nearby these tanks are dumping all their waste material into that. I would urge that this should be made a punishable offence. It is a criminal offence.

I would now talk of housing.

PROF. SAUGATA ROY: Housing is not under this Ministry.

SHRI PRALHAD JOSHI: Earlier housing was under the Ministry of Urban Development. Originally, it was called the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation. I do not want to go into the entire details of the housing policy. There should be a policy on urban land development. If it is left to any of the authorities like the Bangalore Development Authority or any other authority, they would not be able to give a single site to anybody belonging to the middle class and lower middle class. As you have done policy for industrial development, there should be some policy for land development and estate development at least for the middle class and lower middle class people. This would help the people belonging to middle class and lower middle class to get sites in the major cities and tier-II cities.

Lastly, I come to the CPWD. I would only urge you to make the CPWD efficient. I have got many details. I would only say that the CPWD is one of the most corrupt bodies in the country. They have been constructing one Kendriya Vidyalaya in my constituency for the last three years. They have not yet completed it. The construction is of a very low quality. It is a school building. They are not bothered about the safety of the school building.

Finally, I would once again urge the hon. Minister, through you, to include Hubli-Dharwad in the second phase of the JNNRUM. I thank you very much for giving me this opportunity.

*__श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):__ आज विश्व की करीब 50 फीसदी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। इस लिहाज से विकसित देशों की लगभग 70 फीसदी आबादी और विकासशील देशों की 30–35 फीसदी आबादी शहरों में निवास करती है। शहरों को आर्थिक प्रगति का इंजिन कहा जाता है। विकास एवं शहरीकरण का सीधा संबंध है। शहरीकरण का उद्देश्य यदि पर्यावरणीय पहलुओं को दरकिनार कर सिर्फ आर्थिक विकास होगा तथा इनका नियोजन महज शारीरिक आराम को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो ऐसा शहरीकरण समाज में वह खुशहाली नहीं ला सकेगा जो इसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। आज भी भारत के बड़े शहरों में 50 फीसदी तक आबादी कच्ची बस्तियों में रह रही है। जहां नल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यातायात नारकीय हो चुका है, सामाजिक विषमताएं बढ़ रही हैं, कला और संस्कृति विलुप्त हो रही है तथा एकाकी तनावपूर्ण जीवनशैली आत्महत्याओं को प्रोत्साहित कर रही है। यह अविवेकपूर्ण शहरीकरण का ही परिणाम है। आज देश को ऐसे सुनियोजित शहरीकरण की जरूरत है जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करे। हमारे देश में अभी तक हुए शहरीकरण को संतुलित नहीं माना जा सकता है। भारत के गांवों से लोगों ने शहरों मे इसलिए पलायन नहीं किया कि वहां उनके लिए अच्छे और पर्याप्त आवास व सुविधाएं उपलब्ध हैं बल्कि इसलिए पलायन किया कि गांवों में बेरोजगारी है, सुविधाओं का अभाव है। भारत में शहरीकरण उस पलायन से पोषित हुआ है जो गरीबी–आधारित था। भारत की 30 फीसदी नगरीय आबादी कई देशों की कुल आबादी से अधिक है। यदि अगले 20 वर्षों में इसकी ओर बढ़ने वाली तादाद को व्यवस्थित ढंग से नहीं बसाया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे।

शहरों में बुनियादी सुविधाओं के चरमरा जाने के पीछे एक बड़ा कारण जनसंख्या के बढ़ते दबाव के अनुरूप उनमें बदलाव या वैकल्पिक उपायों पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी गयी। देश के अनेक शहरों में बिजली, पानी, सीवर, कचरा निपटान, जल निकासी आदि के लिए जो व्यवस्था 50 साल पहले की गयी थी वही आज तक चल रही है। इसके चलते पुराने इलाकों में इनसे जुड़ी समस्याएं अक्सर चुनौती साबित होती हैं। सडकों पर जनसंख्या और वाहनों के दबाव का अंदाजा सही न होने के कारण जगह–जगह गड्ढे बन जाते हैं तथा यातायात सामान्य नहीं रह पाता। इसमें नगरपालिकाओं के अलावा शहरी प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती है।

शहरों का विस्तार और गांवों का सिकुड़ना इस सदी की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने हैं। गांवों में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण जनता शहरों की ओर आकर्षित हो रही है, दूसरी ओर शहरों का विस्तार हो रहा है और वे गांवों को लील रहे हैं। देश का कोई भी शहर हो, गांवों को अपने में समाहित करता जा रहा है। शहरों के विस्तार का सबसे बड़ा खतरा खेती योग्य भूमि की समाप्ति में है। खेत खत्म हो रहे हैं और वहां मकान, फैक्टरियां और मॉल बन रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी जो अब समाप्तप्राय हो रही है, देश का औद्योगिक विकास जरूरी है परंतु देश के परम्परागत आर्थिक ढांचे में अनुकूल परिवर्तन कर उसे बनाए रखना भी जरूरी है।

सरकार से मेरी मांग है कि शहरों में ही औद्योगिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं और औद्योगिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराकर दोनों का विकास करना चाहिए। अगर गांवों में रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो शहरों की ओर पलायन अपने आप रुक जाएगा। अतः सरकार को समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए सुनियोजित, टिकाऊ एवं स्वस्थ शहरीकरण के साथ–साथ गांवों के समग्र विकास की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

---

* __डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल):__ माननीय अध्यक्ष महोदया जी, वर्ष 2005-06 में यू0पी0ए0 सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना (मिशन) देश में योजनाबद्ध तरीके से शहरों का संपूर्ण विकास के लिए लागू की गई थी। जिसके अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया था और इन सभी शहरों में 6 से 7 वर्षों के अंदर इनका संपूर्ण विकास एवं सभी मूलभूत सुविधायें प्रदान करके नागरिकों के प्रति शहरी निकायों की जिम्मेदारी को बढ़ाना था । जिसका सारा खर्च केंद्र सरकार का रहेगा । जिसमें शहरों के अंदर पुराने क्षेत्रों का पूर्ण निर्माण करना, गलियों को चौड़ा करना, छोटी-छोटी वाणिज्य ईकाईयों को शहरो से बाहर स्थापित करना जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों को लागू करना, सीवर व्यवस्था, नाले एवं बाढ़ के पानी की निकासी एवं सुधार करना, सड़कें, बिजली, हाइवे, एक्सप्रेस वे एमआरटीएस एवं मेट्रो प्रोजेक्टस को सम्मिलित करना तथा शहरी परिवहन को बढ़ावा देना, इत्यादि इस योजना के तहत लक्ष्य रखे गए है ।

फरवरी 2010 में भी मैंने तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी से सदन में एवं लिखित रूपसे आग्रह किया कि मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला-पानीपत एनसीआर के अंतर्गत आता है और पानीपत को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत रखा जाये। पानीपत शहर एक ऐतिहासिक, धार्मिक वाणिज्यिक एवे पेट्रोकेमिकल हब के साथ एक बहुत बड़ा टैक्सटाईल हब बनता जा रहा है। जोकि विदेशों से आयात एवं निर्यात करता है। पानीपत भी औद्योगिक नगरी होने के नाते देश का व्यवसायिक केन्द्र है। इसको जल्द से जल्द जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल किया जाये परंतु इसकी आबादी 10 लाख्ष से कम होने के कारण इसको जेएनएनयूआरएम की ओमनी बस स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। यह योजना यूडीसमेट (अरबन इंफ्रैस्ट्रकटीव डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मौल एंड मिडीयम टाउन) के नाम से जानी जाती है। क्योंकि इन शहरों में राज्य सरकारें द्वारा नगर निगम बनाये गये हैं तथा ये शहर ज्यादातर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व वाले शहर है। कई बार भारत सरकर को आग्रह करने के बाद पानीपत को इस योजना के तहत रखा गया परंतु शहर के प्रशासनिक अधिकारियों की कुशलता के अभाव में यह शहर इस स्कीम का भी फायदा ना उठा सका और किसी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया है। हर संसद सत्र के दौरान मैंने अपनी मांग को रखा है।

---

* Speech was laid on the Table

वर्ष 2010-11 में भी मैंने वर्तमान शहरी विकास मंत्री श्री कमलनाथ जी को भी पत्र लिखा है। मेरी संसदीय क्षेत्र के जिला पानीपत को इस योजना का पूरा लाभ मिले। क्योंकि जिला-पानीपत एवं करनाल एनसीआर क्षेत्र के अहम क्षेत्र हैं एनसीआर की सभी मूलभूत सुविधायें इन दोनों जिलों में दी जाये। पानीपत के अंदर पुराने क्षेत्रों का पूर्व-निर्माण, सड़कों एवं पक्की गलियों का अभाव, शहर में नाले एवं गंदे पानी की निकासी की समस्या, शहर के बीच पुरानी झील का पुनः निर्माण, सीवर व्यवस्था का ठीक से उपलब्ध् ना होना, पुरानी कालोनियों का दिल्ली की तर्ज पर ऑथोराईज्ड करना, स्लम एरिया को विकसित करना, मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, पार्किंग (Parking) प्लाटस एवं जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों को युद्ध स्तर पर लागू करना, सामुदायिक भवनों, शौचालयों एवे स्नानागार बनवाना, शहरी गरीबों के लिए सस्ती दरों पर शहरों में आवास-उपलब्ध करवाना, इनके लिए हेल्थ, एजुकेशन तथा सोशल एमिनिटिज का प्रबंध करना इत्यादि कार्यों का होना अभी बाकी है। इसलिए मेरी मंत्री महोदय जी एवं भारत सरकार से प्रार्थना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र करनाल के पानीपत एवे करनाल को इस स्कीम में शामिल किया जाये तथा राज्य सरकार के माध्यम से जिला अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निर्देश दिये जाये कि ज्यादा से ज्यादा धन इन दोनों शहरों के विकास के लिए लगाया जाये तथा केन्द्र सरकार को प्रोजेक्टस बना कर भेजे। तथा पानीपत को दिल्ली मेट्रो कोरिडोर से जोड़ा जाये जिसमें नरेला-सोनीपत-गन्नौर-समालखा एवं पानीपत के लोगों को दिल्ली में आने जाने की और ज्यादा सुविधा मिलेगी।

केन्द्र सरकार के गंभीर न होने के कारण, प्रशासनिक कमियों के कारण तथा समयबद्ध तरीके से किसी भी प्रोजेक्टस को केन्द्र सरकार को न भेज कर पानीपत को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका।

एनसीआर क्षेत्र की भांति, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों (दिल्ली) सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, गुड़गाव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एवं पानीपत तथा करनाल के क्षेत्रों में दिल्ली की भंति सभी वर्षों पुरानी अनऑथोराईज्ड कालोनिज को रिगुलराईज्ड/ऑथोराईज्ड करके सभी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर इनका विकास करके यहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित करके दिल्ली पर प्रतिदिन बढ़ते हुए दबाव को कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराये तथा राज्य सरकारों को भी दिशा-निर्देश दे ताकि राज्य सरकारें भी एनसीआर क्षेत्र को विकसित करे और शहरों का संपूर्ण विकास हो सके।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, शहरी विकास मंत्रालय के बजट के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं भाग लेना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुन्दर ढंग से यहां सुझाव दिये हैं कि शहरीकरण जैसे हो रहा है, उसमें गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है, उन लोगों को विस्थापित किस ढंग से किया जाये, उस सम्बन्ध में अच्छा हुआ कि हम लोग गांवों में रहते हैं, वहां लोगों की शिकायत रहती है कि आप लोग शहर में खर्चा करते हो, ज्यादा शहरों का विकास करते हो और शहर वाले बोलते हैं कि विकास बड़े शहरों में हो रहा है। इस ढंग से जो असमानता है, उसके लिए ठोस ढंग की परिकल्पना होनी चाहिए।

मैं छोटे शहरों की बात बोलना चाहता हूं। जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, उनके पास ढंग की परिसेवा नहीं मिल पाती है, इसलिए कुछ चीजों पर शुरू से नियम लगाया जाये, जैसे बरसात में उनके पानी की निकासी हो, वहां पानी जमा हो जाता है, उससे शहर डूब जाते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था में भी उनका सटीक बन्दोबस्त नहीं हो पाता है। उसके बाद जो अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो बड़े जलाशय होते हैं, उसमें सब जगह ट्रेंड एक ही है कि वहीं लोग कचरा फेंक देते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं और उसका एन्क्रोचमेंट कराकर उनका नुकसान ही करते हैं। इससे परिवेश भी दूषित होता है तो इन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है गांवों में शहरों की तरह शमशान घाट की है। शमशान घाट में पहले हम लोग लकड़ियां जलाया करते थे, लेकिन आजकल लकड़ी नहीं मिलती है। इलैक्ट्रिक करंट का चूल्हा प्रत्येक शहर में मिनिस्ट्री को इस ढंग से केन्द्रीय सहायता से देनी चाहिए कि शहरी क्षेत्र में शमशान घाट का बन्दोबस्त हो सके। इससे गांव के लोगों का भी भला हो सकेगा। लकड़ी अभी हमारे क्षेत्र में मिलती नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कुछ काम होगा।

चूंकि सभी ने अपने प्रान्त की बात कही है, कोलकाता मेरा शहर है, कोलकाता मेरा प्रान्त है, कोलकाता शहर के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। वह एक राजधानी है, राजधानी में प्रान्तीय सरकार अपनी कोशिश कर रही है। उस कोशिश में उसने ज्यादा पैसे की जो डिमांड की है, उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा। कोलकाता, हावड़ा के बारे में मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि कोलकाता, हावड़ा का एक कंपोजिट प्लान बना करके उसके डेवलपमेंट के बारे में चेष्टा की जाए, जिससे कोलकाता और हावड़ा शहर का एक साथ विकास हो। उसी ढंग से हमारे यहां छोटे-मोटे शहर भी हैं, सिलीगुड़ी शहर है, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, तूफानगंज, बालुरघाट आदि शहर बिल्कुल सीमांत में हैं, कोई बांग्लादेश की सीमा में है, कोई भूटान की सीमा में है, कोई नेपाल की सीमा में है। इन शहरों को सुंदर करने के लिए पैसे का अभाव न हो, इसके लिए राज्य सरकार सहायता दे, केंद्र सरकार

भी इसमें सहायता करे और दोनों सरकारें मिलकर विकास के लिए काम करें। मैं यही अर्ज करके, आपको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, issues like infrastructure development in the cities, fund deficiency, fast-growing urbanization, migration of rural folk to cities, poverty alleviation of the urban poor, sewerage issues, solid waste management, transportation, parking lots and spaces, preservation of heritage, have been discussed in detail.

Coming to the JNNURM, I would like to say that we would like you to make further modifications in this. We have made tremendous progress in this. Fortunately we have got a Minister who is very dynamic and who is known as a man of action. We should not forget the fact that there is some structural defect in the scheme. Mainly is that we have not yet verified the durability of the assets created. We have to make efforts to ensure that asset creation should be coupled with sustainability. If that is not there, the very purpose of the scheme will be defeated.

I would like to humbly submit that Kozhikode may be included under the scheme. The formalities in approving the scheme are totally complicated. Every individual application has to be submitted to Delhi for approval. I would humbly ask as to why cannot we delegate power to the State Government to sanction the scheme within the framework of the allocation. If that is done, the complications can be reduced to a great extent.

As regards preservation of the heritage in the city, there is a component in the scheme but unfortunately that is not being taken care of properly. We have to take it up this in a very serious manner. We should not allow the symbols of our heritage which is deep-rooted in the history of our nation and tradition, and proudness of the past to be wiped out like this. So, preservation of the heritage may also kindly be considered.

Transportation is becoming a very serious problem, as correctly pointed out by learned friends. Metro rail system has been successfully implemented in our cities. It is world class. We can be proud of it. Similarly in our State, the Government of Kerala is coming forward to set up this metro system in Kochi. I hope that the Union Government will give all financial support for that.

Similarly, monorail is proposed in Thiruvananthapuram and Kozhikode. I hope that the Government will give all kind of financial support for that also. With these words, I conclude.

*__श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) :__ वर्तमान में देश की कुल आबादी का करीब 28 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास कर रही है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर तेजी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ वर्षो में देश की एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी शहरी आबादी होगी।

शहरी विकास मंत्रालय के योजना एवं कार्यक्रम प्रारूप में यह चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश की जीडीपी में करीब 55–60 फीसदी योगदान शहरी आबादी का ही है। इसके साथ शहरों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के जरिए धनराशि जुटाने के अग्रणी रूप में क्षमता है।

शहर आर्थिक वृद्धि के केन्द्र बिंदु हैं और आर्थिक वृद्धि के प्रभावी इंजन हैं, इस महत्वपूर्ण एजेंडा को रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने कई बड़ी योजनाओं को कार्यरूप में लिया। मंत्रालय ने कई बड़ी योजनाओं को अपने कार्यक्रम में शामिल किया और जेएनएनयूआरएम इसी दिशा में शुरू की गयी मंत्रालय की एक बड़ी योजना है।

शुरूआत में देश के करीब 62 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया जिसमें सभी जिला मुख्यालय को भी शामिल करें। छितराये हुए शहरीकरण की दिशा में शहरी गलियारों सहित नगरों को सुनियोजित विकास किया जाना छोटे एवं मझोले शहरों का एकीकृत विकास, शहरों के विकास में शहरी परिवहन व्यवस्थ एक अति महत्वपूर्ण अंग है और इस परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना अति आवश्यक कार्य है। कुछ वर्षो पहले डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन) की स्थापना की गयी जो कि शहरी परिवहन व्यवस्था की कामयाबी की एक मिसाल है। मगर शहरी विकास मंत्रालय ने इससे भी कई कदम आगे बढ़ते हुए मेट्रो रेल योजना को दूसरे मेगा शहरों में लगा दिया। मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, में लागू किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भविष्य की मांग और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष जयपुर शहर में मेट्रो लाइन का निर्माण शुरू किया गया जिसको वर्ष 2014–15 तक पूरा कर लिया जायेगा और वहां की शहरी परिवहन व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा।

जयपुर में मेट्रो लाइन के निर्माण कार्य के आरंभ होने के साथ देश के कई राज्यों की राजधानी एवं बड़े शहरों में भी मेट्रो लाइन के निर्माण संबंधित परियोजनाओं के आंकलन की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसके परिणाम आने वाले कुछ समय में नजर आने शुरू हो जायेंगे।

शहरी नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति हेतु परिवहन के पश्चात जल वितरण एवं जलाशय भंडारण दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और मंत्रालय ने इस क्षेत्र में भी काफी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। बड़े शहरों में बसाए जाने वाले नए आबादी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गयी है। मेगा शहरों में पुराने खराब पड़े जलाशयों की मरम्मत और उनके भण्डारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काफी राशि शहरों और उनकी नगरपालिकाओं को जारी की गयी।

जल वितरण के साथ सफाई कचरा व्यवस्था के निपटान हेतु मामलों में भी मंत्रालय ने काफी गंभीरता दिखलाई और इस संदर्भ में नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी बनाई गई।

भारतीय शहरों को विकास उन्मुख और उत्पादक बनाने के लिए विश्व स्तरीय शहरी प्रणाली प्राप्त करना आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास केलिए उच्च शहरी उत्पदकता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और इससे जुड़ी चुनौतियों को भी समझना और स्वीकार करना पड़ेगा। इन्हीं चुनौतियों से संबंधित कार्यों की भी अपेक्षाएं रखी जाएगी।

शहरी निर्माण संबंधी नियमों एवं नियमावली का सरलीकरण करना जरूरी है जिससे की समय एवं निवेश की बर्बादी को काफी हद तक रोका जा सके।

–Ã‰ÃŠxÃ‰Ã Ã‰Ã‰Ã‡hÃ‰ संबंधी परियोजनाओं के एप्रूवल्स एक तयशुदा समय सीमा में दिए जाए।

–BÂªÃ‰Â´Ã‰ÂºÃ‰Ã‰Ã‰ÃŠÂªÃ‰BÃ‰E एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक समान नियम व नीति निर्धारण की पहल।

–ABÃ‰EÃ‰Ã'BÃ‰ÃŸEiÃ‰ नई टाउनशिप का विकास करना जिससे कि रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सके।

–ABÃ‰EÃ‰Ã'BÃ‰ÃŸEiÃ‰ न्यू टाउनशिप के विकास के मुद्दे पर ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी टाउन के निर्माण एवं उनके विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाए क्योंकि ये मंडी टाउनस ही आर्थिक वृद्धि के केन्द्र साबित होंगे।

–ABÃ‰EÃ‰Ã'BÃ‰ÃŸEiÃ‰ टाउनशिप की योजना बनाते समय उनके रेल संपर्क को ध्यान में रखना अहम मुद्दा है।

–Â´Ã‰iÃ‰Ã‡Ã Ã‰Ã‰xÃ‰ और नई शहरी आबादी के लिए जल वितरण एवं जल भंडारण की योजना अमल में लाई जाए।

–ÂºÃ‰Ã–MÃ‰Ã Ã‰ एवं सुचारू शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए।

अंत में निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के तेंदूखेड़ा नगर में पानी की व्यवस्था हेतु नर्मदा नदी का पानी लाने प्रोजेक्ट स्वीकृत हो। साथ ही करेली एवं बरेली शहरों के विकास के लिए राशि प्रदान करने की कृपा करेंगे।

ओश्री धनंजय सिंह (जौनपुर): मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उ0 प्र0 के सभी बी-सी ग्रेड के शहरों को जेएनएनयूआरएम के तहत शामिल किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास आबादी के अनुपात में सही तरीके से हो सके ।

मेरा मानना है कि आज इस देश में शहरी आवास नीति राष्ट्रीय स्तर पर नितांत आवश्यकता है , तभी हम शहरों के अव्यवस्थित निर्माण को रोक सकते हैं ।

हमारे सभी बड़े शहर किसी ना किसी महत्वपूर्ण नदी के किनारे बसे हैं, हम प्रायः यह देखते हैं कि इन शहरों से निकलने वाले गंदे नाले सीधे नदी में बह रहे है, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि शहरों में नदियों के दोनो किनारों पर नदी के समानांतर ड्रेन बनाकर इन गंदे नालों के पानी को नदी में गिरने से रोका जाय तथा ड्रेन के माध्यम से इसे शहर के बाहर लेजाकर इसका वाटर ट्रीटमेंट किया जाय । आज छोटे शहरों को बेहतर करने की सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि हम इन शहरों मे बड़े शहरों की सभी सुविधा उपलब्ध कराया जाय ताकि जो मेट्रो शहरो पर लोड बढ़ रहा है उसे हम रोक सके ।

अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास की कोई नीति बनायेंगे और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जायेंगे । मैं अनुदान मांग का समर्थन करता हूं ।

* Speech was laid on the Table

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on Demands for Grants for the Ministry of Urban Development for 2012-13.

मेरा जन्म गांव में हुआ। अभी भी मैं गांव में बसता हूं, लेकिन गांव का विकास करने के लिए हिंदुस्तान सरकार को जिस ढंग से पॉलिसी अपनाने की जरूरत थी, उसे वह नहीं अपनाती। हिंदुस्तान सरकार क्या चाहती है, वह सिर्फ बड़े-बड़े शहरों के डेवलपमेंट की चिंता करती है, जब चौरंगी विकास की बात करते हैं, तो आप लोग हमेशा सोचते हैं कि दिल्ली को किस ढंग से यहां से आसमान तक पहुंचा सकते हैं, मुंबई को यहां से आसमान तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसी की चिंता में आप लोग हमेशा टाइम बिताते हैं। सौ साल से मेरे बोडोलैंड क्षेत्र में सिर्फ पांच टाउनशिप हैं। इन टाउनशिप को डेवलप करने के लिए आज तक हिन्दुस्तान सरकार की तरफ से कुछ पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि Kokrajhar happens to be the capital city of the Bodoland Territorial Area. It is so backward that there is no drainage system and there is no safe drinking water system for the people living in that small township. So, I would like to ask the Government of India, through you, Sir, to take appropriate steps to sanction at least an amount of Rs.500 crore for the development of small townships within the Bodoland Territorial Area. गोसाईगांव एक छोटा सा टाउनशीप है। कोकराझार एक छोटा सा टाउनशीप है। बासुगांव एक है। बिजनी एक छोटा-सा छोटा सा टाउनशीप हैं। उदालगुरी एक छोटा सा टाउनशीप है। इन छोटे शहरों का विकास करने के लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। Why are you always thinking in terms of development of big cities only? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली इनके लिए आप हमेशा चिंता करते हैं लेकिन छोटे-छोटे शहरों के लिए आप लोग चिंता नहीं करते हैं। कमल साहब जी मैं आपसे विनम्र भाव से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारा जो कोकराझार, बासुगांव, बिजनी, उदलपुरी, बोरफेटा रोड और सर्वभाग हैं इन छोटे शहरों के विकास के लिए कम से कम पांच सौ करोड़ रूपया देना बहुत जरूरी है। I once again would like to appeal to the Government of India to provide at least Rs.500 crore to the Bodoland Territorial Area for the development of townships.

श्री महिन्दर सिंह केपी (जालंधर): माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि आपने मुझे डिमांड फार ग्रान्ट्स जो अर्बन डेवलपमेंट की है उस पर बोलने का मौका दिया है। सर, यह अर्बनाइजेशन जो इस देश में रैपिड्ली हो रही है, शायद दुनिया में कही ऐसी अर्बनाइजेशन नहीं है जो इस देश में हो रही है। हमारा देश गांव में रहने वालों का देश है। लोग गांवों में रहते हैं। देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। पिछले कई सालों से लोग शहरों में आ रहे हैं। देश का पार्टिर्शन हुआ, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना उस समय जितनी भी ट्रांस-माइग्रेशन हुई, लोग शहरों में आ कर बसें और शहरों में सुविधाओं की कमी हो गई। शहरों में अवसर ज्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए शहरों में स्थापित हो गए। आज शहरों का क्या हाल है? मैं समझता हूं कि इतना समय नहीं है कि सभी बातें विस्तार से बताऊं। जैसा कि संजय निरूपम जी और दूसरे वक्ताओं ने विस्तार से बातें की हैं। डाक्टर रत्न सिंह जी ने बात की है। मैं पंजाब प्रान्त से आता हूं उस प्रान्त में आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन जो चल रहा है उस मिशन की अवधि पूरी हो गई है। यह मिशन वर्ष 2005 से वर्ष 2007 तक चलना था लेकिन उस मिशन में अभी तक पंजाब में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसके वेरियस कारण होंगे। मंत्री जी इन्हें बताएंगे लेकिन मेरी आप से दरख्वास्त है कि पंजाब में मिशन का जो पैसा लगना था, मिशन खत्म जो गया लेकिन अभी पैसा वहां नहीं लगा। वहां अभी काम शुरू नहीं हुआ तो मिशन का पंजाब को क्या फायदा होगा? अभी आपने उसमें लिखा है कि जहां डिलै होगा वहां स्टेट गवर्नमन्ट उसका पैसा खर्च करेगी लेकिन स्टेट गवर्नमन्ट को जितने भी रिफार्म्स करने थे, म्यूनिसिपल रिफार्म्स करने थे, वे रिफार्म्स न करने की वजह से आज मैं समझता हूं कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन का पैसा वहां खर्चा नहीं किया गया है।

मैं यूआईडीएमएस के बारे में बात करना चाहता हूं कि आपने जालंधर को पैसा दिया, आदमपुर को पैसा दिया। लेकिन आदमपुर एक ऐसी म्युनीसिपैलिटी है जिसमें भारत सरकार का एक पैसा भी अभी तक खर्च नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि यूआईडीएमएस में जितना पैसा आता है, वह पैसा म्युनीसिपैलिटीज़ में लगना चाहिए, काम होना चाहिए। लोगों को भारत सरकार से यह आशा है कि वह हमारा काम करेगी और

हम पंजाब में सुविधाएं दे सकेंगे। मैं मंत्री जी से आपके मार्फत दरख्वास्त करता हूं कि पंजाब में रुका हुआ जो प्रोजैक्ट है, उसे चालू किया जाए और बाकी जितने भी रुके हुए काम हैं, उन्हें चालू किया जाए। पंजाब में जितनी रिवर्स हैं, जितना पौल्युशन हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए भारत सरकार की तरफ से योगदान मिलना चाहिए ताकि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, समय की सीमा है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूं।

सबसे पहले मैं एनसीआर के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से एनसीआर के अंतर्गत आता है। अभी मेरे मित्र श्री दीपेन्द्र हुड्डा ने

एनसीआर की बहुत चर्चा की। वह 1985 में बना और उसके अंतर्गत पश्चिम उत्तर प्रदेश के तीन जिले - बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ, अब पांच जिले हो गए हैं - बागपत और गौतमबुद्ध नगर इसमें नए बनाए गए। लेकिन वहां समान रूप से किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। जिस ट्रंजिट सिस्टम की बात कही गई, वह नहीं हुआ। ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो वहां द्रुत गति से चलती हो। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वर्तमान मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भी रह चुके हैं। आज भी चाहे एनएच 58 से जाएं चाहे एनएच 24 से जाएं, वहां जाने में तीन-चार घंटे लग जाते हैं। एनसीआर होने के कारण वहां जो विकास अपेक्षित है, वह नहीं हुआ है। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में सवाल पूछा तो मुझे बताया गया कि वह वर्ष 2014 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। जब दोबारा प्रश्न पूछा तो बताया गया कि वर्ष 2015 के अंत तक समाप्त हो जाएगा यानी ऐसा नहीं लगता कि एनसीआर के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र का समग्र रूप से विकास करने की कोई योजना मंत्री जी या मंत्रालय के पास है।

जेएनएनयूआरएम के विषय में चर्चा हुई और बहुत समीक्षा भी हुई। मैं एक बात कह दूं कि एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जितने कस्बे हैं जैसे हापुड़, बुलंदशहर, उन्हें जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत लाया जाए ताकि वहां कुछ विकास हो सके। मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी सी समीक्षा करना चाहता हूं। हमारे यहां जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत फ्रैंच की सब्सीडियरी कम्पनी को टैंडर दिए गए। उसने उसे फर्दर फरीदाबाद की कम्पनी को दे दिया जिसकी कोई एक्सपर्टीज उसके अंदर नहीं है। उसमें जो स्टेकहोल्डर्स हैं, उसमें जन-प्रतिनिधि बताए गए, स्टेट गवर्नमैंट बताई गई, अधिकारी बताए गए। आज तक किसी जन-प्रतिनिधि से जेएनएनयूआरएम के अधिकारियों ने बातचीत नहीं की। काफी भ्रष्टाचार है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो पाइप लगे हैं, वे किस प्रकार लगने चाहिए, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। अभी कार्य पूरी नहीं हुआ है, पूरा होगा, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा।...(व्यवधान)

मैंने नगरीय क्षेत्र के अंदर देखा है कि विकास के काम होते हैं, सड़क बनती है लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया जाता है कि कोई लाइन डलने वाली है। फिर उसकी मरम्मत होती है। उसके बाद फिर कोई चीज आ जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि फंड चाहे स्टेट का हो या सैंट्रल गवर्नमैंट का हो, आम आदमी की कमाई से पैसा आता है। इसके लिए कोई नोडल अधिकारी होना चाहिए जो इस बात की योजना बनाए कि सड़क बने तो उसमें दुबारा गड्ढे न किए जाएं। किसी की जिम्मेदारी फिक्स हो ताकि भ्रष्टाचार से पैसे को बचाया जा सके और बर्बादी न हो सके।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मुझे एक मौका मिला है और बहुत भारी गमन से मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हूं। मुझे कई चीजों के बारे में बहुत दुख और तकलीफ भी है। जब श्री कमलनाथ मंत्री बनकर आये थे, तो मुझे लगा कि ये दिल्ली वालों के दिल को पहचानते हैं, दिल्ली को पहचानते हैं और यहां जो स्टाफ है, उस पर कंट्रोल करके चीजों को निकालेंगे। सबसे पहले हमारी अनअथोराइज्ड कालोनी में काम होने थे, जो सीधा आपकी सरकार से संबंधित थे, आपके डिपार्टमैंट से संबंधित थे, उसका आज बुरा हाल है। वहां 40-50 लाख की आबादी रहती है। मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि मेरी पहले भी कई बार यह मांग रही है कि जेएनएनयूआरएम के अंदर आप जो पैसा देते हैं, उस पैसे से वहां काम होने चाहिए, क्योंकि लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथ से दिये गये, तो मैं आशा करता था कि दिल्ली की सरकार और आपकी सरकार, दोनों मिलकर उन कालोनियों के लोगों के लिए काम करेंगे। मैं आज भी आशा करता हूं कि आप कोई स्पेशल सेल बनाकर, कमेटी बनाकर वहां के लोगों को साधन मुहैया करायेंगे ताकि वे अच्छा जीवन व्यतीत तक सके।

उसके बाद आपने दो-तीन बार एक स्पेशल बिल पास किया। अब आपने उसे तीन साल के लिए पास किया है। अभी भी वह तलवार लटकी हुई है। उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं आपसे मांग और आशा करता हूं कि आप इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालें। एक राहत मिली थी जब आपने कहा था कि जो हमारा मास्टर प्लान है, वह सही नहीं बना है, इसलिए हम उसमें तब्दीली करेंगे। करोल बाग का मसला उठा था, चांदनी चौक का मसला उठा था। आपने उसमें एक बहुत बढ़िया कदम उठाया और यह बयान दिया कि नहीं, यह गलत हुआ है और इसे ठीक करना पड़ेगा। हम मास्टर प्लान को ठीक करेंगे। आज वक्त है और मैं आशा करता हूं कि आप तीन साल बाद दोबारा नहीं कहेंगे कि हम एक साल के लिए इसे बढ़ायेंगे। जो राहत दी जानी है, चाहे जनरल ऐमनेस्टी के तौर पर आप सबको कहें, इंदिरा जी के टाइम में हुआ था कि कालोनियां पास कर दीं और उसके बाद उसमें काम कराये थे। आज वही वक्त है। वह गरीब आदमी खुली आंखों से आपकी तरफ देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ गयी और आप उनकी मदद करेंगे।

इसके बाद आपके डीडीए में पेंडिंग चीजें हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं कई बार आपके मंत्रालय को लिख चुका हूं। अंग्रेजों के टाइम दिल्ली के पांच गांव ऐसे थे, जिन्हें बेदखल कर दिया गया था, रिवेन्यू रिकार्ड से निकाल दिया गया, क्योंकि वहां स्वतंत्रता सेनानी रहते थे। माफ करना, आज 65 साल बाद 20 बार कहने के बाद भी उन्हें वापिस रिवेन्यू रिकार्ड में चढ़ाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। इन गांवों के नाम हैं - तहीरपुर, मोचीगांव, नागली रजापुर, दासघारा और टोडापुर। उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। रोज ऑक्शन कर देते हैं। वे लोग कहां जायेंगे? अगर आज हम 65 साल के बाद भी उन लोगों को पनाह नहीं दे सकते जिनके गांव बेदखल किये गये थे, वे आपसे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे, उसमें करोड़ों रुपये का खर्चा नहीं होने वाला, एक प्रोटैक्शन और सिम्पथी के तौर पर मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे। इसमें आप कोई न कोई रिलीफ जल्दी देंगे। उसके बाद आपका जो अपार्टमैंट एक्ट है, इस बारे में दिल्ली वाले बहुत तंग हैं। वह अपार्टमैंट एक्ट एक फाइल से दूसरी फाइल में लटकता जा रहा है और आज तक वह अपार्टमैंट एक्ट न पार्लियामैंट में आया और न पास हुआ। उसका नतीजा यह हो रहा है कि जो मकान-मालिक है या जो सोसायटी बनाते हैं, वे एक-एक फ्लैट को चार-चार बार बेच रहे हैं। कोई एग्रीमैंट नहीं हो पा रहा है। पावर ऑफ अटार्नी पर चले आ रहे हैं। आपको करोड़ों रुपये की लीज का पैसा नहीं मिल रहा। आपको जो पैसा आने वाला है, उसका नुकसान हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप अपार्टमैंट एक्ट जल्दी से जल्दी लाकर पास करायेंगे ताकि दिल्ली वालों को उसकी राहत मिल सके।

मैं मैट्रो के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं आपकी कंसल्टेटिव कमेटी के कमरे में दाखिल हुआ, तो आपने एकदम कहा कि जे.पी. मैंने तेरी मैट्रो कर दी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब आप अपना जवाब देने के लिए खड़े हों, तो अपने वे लफ्ज़ वापिस ले लें। आप मंत्री भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मैं आपसे मांग भी कर सकता हूं। मुझे बड़ा दुख है। आप मैट्रो का तमाशा देखें। मैंने आपसे कहा कि यमुना विहार से मुकुन्दपुर जोड़ दो, जो मुश्किल से पांच किलोमीटर दूर है। इन्होंने उसे 65 किलोमीटर पूरी दिल्ली में घुमाकर जोड़ा। लेकिन पांच किलोमीटर का वह सफर नहीं जोड़ा आज तक। क्यों? क्योंकि वह जयप्रकाश अग्रवाल का एरिया है और मैं वहां से सांसद हूं। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। मैं आज के बाद अगल दो साल में कभी इसकी मांग भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं और आप फाइल पर लिखवा देना कि हम यह पांच किलोमीटर की मेट्रो कभी पूरी नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कौन लोग हैं, जो प्लानिंग करते हैं? लाखों आदमी यमुना के इस किनारे रहते हैं, 35 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय करके उन इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने जाते हैं, और ऐसे ही चले

जाएंगे दो साल। उसके बाद कोई और आ जाएगा, वह दे देगा मेट्रो। मुझे सख्त एतराज है इस बात का कि आज इतनी बार कहने के बाद, इतनी बार चिट्ठी लिखने के बाद हम उन लोगों को मदद नहीं कर सके। कौन लोग हैं जो डिपार्टमेंट में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं? यहां मेट्रो ले जा रहे हैं, फरीदाबाद ले जा रहे हैं, गुड़गांव ले जा रहे हैं, लेकिन जो मेट्रो दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए बनी थी, उस मेट्रो को पूरा नहीं कर पाए, इस बात का मुझे दुख है। मुझे दुख इस बात का भी है कि आप मंत्री हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आपको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। आप बुलाइए उन अफसरों को कि क्या मजाक बना रखा है, एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। मैं कई बार कह चुका हूं कि जो बैकवर्ड एरिया है, मान लीजिए किसी स्टेट का कोई हिस्सा है, मेरी कांस्टीट्वेंसी है, उसे सरकारी तौर पर बैकवर्ड घोषित किया गया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती है, जहां चाहती है, काम करती है और जहां नहीं चाहती है, काम नहीं करती है। मैं यह मांग करता हूं कि यह पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए कि पूरे देश में कोई बैकवर्ड एरिया किसी भी प्रांत में हो, वहां के लोग क्यों सफर करें, वहां के लोग क्यों परेशान हों, सड़कें क्यों नहीं बनें, वहां पानी की लाइन क्यों नहीं जाए, वहां सीवर की लाइन क्यों नहीं जाए, वहां बिजली क्यों न हो, ऐसे एरिया को सीधे आप सेंटर के अधीन लें जो आज भी नेगलेक्टेड हैं। आप वहां जाएं तो ऐसा लगता है कि 200 साल पुरानी दिल्ली में चहलकदमी करने आए हैं। आप जाकर देखिए उन सड़कों पर कितने बड़े-बड़े गढ्ढे हैं। आपकी गाड़ी के चारों पहिए उस सड़क पर खड़े नहीं रह सकते हैं। ऐसी हालत है वहां की। मैं आशा करता हूं कि आप उस ओर भी ध्यान देंगे।

इंदिरा जी ने सबसे पहले जे.जे. क्लस्टर के अंदर काम शुरू कराए थे। अभी भी उन कालोनियों में काम नहीं हो रहा है, आपकी स्कीम थी, आपकी स्कीम बनी, आपकी स्कीम में पैसा दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, बार-बार हमें मांग करनी पड़ती है। हम एक-एक कालोनी के लिए जूझते पड़े हैं, आपके पास आएं, यह क्या तरीका है? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, स्कीम बनाए, स्कीम बनाकर उसके लिए पैसा दे और काम कराए। बार-बार आने की जरूरत क्यों पड़ती है?

आपकी बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, उस पर इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए देना चाहिए - चाहे हॉस्पिटल बने, स्कूल बने। आज स्कूलों की बुरी हालत है, जगह नहीं है। हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं है। आज सरकारी जमीन करोडों-अरबों रुपये में आती है।...(व्यवधान) उसके लिए भी आप एनओसी दें, ताकि वे जमीनें इंस्टीट्यूशन्स के लिए दी जा सकें।

हमारे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के जो मकान हैं, वे अस्तबल से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं कई बार इसकी मांग कर चुका हैं। आपने लुटियन जोन के अंदर कई बिल्डिंग्स बना दीं। कभी रक्षा भवन बन गया, कुछ और बन गया, उसके किनारे बहुत सारी प्राइवेट बिल्डिंग्स बन गयीं, लेकिन अगर कोई काम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, तो उस पर सारे सरकारी कायदे कानून लागू हो जाते हैं। मैं आपसे इस बात की मांग करता हूं, आप मीटिंग बुलाइए, साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के जो मकान हैं, उसका जो रिडेवलपमेंट प्लान आपके पास पड़ा है, उसे पास कीजिए। दूसरे, फिरोज़शाह रोड पर जो बहुत बड़ी जमीन है, वहां 200-250 फ्लैट बनाने की हमारी हाउस कमेटी की स्कीम है ताकि एक जगह पूरा कांप्लेक्स हो, जहां मेंबर्स आफ पार्लियामेंट रह सकें, लाइब्रेरी हो, अन्य चीजें हों और वहां से यहां के लिए सीधा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जिससे लोग पार्लियामेंट आ सकें, वह भी स्कीम आपके यहां पड़ी है, पैसे की कमी की वजह से ये चीजें रुक जाती हैं। आपने कांस्टीट्यूशन क्लब को बहुत सारा पैसा दे दिया, उसे फाइव-स्टार कल्चर का बना दिया। मैं आशा करता हूं कि आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित इन दोनों स्कीम्स को पास कराएंगे।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): India is slowly urbanizing. Thirty per cent of India's population lives in urban areas. This is much lower than in China, Indonesia, South Korea, Mexico and Brazil. Some of this may be due to much lower per capita incomes in India. Our urban population will be close to 600 million by 2031 more than double that of 2001. Number of metropolitan cities with population of 1 million and above has increased from 35 in 2001 to 50 in 2011 and is expected to increase further to 87 by 2031.

For the development of any country, urbanization is must besides taking care of rural areas/rural population. For reaching any country, first one has to land to the city. Urban cities are having more scope for employment, entrepreneurial avenues, learning and monetary repatriation, etc. Students and youths are coming to urban cities for education and employment as there is lot of scope in urban cities for education and employment as there is a lot of scope in urban cities in various fields. As unrbanisation grows, demand for food increases. Besides investments in infrastructure, logistics, processing, packaging and organized retailing should be enhanced. Industrialisation is also taking place much in urban cities which generates more employment opportunities.

Rapid urbanization faces much challenges viz. public health, drinking water, sewerage, solid waste management, electricity, housing, public transport etc. The scarcity of affordable housing in urban cities drives the poor to slums and most of these settlements lack even basic water and sanitation facilities. On an average, 25% of the population in many Indian cities lives in slums; in Greater Mumbai, slum dwellers accounts for 54% of the total population. Our government's effort in promoting urban infrastructure and more allocation to urban cities solved these challenges to some extent. During the 12^{th} Plan 93 millions are slum dwellers in urban areas.

To meet the problem of transportation in urban areas, Governments efforts in formulation of National Urban Transport Policy, financing buses for urban transport, Bus Rapid Transit System Project, traffic transit management centres for urban transport under JNNURM and sanction of metro rail projects for various cities.

Under JNNURM, our government has sanctioned huge amount of money to various States in the country for purchase of urban buses. Delhi has reached much progress in this regard. However, the allocation to other States is not alike that of Delhi. I urge upon the Union Government to allocate more funds to the States particularly for Tamil Nadu for purchase of buses to cities under JNNURM. Investment under JNNURM scheme in 120000 crores in the first phase which will be raised to Rs. 20000 crores in the recent phase.

Many of the State Transport Undertakings in the ocutnry are running into losses and they are facing problems even to pay salaries of employees and to purchase the rolling stock-leave buying of new buses. I urge upon the Hon'ble Minister to allocate more funds to loss making STUs and to improve their infrastructure.

To remove the congestion in urban areas and to provide easy transportation, metro rail systems has started. Delhi Metro Rail Corporation has proved much success. Seeing Delhi's model, many States have come forward to introduce metro train services in their cities and some of them are slowly progressing and plans are anvil in some States. Some States have planned to start mono-rail sercies. I urge upon the Hon'ble Minister to allocate adequate funds for metro and mono-rail projects to the States.

Satellite towns play a major role in the development of urban cities and ease the burden of many States. Satellite towns should be developed and more infrastructure facilties should be provided there which will motivate the people to settle there and easy connectivity must be provided there for their commuting.

Low cost housing facilties are to be made available in all the metropolitan cities. Affordable credit is to be provided to the poor, middle class people for purchasing houses. Cumbersome procedures are to be avoided in getting loans. Banks are also to be instructed to extend all necessary facilties for easy access of loan facilities to the home buyers.

National Urban livelihood mission is formulated which will create job opportunities for the urban poor. It is just like the employment opportunity provided for rural poor thorugh Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Water facility is very important for the urban dwellers.

In Tiruneveli constituency, a major scheme of Papanasam pipeline makes for the usage of corporation dwellers are pending for a long period of time. I request our Central Government to provide Rs. 1.50 crore for the major water scheme of Tiruneveli corporation area of Tamil Nadu.

*श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): भारत सरकार की "मनरेगा" जैसी महत्वपूर्ण योजना से शहरी क्षेत्र की आबादी को भी जोड़ा जाना चाहिए।

भारत सरकार से पूर्व में NSDP (राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्मूलन योजना) के माध्यम से गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों के विकास हेतु नियमित बजट राज्यों को मिलता था। जिससे मूलभूत सुविधाओं का विकास होता था, सरकार द्वारा इसे बंद करके इसके स्थान पर ISHDP (एकीकृत मलिन बस्ती आवास योजना) प्रारम्भ की गई है। यह एक अच्छी योजना है लेकिन इसके स्वीकृत होने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। DPR तैयार होकर स्वीकृति प्रस्ताव आने में ही कई महीने लग जाते हैं।

मेरा अनुरोध है कि यह योजना अपनी जगह काम करती रहे लेकिन NSDP के तहत मूलभूत सुविधाओं के तत्काल विकास के लिए नियमित बजट सीधे संबंधित जिले के कलेक्टर को प्राप्त होते रहना चाहिए। जिससे गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों का सतत् विकास होता रहे। सरकार की नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में नगर राजगढ़ एवं पचौर जोकि नेवज नदी, सारंगपुर कालीसिंध नदी व ब्यावरा जो कि अजनार नदी के किनारे बसे हुए हैं। उन्हें भी इस योजना में विशेष पैकेज दिया जावे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे नगर खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा एवं नरसिंहगढ़ तथा पचोर, सारंगपुर में पर्यावरण प्रदूषण की बहुत अधिक समस्या है। इसके निदान के लिए उक्त नगरों में पार्क निर्माण हेतु सरकार विशेष पैकेज जारी करे।

अंत में मैं मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में जल आवर्धन संबंधी योजना UIDSSMT के अंतर्गत जिले के राजगढ़, सुठालिया, सारंगपुर नगरीय निकायों के प्रस्ताव काफी समय से स्वीकृति हेतु लंबित हैं। कृपया इन्हें भी शीघ्र स्वीकृत किया जावे।

*श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन): मेरा संसदीय क्षेत्र खरगोन – बडवानी (म.प्र.) जनजाति बहुल होकर यहां पर मध्यम श्रेणी के शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में 3 नगरपालिकाए, नगरपालिका एवं नगर परिषदों के साथ गांवों का विकास होने से कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। यहां पर गंदे पानी की निकासी के साथ ही सीवर लाईन की व्यवस्था अत्यंत निम्न स्तर की होने से मच्छरों एवं अन्य जहरीले कीड़ों की बढ़ोतरी होने से लोगों का इन शहरों में रहना कठिन होता जा रहा है।

इन क्षेत्रों में बिजली की कमी बनी रहती है। गंभीर स्थिति उस समय निर्मित हो जाती है जब बिजली चली जाने पर मच्छर का हमला होता है जिससे मलेरिया एवं अन्य बीमारियों के रोगियों की संख्या दिनों–दिन बढ़ती जाती है।

बडवानी एवं खरगौन जिले नर्मदा नदी के आसपास हैं। पेयजल की व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धताग किंतु पाईप लाईन के अभाव में पेयजल संकट बना रहता है।

नगरों से निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई शुद्धिकरण प्लांट नहीं है। इससे गंदगी सीधे नर्मदा नदी में जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रथम चरण में बड़वानी, अंजड, मण्डलेश्वर, बड़वाह आदि में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता है।

सादर निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति जिलों में मध्यम श्रेणी के शहरों की नगरपालिका एवं नगर परिषद को विशेष केन्द्रीय अनुदान दिया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनिवल मिशन के अंतर्गत शहरों में सिवरेज, सोलर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई की योजना पर विशेष धन आवंटन की आवश्यकता है। बडवानी एवं खरगोन की नगर पालिका एवं नगर परिषदों को इस योजना के अंतर्गत करीब 100 करोड़ रूपये के आवंटन की आवश्यकता है।

बडवानी एवं खरगौन जिलों में लगभग 10 माह सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रहता है। यदि इस क्षेत्र में सोलर प्रकाश से संबंधित योजनाएं नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र को प्रदाय की जाये तो स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था पर होने वाले व्यय में काफी बचत होगी।

मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनिवल मिशन के तहत अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराकर इन छोटे शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान की जा सकती है।

*श्री रतन सिंह (भरतपुर): देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। देश की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 113 करोड़ हो गई है एवं शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अनुमान के अनुसार 38 करोड़ व्यक्ति शहरों में रह रहे हैं। जो जनसंख्या का 31 प्रतिशत है। दो तिहाई घरेलू उत्पादन शहरों में हो रहा है। देश का राजस्व 90 प्रतिशत शहरों से मिल रहा है।

हम माननीय यूपीए चेयरमैन साहब, माननीय राहुल गांधीजी, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय शहरी विकास मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने बड़े एवं छोटे सभी प्रकार के शहरों के लिए JNNURM एवं UIDSSMT के तहत विकास कार्य स्वीकृत किए जाने हैं। इस वर्ष 1.76 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है जो जीडीपी का 0.25 प्रतिशत है। जिसके अंतर्गत शहरों की सफाई , जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन सड़क नेट वर्क, शहरी परिवहन एवं स्लम, कच्ची बस्तियोंके विकास कार्यों का प्रावधान है। निर्माण कार्य बहुत तेजी से पूरे किये जा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध निर्धारित समय में पूरे किए जावे, जिससे लागत मूल्य बढ़े नहींएवं जनता में समय पर लाभ मिल सके। विशेष मानीटरिंग की व्यवस्था लागू किया जावे।

दिल्ली पर आबादी का ज्यादा दबाव नहीं बने, इसके लिए एनसीआर सीमायें विचार कर बढ़ाई जानी चाहिए। भरतपुर, धौलपुर जिले को और दिल्ली के सभी आसपास के क्षेत्र को शीघ्र सम्मिलित किया जाना चाहिए।

JNN URM के अंतर्गत सभी सम्भागीय मुख्यालय एवं सभी जिलों को विकास कार्यों के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए।

MPs के सभी आवास जीर्ण–शीर्ण हालत मेंहैं। नये नियमों के अनुरूप सुदृढ़ एवं मजबूत बनाये जायें।

UIDSSMT के अंतर्गत सभी उपखण्डीय मुख्यालयों को सम्मिलित किया जाना भी आवश्यक है जिससे आबादी का दबाव जिला एवं राजधानी क्षेत्रों पर नहीं बढ़े।

शहरों का समग्र विकास JNNURM एवं UIDSSMT के तहत किया जाना चाहिए। इसके तहत पानी, बिजली, आवास, सड़कों के निर्माण उनके बाईपास एवं गरीबों को आवास की व्यवस्था को प्रथम वरीयता दिया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि JNNURM एवं UISSMT के अंतर्गत जीडीपी का 1 प्रतिशत राशि आवंटित की जावे। जिससे वरीयता के आवश्यक कार्य समय रहते हुए पूरे किए जा सकें।

जहां नगर पालिकाओं के आय के पर्याप्त स्रोत नहीं उन्हें विशेष आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।

माननीय DDA एवं इस प्रकार की सभी संस्थाओं द्वारा दलित एवं गरीब वर्गों को आवास प्रथम वरीयता पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि जयपुर में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। भरतपुर संभागीय मुख्यालय दिल्ली के बहुत नजदीक है। मेट्रो रेल से शीघ्र जुड़े जाने का विनम्र निवेदन है।

मैं शहरी विकास के इस जन कल्याणकारी एवं विकासशील बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

18.00 hrs

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): सभापति जी, मैं ऐसे शहर का प्रतिनिधित्व करती हूं जो दुनिया के सबसे तेज गति के विकसित शहरों में आता है। जेएनएनयूआरएम के पांच एवार्ड सूरत शहर को मिल चुके हैं, लेकिन गुजरात में होने की वजह से वह शहर केन्द्र सरकार की उपेक्षा झेल रहा है। इन प्रस्तावों को देखें तो राज्य, विशेषकर गुजरात जैसे राज्य से न्याय नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार के कुछ निर्णय राज्यों के क्षेत्रों में भी केन्द्र की सत्ता चलाने जैसे हैं। दिस पर देश में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। राज्यों के विकास को रोक कर केन्द्र की तिजोरी भरने की केन्द्र सरकार की आकांक्षा उजागर हो रही है। इस बजट में केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर देश में कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए तो उसकी मंजूरी केन्द्र सरकार से लेना एवं प्रोजेक्ट का एक प्रतिशत केन्द्र सरकार को पर्यावरणीय मंजूरी लेते वक्त जमा कराने का प्रावधान है, जो राज्यों के साथ अन्याय करता है एवं शहरों के विकास की एवज में केन्द्र सरकार की तिजोरी भरने की व्यवस्था है।

सूरे जैसे शहर में मेट्रो रेल एवं केन्द्र सरकार की विविध योजनाओं में योग्य प्रकार से आर्थिक आबंटन होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सूरत शहर में मेट्रो रेलवे व्यवस्था एवं सूरत शहर को अन्य राज्यों से जोड़ती हुई अभी जो रोड व्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाए। हम चाहते हैं कि सब राज्यों का विकास हो। आपने गुजरात देखा है और आप वहां गए भी हैं। गुजरात में, खासकर सूरत में कनेक्टिविटी के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इतने बड़े शहर के लिए यह जरूरी है। मैं शहरी विकास मंत्री जी से अपेक्षा करती हूं कि वह सूरत शहर की तरफ ध्याने देकर उसे खूबसूरत और विकसित बनाने में जरूर मदद करेंगे, ऐसी मेरी उनसे विनती भी है।

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

Hon. Members, I may inform you that till the reply of the hon. Minister and till the Demands for the Ministry is passed, the House is extended till that time.

...(*Interruptions*)

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। यह तो कोई बात नहीं हुई।

MR. CHAIRMAN: You can lay your speech.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You please take your seat.

श्री महाबल मिश्रा: आप समय बढ़ा दें, हमें भी एक-दो मिनट में अपनी बात कहने का मौका दें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: तीन बार ऐसा हुआ है, सबको मौका देना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Already the time allotted for discussion is over. But if the hon. Members feel that the debate can still continue, then let them decide.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If the Members accept it, I have no objection. I have no objection in permitting the hon. Members to speak, but let them be brief. They are taking more than almost 5 to 10 minutes. If the Members co-operate, then I have no objection. There are many Members who want to speak and I have no objection to their speaking for two minutes each. Let them speak for two minutes if they so want.

श्री महाबल मिश्रा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र का दौरा किया था।

18.04 hrs

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए एक लाख मकान बनाने की बात कही थी। इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने देहात के लिए 240 करोड़ रुपए अलग से भी दिए, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसा दीपेन्द्र हुड्डा जी ने कहा कि दिल्ली देहात जो कि नजफगढ़ का एरिया है, वह दिल्ली के देहात का दिल है, जिस तरह से कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है, वैसे ही पूरे दिल्ली देहात और हरियाणा के लिए नजफगढ़ की मार्केट है। मंत्री जी ने वहां विजिट किया था। राज्य मंत्री श्री सोगतराय जी ने भी इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने द्वारका से नजफगढ़ तक मेट्रो की बात मानी थी। उस समय एनाउस हुआ था कि द्वारका से नजफगढ़ जो साढ़े पांच किलोमीटर मेट्रो लाइन है, उसके लिए 1072 करोड़ रुपये के फंड की स्वीकृति जल्दी से जल्दी की जाएगी।ं मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

दिल्ली में 1639 अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सन् 2008 में यूपीए की चेयर-पर्सन माननीय सोनिया जी के द्वारा एक प्रॉविजनल सर्टिफिकेट बांटा गया था लेकिन वे कॉलोनीज अभी तक रेगुलराइज्ड नहीं हुई हैं जिसके कारण एमसीडी चुनाव पर उसका असर पड़ा। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां पानी, बिजली, सीवर का काम होना चाहिए। वहां पानी की लाइन नहीं है, बिजली के खम्भे नहीं हैं, रोड नहीं हैं, सीवर नहीं हैं। ऐसी 1639 कॉलोनीज हैं। वर्ष 2002 में कॉलोनी का एरियल-सर्वे हुआ था, लेकिन आज वर्ष 2012 है और इन 10 सालों में वहां बहुत सारे मकान बन गये हैं, इसलिए वर्ष 2012 के आधार पर उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात करें। दिल्ली में 40 लाख लोग बाहर से आते हैं जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा से तथा एनसीआर से आते हैं। आज इन कॉलोनीज में लोग बीमार हो रहे हैं, हैजा फैल रहा है, पानी नहीं है, सीवर नहीं हैं। इसलिए इस काम को करने के लिए आप अविलम्ब आदेश दें और इन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात करें।

द्वारका सिटी आपने बहुत अच्छी बनाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसी द्वारका में आपने एक फ्रेट-कम्पलैक्स भी जोड़ा है, जहां 50 हजार ट्रक रोज आयेंगे। इस सब-सिटी का क्या औचित्य रहेगा? जब द्वारका आपने सब-सिटी बनाई, सुंदर सिटी बनाई लेकिन एक फ्रेट-कम्पलैक्स जिसमें 50 हजार ट्रक रोज आयेंगे, इसका औचित्य मुझे समझ में नहीं आया है। एक तरफ आप अच्छी प्लानिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप फ्रेट-कम्पलैक्स बनाते हैं। उसे अविलम्ब रोकने की बात करें।

वर्ष 2002 के सर्वे के आधार पर जो कॉलोनीज रेगुलराइज करने की बात आई है लेकिन जब वर्ष 2008 में हमारा एक प्रॉविजनल सर्वे भी था और इस बीच में लाखों मकान वहां बने हैं तो उसका आधार वर्ष 2012 को लिया जाए और उसी आधार पर कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाए। उसमें सीवर, पानी मुहैया कराई जाए। दिल्ली केवल कनॉट-प्लेस और नई दिल्ली नहीं हैं, अब बहादुरगढ़, नजफगढ़, सोनीपत तक में रहने वाला भी दिल्ली का निवासी है। यहां तो एमपी और दूसरे साहबान लोग घूमते हैं जिनकी गाड़ी में पैंचर तक नहीं होता है लेकिन आप उस दिल्ली को भी देखें जहां पीने का पानी नहीं है, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चारों कोनों पर आप बरसाती तालाब बनाएं और उसे रिसाइकल करके लोगों को पानी दें। हरियाणा वाले यहां बैठे हैं, वे दिल्ली को पानी देते नहीं हैं। वर्ष 1993 में पानी का समझौता हुआ था। दिल्ली में लोग माइग्रेट

होकर आते हैं, इसलिए हरियाणा और पंजाब की जनसंख्या घटी है लेकिन दिल्ली की जनसंख्या माइग्रेशन के कारण बढ़ी है, पर समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नांगलोई, नजफगढ़ और उत्तम नगर के देहात के लिए आपने 240 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं। जिस किसान की जमीन पर द्वारका बसी, वहां मेट्रो है लेकिन उस किसान के देहात के लिए मेट्रो नहीं है। इसलिए उनके लिए भी आप मेट्रो दें। आप नजफगढ़ से द्वारका के लिए, मुंडका से बहादुरगढ़ के लिए आज मेट्रो एनाउंस करें। पब्लिक आपको देख रही है कि आज माननीय कमलनाथ जी इस विषय में कुछ एनाउंस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा कुछ एनाउंस करेंगे।

ओश्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): बढ़ती हुई जनसंख्या में इस मंत्रालय का काम काफी चुनौतीभरा है। आज तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण 80 औ हमारे माइग्रेशन को जाता है । गांव आज बीमार है । तेजी से बढ़ता हुआ डीजल और खेती में बढ़ रही लागत बिजली की कमी इन सभी कारणों से आज खेती मुनाफे का धंधा नही है । इसलिए नौजवान तेजी से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, ताकि किसी तरह कमा-खा रहे हैं ।

बढ़ती हुई जनसंख्या को लाभ-सारी सुविधायें जो आजादी के 64 साल के बाद देना है यह बहुत ही कठिन चुनौती भरा काम है । आजादी के छः दशक के बाद भी शहरों में वे सुविधायें नजर नहीं आती है । मैट्रोपोलिटन सिटी की बात करे तो एमएनसी के आने के बाद बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गयी है। कई शहर कंक्रीट, जंगल में परिवर्तित हो गये हैं लेकिन उन बड़ी इमारतों के कोने में वे झुग्गियां भी मुंह चिढ़ाती हैं वे मजदूर जिसके मेहनत और काबिलीयत से ये आलीशान इमारते बनती है वे इन्हीं झुग्गी में रहते हैं । गांव की तरह शहर में भी इंदिरा आवास का प्रावधान हो क्याकि शहर में गरीब है ।

छोटे शहरों की हालत तो और भी खराब आज भी वहां राम राज्य बरकरार है । रामराज्य मकं बाघ-बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे । आज भी छोटे शहरों में जो तालाब हैं वहां आदमी नहाते हैं । गाय-भैंस पशु को पानी पिलाता है और उसी पानी से खाना भी बनाते हैं । यह आधुनिक राम राज्य है ।

हमें आज इन्हीं चुनौती का सामना करना है। सड़क, पेयजल, वेस्ट मैनेजमेंट कचरा का निस्तारण आज इन्हीं बातें पर ध्यान देना होगा सड़कों और वाहन को सुगमता से चलाने के लिए मोनोरेल जैसी योजना को प्राथमिकता देनी होगी जो कम लागत में भी बनती है । कचरे से उर्जा जैसी योजना बनानी होगी । इ-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज बड़ी समस्या है । आज वैश्विक क्रंति के कारण बाजार बढ़ा है । उपभोक्ता को लुभाया जा रहा है । उपभोग संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है । हर दिन नया मोबाइल फोन, लैपटॉप, बिजली के अन्य उपकरण खरीदे जा रहे हैं। पुरानी चीजें कहाँ फेंके डिस्ट्राय करें इसका कोइ प्रावधान किसी कंपनी के पास नहीं है । इस पर काम करना बहुत जरूरी है ।

पेयजल आज काफी अहम् मुद्दा है। खासकर पटना राजधानी हुए इन सुविधाओं से महरूम है । बांका क्षेत्र जहां का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं वह सेटेलाइट के द्वारा परीक्षण करने का पता चला है वह एक डार्क जोन है । आज बांका क्षेत्र पानी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है । कतरनी चावल जैसा खुशबू देने वालो क्षेत्र के किसान पानी के अभाव में मजदूर बनने को लाचार हैं।

---

* Speech was laid on the Table

शर्म और हया औरत का गहना है, जैसी बातें हमारे समाज में की जाती है । आज उसी समाज के उसी भारत में औरतें खुले रूप में तालाब में नदी किनारे नहाती हैं, जहां लाज और गहना है उसी भारत में हमारे क्षेत्र में औरतें हे सड़क के किनारे शौच के लिए मजबूर हैं।

आज की इस चुनौती भरे वातावरण में आपका काम काफी चुनौती भरा है, आपको लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसके साथ ही, मैं इसका पूरा समर्थन करती हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI KAMAL NATH): Mr. Chairman Sir, I want to thank the hon. Members for participating in the discussion on the Demands for Grants of this Ministry which is happening in this House after 27 years. I myself have been in this House for 32 years. I remember that last time, it was in 1985 that this House took up the Grants of this Ministry and this is demonstrated by the studies that the Members have done on the issues of urban development and the challenges of urban development in this country.

I will not go into the facts and figures because most Members in their speeches have already brought out the serious situation which is there in urban infrastructure. The growing urbanisation is compounded by the fact that we have a young population. Young population is more mobile than the older one. It is because of that the urbanisation challenge which will go up to 600 crore people living in the urban areas in the next decade or the next decade and half is a matter of very serious concern.

This was the first experiment in the JNNURM. This was the first project undertaken by any Central Government. There was no JNNURM. There was no support from the Centre to the States for specific projects, for specific municipalities, for specific nagar palikas, for specific nagar panchayats or nagar nigams. This was first launched in 2005. Now, we all understand that this is a State subject. But the whole idea of this Scheme was that we would encourage the States to undertake reforms, some reforms in the smaller municipalities, in the medium sized municipalities, in the nagar nigams, etc. It is because of this the Central Government provided a huge outlay.

There has been a mention that all the schemes are delayed. It is a fact and I must admit it that schemes get delayed. One of the reasons for this delay is lack of capacity. We all come from some nagar palikas or some nagar panchayats or some

nagar nigams. We all know that. One hon. Member mentioned it.

आज जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत है, जब तक इनकी क्षमता में सुधार नहीं होगा, तब तक कैसे सही योजना बनेगी। यह कहा गया कि योजनाओं की स्वीकृति में बहुत समय लगता है। यह बात सही है, लेकिन जो योजना बन कर आती है, अगर उसमें कोई कमी है खामी है, तो उसे देखना पड़ता है, इसीलिए योजना स्वीकृत होने में समय लगता है।

आज जेएनयूआरएम-2 पर विचार कर रहे हैं, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में की थी कि इसे बनाया जाएगा। इसमें सबसे मुख्य प्रावधान रखेंगे कि हर राज्य को एक स्टेट म्यूनिसिपल सर्विस बनाना आवश्यक होगा। आज देखने में आता है कि कोई नगर पालिका या नगर पंचायत में कोई अधिकारी है, तो वह हैल्थ विभाग से है, वैटेनेरी विभाग से है, पीडब्ल्युडी से है, बिजली विभाग से है, उसका उस विभाग में कोई अनुभव नहीं है। वह तो अपना समय पास कर रहा है और किसी नेता के पास जाकर, आप सभी जानते हैं और हमें स्वीकार करना होगा कि वे कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग यहां करा दीजिए। वह शहर में रहना चाहता है, नगर पालिका और नगर पंचायत में रहना चाहता है। हमें डेप्यूटेशन का सिलसिला समाप्त करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि पूरे सदन से मुझे सहमति मिलेगी कि हर राज्य को हम निर्देशित करेंगे कि जेएनयूआरएम-2 के अंतर्गत कोई राशि चाहते हैं या योजना स्वीकृत कराना चाहते हैं, तो अपने राज्य में उन्हें आवश्यक रूप से स्टेट म्यूनिसिपल सर्विस का गठन करना पड़ेगा। एक कैडर बनाना पड़ेगा, तभी हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। जेएनयूआरएम-2 में हम जो राशि रखेंगे, जो ऐलोकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करेंगे, वह उसी को करेंगे। अगर किसी दूसरे विभाग का होगा, तो वह सम्भव नहीं होगा। तभी हमारी शहरीकरण की जो बढ़ती हुई गति है, इसमें और ज्यादा सुधार आ पाएगा। हमारा अर्बन इफ्रास्ट्रक्चर है।

सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बातें सदन में रखी हैं और हम देख रहे हैं कि आज किस तरह का शहरीकरण हो रहा है। यह बड़े-बड़े शहरों की ही बात नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि नगर पंचायतों में शहरीकरण हो रहा है, आज नगर पालिकाओं में शहरीकरण हो रहा है और परसेंट की दृष्टि से नगर पालिका और नगर पंचायत में not in numbers but in percentage terms. In percentage terms it is greater than what it is in the bigger cities. लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जो गांव के प्रधान हैं, वे अब गांवों में नहीं रहते। वे अब कस्बों में रहते हैं। यह बात सही है और यह 10,000 वाले, 50,000 वाले, 1 लाख वाले और 2 लाख वाले इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। राज्य सरकार तनख्वाह बांटने के लिए है। उनको राशि पहुंचाती है। लेकिन योजनाओं का क्या होगा? इसीलिए जेएनएनयूआरएम-2 में हमारा यह प्रयास है। It will be our objective to give preference to the smaller towns and cities. We want to encourage the bigger towns because we are financially sound. जो बड़े शहर हैं, जो नगर निगम हैं, जैसे बैंगलोर, दिल्ली और मुम्बई हैं, इन नगर निगम के पास फंड्स रेज करने की क्षमता है, म्युनिसिपल बौंड्स इश्यू करने की क्षमता है पर छोटी जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं, इनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। इसलिए ये जो छोटी छोटी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं, Even one lakh, two lakh, three lakhs, we are going to give them preference in the JNNURM-II. हमें इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हमारे छोटे शहर हैं और बड़े शहर हैं, they all have exceeded the carrying capacity.

जो इनकी आबादी थी, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले और जो इनमें नालियों का प्रावधान था, जो इनके लिए पेयजल का प्रावधान था, सीवेज का प्रावधान था क्योंकि छोटे वालों में तो कभी था ही नहीं अगर था तो इनकी जो क्षमता है, यह अब एक्सीड कर गई है और जो अगले पांच साल में होगा, What we will do in the next five years, we must remember that we will be catching up with the past, not building for the future. This is the challenge that we have to catch up with the past and it is towards this challenge, किसी ने कहा कि आप मिलते नहीं हैं, मैं पहला मंत्री था जिसने नगर पालिकाओं की मीटिंग की। मैंने छोटी-छोटी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं का एक अधिवेशन दो महीने पहले दिल्ली में बुलाया। सब राज्यों से आये। मैंने सब राज्यों के मंत्रियों को बुलाया। मैंने बड़े नगर निगम की अलग मीटिंग की और मैंने मीटिंग में कहा कि जो हमारी छोटी नगर पालिकाएं और नगर निगम हैं जो कभी दिल्ली तक नहीं आ सकतीं, उनकी मैं मीटिंग करूंगा। उनकी मीटिंग मैंने दिल्ली में दो महीने पहले की और सबकी बात सुनी। सबके सुझाव लिये क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारी जेएनएनयूआरएम-2 है, वह एक नये दृष्टिकोण से बने परंतु हमें यह बात याद रखनी है कि इसका क्रियान्वयन कौन करता है? इसका क्रियान्वयन मेरा मंत्रालय नहीं करता। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। आप जब करप्शन की बात करते हैं तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा? आप कहते हैं कि योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। वह क्रियान्वयन तो राज्य सरकार और नगर पालिका करती है। केन्द्र सरकार तो केवल योजना को एग्जामिन करती है। We study the DPR. लोग इसको कौन चैक करता है? There is a State level Committee.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सर, टीम भेजकर चैक कराइए।

श्री कमल नाथ : वह तो हम करेंगे। मैं उसी प्वाइंट पर आ रहा हूं। Basically, this is a State subject. यह राज्य के अधिकारों में आता है। हम इसमें कोई हस्तक्षेप करेंगे तो आप लोग ही परेशान होंगे। आप लोग परेशान होंगे तो मुझे परेशान करेंगे और हमारी सरकार को परेशान करेंगे। इसमें यह बात आपको याद रखनी है कि जो आज हमारे शहरीकरण की चुनौती है, यह केवल केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है चाहे कोई भी राज्य सरकार हो। हो सकता है कि कुछ दबाव डालना पड़ेगा कि इसका क्रियान्वयन सही प्रकार से करे। केन्द्र सरकार केवल पैसा दे सकती है, मोनीटर कर सकती है। हां, केन्द्र सरकार पैसा बंद कर सकती है। तो क्या पैसा बंद कर देने से योजना सही हो जाएगी? पैसा बंद कर देने से तो लोगों को और परेशानी होंगी। ऐसा कई जगह हुआ और मेरे कई साथियों ने आकर कहा कि आप ऐसा मत करिए। नालियों के खुदे हुए पाइप पड़े हुए हैं, सड़कें खोदी हुई हैं और हमने पैसा बंद कर दिया। क्योंकि कहा कि अगर पाइप गलत प्रकार का है तो क्या बंद कर दें? आप कहिए कि बंद कर दो, हम कल ही बंद कर देंगे। जांच कर लेंगे और उसके बाद सही निकले तो क्या हम बंद कर दें? आप ही बताइए। बाद में आप ही मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि मत बंद होने दीजिए। क्या किया जाए? हमें याद रखना है कि यह प्राइम रिस्पांसिबिलिटी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार तो केवल सहायता कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। कोई कहता है कि हमें यह योजना नहीं मिली, हमारे राज्य को कम पैसा मिला है, यह बात भी सही हो सकती है। यह भी सही है कि किसी राज्य सरकार ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, सही बात कही, मैं सहमत हूं। मैंने खुद उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, संसद में रहे हमारे साथी अखिलेश यादव जी से बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की समस्या यह है कि कोई योजना नहीं आती। आप की स्टेट लैवल कमेटी है, आपको डीपीआर नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम से बनवानी है और आपको ही स्टेट लैवल कमेटी में एप्रूव करना है और दिल्ली भेजना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अभी तक तो बहनजी की सरकार थी।

श्री कमल नाथ : चाहे जिसकी भी सरकार हो, मैं तो आपको बता रहा हूं कि क्या परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में इस योजना को गुजरना पड़ा है,

जेएनएनयूआरएम को गुजरना पड़ा है। एक सरकार गई दूसरी सरकार आई, जिसने पहले स्वीकृत की दूसरी सरकार ने आकर कैंसल कर दी, उन्हें सूट नहीं की चाहे कोई भी कारण हो।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair.

SHRI KAMAL NATH: Sir, they spoke with such a lot of enthusiasm that I must look at them. I am addressing the Chair but looking at them.**â€¦** (*Interruptions*)

सभापति महोदय: मैं आपका दर्शन करने के लिए तरस गया हूं।

SHRI KAMAL NATH: Sir, you are absolutely right. In this, the first thing we must recognize is that the State Governments have the prime responsibility....(*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप हिंदी में बोल रहे थे तो ज्यादा अच्छा लग रहा था।

श्री कमल नाथ: मैं दोनों में बोल रहा हूं, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर।

महोदय, हमें यह याद रखना होगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसमें सबको सहयोग देना होगा चाहे सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि हो। मैं जानता हूं कि मेरे जिले में क्या हो रहा है। मैंने खुद अहसास किया है कि कैसे योजना बनती है। ऐसी योजना बनती है कि म्युनिसिपल अफसर नहीं बनाता, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बनाते बल्कि ठेकेदार बनाते हैं। यह स्थिति है क्योंकि कैपिसिटी नहीं है, उनके पास बनाने की क्षमता नहीं है। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। जेएनएनयूआरएम-2 में हमारा पूरा प्रयास होगा कि कैपिसिटी बिल्डिंग को प्राथमिकता दें। छोटे और बड़े शहरों को प्राथमिकता दें। बड़े शहर जो 10 लाख की आबादी से ऊपर हैं, 70 हो जाएंगे। आज करीबन 55 हैं और नई जनगणना में अगले दस साल में 70 हो जाएंगे। यूरोप में 70 नहीं हैं और हमारे देश में हो जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम इनकी मदद करें, वाएबिलिटी की फंडिंग करें। पब्लिक फंड को यूटिलाइज करें, म्युनिसिपल बांड करें, लोन्स लें तभी उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। आज उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने आप में सुधार लाएं।

महोदय, यहां काफी सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। संजय निरुपम जी ने बहुत बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि शहर गांव की तुलना में खराब होते जा रहे हैं। जहां तक तालाबों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं यह बहुत बड़ी समस्या है। तालाब के बारे में अभी जिक्र किया गया कि यह जेएनएनयूआरएम में है। हम इसे जेएनएनयूआरएम में जोड़े रखेंगे। मानिटरिंग कमेटी की बात कई संसद सदस्यों ने उठाई है, संजय निरुपम जी ने भी उठाई। मंत्रालय ने लगभग एक साल पहले इसे घोषित किया था। लेकिन कुछ राज्यों ने यह समिति नहीं बनाई। जब यह बात उठी है तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने नहीं बनाई, उन पर कुछ कार्रवाई अवश्य करनी होगी कि सांसदों की अध्यक्षता में जैसे रूरल डेवलपमेंट में है वैसी समिति बनाई थी। कई राज्य सरकारों ने इसे घोषित किया है और कई राज्य सरकारों ने घोषित नहीं किया है। इस पर मैं राज्य सरकार से कहूंगा।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप वहां पावर दीजिए, वहां पावर नहीं मिलती।

श्री कमल नाथ : सब माननीय सदस्य उस समिति के अध्यक्ष होंगे, वह पावर इन इटसैल्फ है, आप मानीटर कर सकेंगे, प्रश्न पूछ सकेंगे और यह हमने हर महीने टेक अप किया है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, जो ग्रामीण विकास की जिस निगरानी समिति का आपने उदाहरण दिया है, वह सैन्ट्रल से बनकर गई है, States were bound to comply with it.

SHRI KAMAL NATH: We have followed the pattern. The Ministry of Parliamentary Affairs has laid out the rules and constituted it and that is exactly what the Ministry of Urban Development has done.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): The Committee has to be improved.

SHRI KAMAL NATH: Let it be formed, then I would hear your suggestion about its improvement. I will ensure these Committees are formed and those States which do not form the Committee, I am afraid, we will have to stop instalments of those States. I think, all Members from all sides agree with me.

Shri Sanjay Nirupam has mentioned about community participation fund. It is a very good idea. In the JNNURM, we will have consultations and make sure that this works. This was there but was not fully utilized, rather very little utilized. We would ensure that this happends.

Shri Lalji Tandon mentioned about rain water harvesting. It is already there in JNNURM. He mentioned a very important point. उन्होंने कहा कि जो हमारी नगर पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार है और हमने इसी सदन में बैठकर संशोधन किया था। आज राज्य इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। यह बात सही है, लेकिन हम जेएनएनयूआरएम में एक शर्त लगायेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़ों के बारे में कहा,मैं उन्हें भेज दूंगा। परंतु मैं बड़े संक्षेप में उन्हें यह कहना चाहता हूं कि यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम योजनाएं आई, क्योंकि जब आई नहीं तो स्वीकृत भी नहीं हुई। अब अगर आने लग जायेंगी तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश एक महान प्रदेश है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसे हम उसकी आबादी और साइज के हिसाब से प्राथमिकता देंगे। ...(व्यवधान) इलाहाबाद में जो महाकुंभ आ रहा है, आपने उस महाकुंभ की बात की। वहां जल्दी ही महाकुंभ आने जा रहा है और इसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। Through you, I would request the hon. Member to get projects made and send them because *Maha Kumbh* not just in Allahabad but it is a national event. यह एक राष्ट्रीय इवेंट है, इसलिए हम इसे प्राथमिकता देंगे। राज्य सरकार के साथ मैं अलग से एक बैठक करने को तैयार हूं, जहां महाकुंभ के बारे में बात हो।

श्री विजय बहादुर सिंह जी ने कहा कि कस्बों से माइग्रेशन हो रहा है। पहले गांव से कस्बा और कस्बे से शहरों में लोग आते हैं। यह बात सही है और यही बात मैंने कही। यह जो आज पलायन हो रहा है, यह बड़ी जोरों से हो रहा है। खेती करते हैं गांवों में लेकिन पढ़ायेंगे शहरों में, यही हो रहा है। छोटे-छोटे कस्बों में लोग रहने लग गये हैं। यह बात सही है। उन्होंने कहा कि हम नेशनल अर्बन पालिसी बनायें। हमारी बहुत सारी नेशनल पालिसीज हैं। लेकिन हम कोई नेशनल अर्बन पालिसी क्या बनायें, क्योंकि हर राज्य सरकार को एक अर्बन पालिसी बनानी है। यह राज्य सरकार का विषय है, हम इस पर कोई कानून कैसे बनायें। आपने कहा कि एक नेशनल एक्ट बनाइये। यदि सब दलों की सहमति हो तो हम नेशनल एक्ट बनाने को तैयार हैं। मैं कहता हूं कि इसकी आवश्यकता है। परंतु इसमें अगर राजनीति से काम न किया जाए तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। छः करोड़ लोग हमारे शहरों में बसेंगे। अभी अजनाला जी ने कहा कि लैंड माफिया है। यह बात सही है। परंतु यदि हम कोई नेशनल कानून, नेशनल एक्ट बनायें तो इसमें जब तक सब दलों की सहमति न हो, यह संभव नहीं है। हालांकि इसकी आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह आवश्यकता को हम केवल इस सदन में ही अहसान न करें। हम यह आवश्यकता सभी राजधानियों में भी अहसास करें। अगर यह आवश्यकता सभी राजधानियों में अहसास होगी तो एक नैशनल अर्बन एक्ट बनेगा। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं सबका जवाब तो नहीं दे सकता पर कालीकेश सिंह जी ने बताया कि दिल्ली का मास्टर प्लॉन पास नहीं हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का मास्टर प्लॉन पास हुआ है और यह इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर है। दिल्ली का मास्टर प्लॉन बहुत कॉम्पिलिकेटिड है। अब उसका रिवीज़न चल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस रिविज़न में जो सुधार हो सकता है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वह सुधार जरूर हो। इसमें प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि यह क्यों डिले हो रहे हैं। इसका जवाब मैंने दे दिया है। जहां तक सीपीडब्ल्यूडी की बात हैं मैं इस पर आवश्यक जांच करूंगा। जहां तक मैट्रो की बात है आज हम दिल्ली एवं अन्य शहरों में मैट्रो देखते हैं। मैट्रो आज हमारे अर्बन ट्रांस्पोर्ट के लिए बेसिक नीड है। We are proud of Delhi Metro. There are metros now in Bengaluru, Chennai and Hyderabad. All these are being implemented. It is a huge cost. There is a cost sharing pattern. Today, the only agency in the country which can prepare a Project Report for metro system is the Delhi Metro. Nobody else has the capacity to even prepare a Project Report or a Feasibility Study. So, we are very happy with the metro system in Delhi. We have already completed 193 kms and when the third phase is over, there will be 59 lakh riders in Delhi Metro. We are in the final stages of preparing the DPR for the fourth phase of Delhi Metro and when the fourth phase is completed, Delhi Metro will be having 440 kms. which will be larger than the London Metro. This will happen in Delhi.

Similarly, DPRs are being prepared for other cities.

मैंने घोषणा की है कि जो भी बीस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, उनमें मैट्रो की डीपीआर बनानी चाहिए। भोपाल, इंदौर, नागपुर, नवी मुंबई आदि में इसकी शुरूआत हुई है। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की बात की थी मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए राज्य सरकार से सुझाव आने होते हैं। अगर माननीय सदस्य राजय सरकार के माध्यम से यह भेज दें तब इसमें मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई हो पाएगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी ढील रही है। हमारे दिपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बात कही है कि दिल्ली मेट्रो में ज्यादा हिस्सा, bigger share is of Haryana. इसका पैटर्न जो बदरपुर से फरीदाबाद का है बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। for Delhi metro extension up to Gurgaon, there is a formula for the extension of Delhi Metro beyond the National Capital of Delhi. But he says that this formula means that they have to pay more. So we can have a look at it, but this formula is, perhaps, the fairest formula.

Shri Shailendra Kumar mentioned that there should be metros for Lucknow, Kanpur and Delhi Metro should be extended from Dilshad Garden to Ghaziabad. I will suggest that if he can get the State Government to propose this, we will be happy.

Sir, I want to inform the House about one of the major projects which we have taken up for Tirupati. In the Tirupati, we have taken up three projects involving a Central assistance of about Rs. 68 crore. It has been sanctioned for underground storm water drainage. We are giving priority to Tirupati.

Sir, as far as Hubli-Dharwad is concerned, the BRTS Project of Hubli-Dharwad has been included in the World Bank Funded Sustainable Urban Transport Project and also the capacity building of urban transport is a part of this. In UIDSMD, we have got two projects going, I will be happy to give the hon. Members the details of this.

Sir, as far as heritage projects are concerned, हमें अपना हेरीटेज प्रोटेक्ट करना है।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): What about Kochi Metro?

SHRI KAMAL NATH: I have said that Kochi Metro is in the final stage of approval. I will be taking it to the Cabinet as soon as it is ready.

Sir, as far as Surat is concerned, again, there is no proposal from the State Government. The BRTS has been sanctioned under JNNURM for 29.9 kms. at a sum of Rs.469 crore, सूरत में आपने बस की बात कही, सूरत ने बस की मांग ही नहीं की थी। ...(<u>व्यवधान</u>) पहले यह मांग नहीं की थी। इस प्रकार माननीय सदस्यों ने जो मेन बात उठायी है, बहुत सारी बातें मैट्रो से संबंधित हैं। जहां तक नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड की बात है, इसमें इंप्लीमेंटेशन के बारे में हुड्डा जी ने कहा कि फीजिबिलिटी स्टडी की जाए। दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार में आरआरपीएस की फीजिबिलिटी की स्टडी की जाए। मैं नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को निर्देशित कर दूंगा कि इसकी फीजिबिलिटी स्टडी फौरन टेक-अप करें।

महोदय, और भी जो मैट्रो के विषय हैं, महाबल मिश्रा जी ने बड़े जोश में द्वारका से नजफगढ़ की बात कही। ...(<u>व्यवधान</u>) यह स्वीकृत हो गयी है। इसको हम फॉर्मली कैबिनेट में एप्रूव कर देंगे। जहां तक मुंडका टू बहादुरगढ़ की बात है, यह भी स्वीकृत है, यह 11.5 किलोमीटर लंबी है। जो जे. पी. अग्रवाल जी कह रहे थे, मुकुंदपुर से यमुना विहार टू शिव विहार ...(<u>व्यवधान</u>) आप सुन लीजिए। एक तो है 2.7 किलोमीटर, यह भी स्वीकृत है, जो उनकी दूसरी बात थी कि शिव विहार टू मुकुंदपुर, इसका सर्वे चल रहा है। मैट्रो ऐसे नहीं बन जाती है, मैट्रो एक सड़क की तरह नहीं बन सकती है, मैट्रो में तो पहले डीपीआर बनती है, क्या अंडरग्राउंड होगा, क्या

ओवरहेड होगा? गुस्सा करने से तो डीपीआर नहीं बन जाएगी और न डीपीआर बनेगी और न मैट्रो बनेगी, डीपीआर की कार्रवाई शुरू हो गयी है और इसमें लगभग पांच-छः महीने लगेंगे। ...(व्यवधान) अंत में, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, खासकर कि आज जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है ...(व्यवधान) जहां तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की बात है, जहां तक दिल्ली की सड़कों की बात है, यह बात फिर से याद रखनी है कि यह बहस नगर निगम के हाउस में नहीं हो रही है, यह बहस देश की संसद में हो रही है। आज नगर निगम सड़कें बनाती है, हमारा मंत्रालय कोई सड़क नहीं बनाता है। कहते हैं कि सब सड़कें टूटी हैं, सड़कें बनाइए, इसकी बहस तो नगर निगम के सदन में करें, यहां इसकी बहस कैसे होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): चेयरमैन साहब, मंत्री जी ने बोलने वालों को तो सब कुछ दे दिया, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : रावत साहब, पुरानी कहावत है कि दीपक तले अंधेरा।

श्री कमल नाथ : जहां तक अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात है, माननीय सदस्य खुद जानते हैं, इस बात से परीचित हैं कि इसमें दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी है। इसमें जो दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी, हम उसे नोटीफाई कर देंगे। इनको दिल्ली सरकार से इसकी नोटीफिकेशन करानी है, इसकी जो जांच है, इसका जो सर्वे है, यह किस दिन से होगा, यह सब सेंट्रल मामले हैं। माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा और दिल्ली सरकार से भी हम एक ज्वाइंट मीटिंग करके इनकी जो परेशानी है, इसकी गति बढ़ाने की बात है, उस पर हम विचार करेंगे।

महोदय, दूसरी बात अपार्टमेंट एक्ट की है। अपार्टमैंट एक्ट में बहुत से सुझाव आए थे। यह बहुत दिनों से पैन्डिंग हैं। It has been pending for a long time. We are now in the final stage of the Apartments Act. I will bring it to the House as soon as we finalise it. Undoubtedly it is a very important issue. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय: महाबल मिश्रा जी, आप बैठ जाइए। खुश होकर चले मत जाइए।

SHRI KAMAL NATH: As far as the issue of land allotment to institutions is concerned, land has been allotted to several institutions in Delhi, to schools and to other educational institutions. We are working out a formula on what basis land should be allotted by DDA. This is a sensitive issue. It is not that you can allot land; when somebody will be allotted land, everybody will say that there is something wrong with it. So it is a sensitive issue. We must recognise that it is a very sensitive issue. So, allotting land to schools, Government schools, Kendriya Vidyalayas is one thing; allotting land to Government hospitals is another thing. When we try and move away from this, it becomes a very sensitive issue. So we are trying to work out a policy which is fair. We must make the optimum use of our land.

The last thing I would like to mention is this. In India, we have very very inefficient use of land. The Approach Paper to the Twelfth Plan talks about using land efficiently. We are a large country but we are not large if from the country's size you take away the mountains, you take away the forests, you take away the rivers, you take away the deserts, and you take away the water bodies. Then, our density is very high. The only answer is that we use our land efficiently. What is the most efficient use of land? That is not necessary for the Central Government; it is for the State Governments to look at. We will have to look at it; we are large States. I myself come from a large State. But even large States will have to look at. Today you want 400 acres or 500 acres of land for a Railway coach factory. Where do you find it? You cannot expand it. So we have to be using land efficiently. Those days are gone when land was used very inefficiently. Land has to be used efficiently whether they are Central Government agencies or whether they are State Government agencies. Only when land is used efficiently and only when State Governments look at efficient use of land, we will be able to get the best use of our schemes.

One of the big reasons of delay, which I did not say, in projects of JNNURM has been that State Government does not transfer the land. आज नगर पंचायत या नगरपालिका की योजना स्वीकृत हो गई लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार उनको ज़मीन ट्रांसफर नहीं करती। राज्य सरकार को अपनी ही नगरपालिका को और अपनी ही नगर पंचायत को ज़मीन ट्रांसफर करने में सालों लग जाते हैं। इसमें समय लग जाता है। दो साल लग जाते हैं। हमें एक शर्त लगानी पड़ेगी कि जब तक नगरपालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के पोज़ैशन में ज़मीन न हो, हम योजना स्वीकृत नहीं करेंगे। इसमें सालों लग जाते हैं। इस तरह बहुत सारे कारण हैं जो हमारे पहले जेएनयूआरएम में विचार करने के लिए हमारे सामने आए हैं और इनको हम कर रहे हैं।

Another very important point is this. What do we do with the new municipalities? एक माननीय सदस्य ने कहा कि नयी नगर पंचायतें बनी हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): नगर पंचायतें क्या होती हैं? हमारे यहाँ नगर पंचायतें नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : छोटी म्यूनिसिपैलिटी होती हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: इसका क्राइटीरिया क्या है?

श्री कमल नाथ : दस हज़ार, पंद्रह हज़ार या बीस हज़ार की आबादी हो सकता है। जो नगरपालिका नहीं हैं और ग्राम पंचायत नहीं हैं, जो इन दोनों के बीच में है। ...(व्यवधान) इसको टाउन एरिया भी कहते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: हमारे यहाँ यूपी में टाउन एरिया कहते हैं।

श्री कमल नाथ : कहीं कस्बा कहते हैं, कहीं नगर पंचायत कहते हैं। हम अपने यहाँ नगर पंचायत कहते हैं। इसका चाहे कुछ भी नाम हो, बात यह है कि इन सबमें राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार: खेल गांव के फ्लैट्स के बारे में बताइए।

श्री कमल नाथ : जहां तक खेल गांव के फ्लैट्स का प्रश्न है, इसमें हम 100 फ्लैट्स का ऑक्शन कर रहे हैं। इसमें जो बाजार भाव है, उसके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ...(व्यवधान) आज के दिन अगर किसी सांसद को किसी भी भाव में दे दिया तो पूरा प्रेस और पूरी मीडिया चिल्लाने लग जाएगी कि सांसदों ने मिलकर अपने आप को ही फ्लैट्स एलॉट कर दिया। आज जो हालात है, उस हालात का न आप विक्टिम बनना चाहते हैं और न ही मैं बनना चाहता हूं। इसलिए खेल गांव के फ्लैट्स के बारे में हम न ही सोचें, वही अच्छा रहेगा। जहां तक माननीय सांसदों के फ्लैट्स की बात है, 52 flats on B.D. Road for Lok Sabha and 14 flats on Talkatora Road for Rajya Sabha are under construction. अब फिरोजशाह रोड में करीब 460-462 फ्लैट्स और 400 फ्लैट्स नॉर्थ एवं साउथ एवेन्यू में प्लानिंग स्टेज में हैं। इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम इन फ्लैटों को रि-बिल्ड करेंगे तो ये एम.पी. कहां जाएंगे? 460 फ्लैट्स फिरोजशाह रोड में और 400 फ्लैट्स नॉर्थ एवं साउथ एवेन्यू में बनाने की योजना बन रही है और कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी। तब मैं माननीय सदस्यों और स्पीकर से चर्चा करूंगा कि इसमें क्या उपाय निकल सकते हैं? करीब 900 फ्लैट्स का अपग्रेडेशन टेक-अप किया गया है। मैं जानता हूं कि इसमें सांसदों की शिकायतें हैं। कई शिकायतें मेरे पास आती रहती हैं।

अन्त में, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। I want to thank all the hon. Members. जहां तक कैन्टोनमेंट का प्रश्न है, हमारे बहुत सारे कैन्ट एरियाज हैं जो सभी चीजों से वंचित हैं। मैंने इस बारे में सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि इनको भी हम जे.एन.एन.यू.आर.एम. में जोड़ने को तैयार हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की जो भी सुविधाएं और राशि हैं, इनको उपलब्ध कराएंगे। इसकी स्वीकृति के लिए मैंने उनको लिखा है। In the end, I want to thank all the hon. Members.

श्री शैलेन्द्र कुमार: इसके लिए तो आपको डिफेंस मंत्रालय से स्वीकृति लेनी पड़ेगी।

श्री कमल नाथ : इसके लिए उन्होंने लिखा है। In conclusion, I want to thank all the hon. Members for their participation.

श्री महिन्दर सिंह केपी (जालंधर): जे.एन.एन.यू.आर.एम. में काम ही शुरू नहीं हुआ है।

श्री कमल नाथ : जो आपने कहा था, वह मैंने नोट कर लिया है। Sir, I can only assure the hon. Members that as people's representative, as we all are, it is always my effort that whenever hon. Members approach me, I try and accommodate their requests. But they approached me without any proposal from the State Government. राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं है, राज्य सरकार का प्रस्ताव नहीं है, राज्य सरकार की एप्रूवल नहीं है, डीपीआर नहीं है और मुझे कहते हैं कि यह हमारी योजना है, इसे स्वीकृत करा दीजिए।

श्री जगदीश शर्मा: कुछ अपने स्तर से भी स्वीकृत कर दीजिए।

श्री कमल नाथ : जहां तक जहानाबाद का प्रश्न है, जब माननीय सदस्य की सड़क की बात थी, वहां किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी तो मैंने कर दिया था। पर, जहां राज्य सरकार की बात है, यह स्कीम बनी हुई है, इसमें राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पास प्रोपोजल भेजती है। माननीय वित्त मंत्री भी यहां मौजूद हैं। I have requested him for a large allocation to JNNURM-II. I am sure that all of you will approve the Demands for Grants based on the assumption that the fund allocation for JNNURM-II will be very substantial.

I have also requested the hon. Finance Minister that let there be a gap between JNNURM-I and JNNURM-II.

So, we should have some interim arrangement which will be subsumed by JNNURM-II. This is under consideration of the Finance Ministry, and I am sure that we will get their support.

In conclusion, I would like to thank all the hon. Members who have participated in this discussion.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, one cut motion by Shri Raju Shetti and six cut motions by Shri Rajendra Agrawal have been moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Urban Development. Shall I put all the cut motions to the vote of the House together or the hon. Members want any particular cut motion to be put separately?

SEVERAL HON. MEMBERS: Please put all the cut motions to the vote of the House together.

The cut motions were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Urban Development to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 101 to 103 relating to the Ministry of Urban Development."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 2nd May, 2012 at 11 a.m.

18.52 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, May 2, 2012/Vaisakha 12, 1934 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.